लोक-सभा

वाद-विवाद

गुरुवार,
२२ सितम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

(खंड ६, १९५५)

(१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशमै सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक ४१ से अंक ५१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

350 LSD

विषय - सूची

[खंड ६—अंक ४१ से ५१—१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५]

अंक ४१—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १८७० से १८७२, १८७४ से १८७८, १८८३, १८८४, १८८९, १८९६ से १९०३, १९०५ से १९०७, १९०९, १९१२, १९१६ से १९१८, १९२० और १९२१ . १७६१—१८०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८६८, १८६९, १८७३, १८७९, १८८० से १८८२, १८८५ से १८८८, १८९० से १८९५, १९०४, १९०८, १९१०, १९११, १९१३ से १९१५, १९१९, १९२२ से १९२५ और १९२७ से १९३५ . . . . . १८०५—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ से १०२७ १८२७—५०

अंक ४२—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३६, १९३७, १९४१ से १९४४, १९४६ से १९४८, १९५०, १९५१, १९५५, १९५६, १९५८, १९५९, १९६२, १९६४, १९६७ से १९७०, १९३९ और १९४० . . २८५१—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . २८९२—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३८, १९४५, १९४९, १९५२ से १९५४, १९५७, १९६०, १९६१, १९६३, १९६५, १९६६, १९७१ और १९७२ . . २८९७—२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०४५ . . २९०५—१६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७५, १९७७, १९७९, १९८०, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१, १९९२, १९९४ से १९९८, २००३ से २००६, २००८, २०१० से २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२३ और २०२५ . २९१७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७८, १९८१ से १९८३, १९८५, १९८९, १९९०, १९९३, १९९९ से २००२, २००९, २०१५, २०१७, २०१९, २०२१, २०२२ और २०२६ से २०३२ २९६२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ से १०७१ २९८०—९८

अंक ४४—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ से २०३६, २०३८ से २०४१, २०४४, २०४६, २०४८, २०५१, २०५५, २०५६, २०५८ से २०६२, २०६६ से २०७०, २०७२ से २०७७, २०७९ से २०८१ और २०८४ २९९९—३०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४२, २०४३, २०४५, २०४७, २०४९, २०५०, २०५२ से २०५४, २०६३, २०६५, २०७१, २०७८ और २०८५ से २०९० ३०४४—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७२ से १११९ ३०५६—९०

अंक ४५—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ से २०९४, २०९८ से २१००, २१०३, २१०५ से २१०९, २१११, २११६, २११९ से २१२१, २१२४ से २१२६, २१३१, २१३२, २१०२, २११७, २१२२, २११८, २१२९ और २१३० ३०९१—३१३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ से २०९७, २१०१, २१०४ २११०, २११२, २११४, २११५, २१२३, २१२७ और २१२८ . . . . ३१३९—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११३४ ३१४७—५८

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३३ से २१४६, २१४९, २१५१, २१५२, २१५५ स २१५७, २१५९, २१६१ से २१६६, २१६९ और २१७० . . . . . ३१५९—३२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१४७, २१४८, २१५०, २१५३, २१५४, २१५८, २१६०, २१६७, २१६८, २१७१ से २१७८, २१८० से २१८६ ३२०३—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ से ११५७ . ३२१७—३२

अंक ४७—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ से २१९४, २१९६ से २२०२, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२१२, २२१६ से २२१९, २२२१, २२२२ और २२२५ से २२३० . ३२३३—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३२८१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २१९५, २२०३, २२०७, २२०८, २२१३ से २२१५, २२२०, २२२३, २२२४ और २२३१ से २२६३ ३२८५—३३१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५८ से ११६८ और ११७० से १२१५ ३११२—४८

अंक ४८ – बुधवार, २८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६६, २२६७, २२७०, २२७२, २२७३, २२७५, २२७६, २२७८, २२८० से २२८३, २२८६, २२८७, २२८९ से २२९१, २२९५, से २३००, २३०३, २३०५, २३०६, २३०७, २३०८, २३११, और २३१२। ३३४९—३३९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ३३९१—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६५, २२६९, २२७१, २२७४, २२७७, २२७९, २२८४, २२८५, २२८८, २२९२ से २२९४, २३०१, २३०२, २३०४, २४०९, २३१०, २३१३ से २३३८ ३३९४—३४२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२२, १२२४ से १२५२, १२५४ से १२६६ ३४२०—३४४८

अंक ४९ – गुरुवार, २९ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३३९ से २३४४, २३४६, २३४९ से २३५२, २३५४, से २३५८, २३६० से २३६२, २३६४, २३६६, २३६७, से २३६९, २३७२, २३९०, २३७४, २३७५ और २३९२ ३४४९—९२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३ से १६ ३४९२—३५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३४५, २३४७, २३४८, २३५३, २३५९, २३६३, २३७०, २३७१, २३७६ से २३८४, २३८४-क, २३८५ से २३८९, २३९१, २३९१-क और २३९३ से २३९९ ३५०२—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १३००, १३००-क और १३००-ख ३५२१—४२

अंक ५०—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०१ से २४०६, २४०८ से २४१०, २४१३, २४४६ २४१४ से २४१६, २४१८ से २४२१, २४२३ से २४२५, २४२७ से २४३१, २४५५, २४३३ और २४६२ ३५४३—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ३५९०—३६०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित पश्न संख्या २४००, २४०७, २४११, २४१२, २४१७, २४२२, २४३२, २४३४ से २४४५, २४४७ से २४५४, २४५६ से २४६१, २४६३ से २४७३ ३६०३—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३६९ ३६२८—७८

अंक ५१—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ ३६७९—९४

अनुक्रमणिका १—१३८

लोक सभा

गुरुवार, २२ सितम्बर १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीनी साफ करने के कारखाने

*२०३३. **श्री राधा रमण :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग विकास परिषद् ने चीनी साफ करने के कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) कच्ची चीनी साफ करने के नये कारखाने स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार स्थगित कर दिया गया था। क्योंकि प्रतीक्षा कर के यह देखना वांछनीय समझा गया था कि वर्तमान कारखानों के विस्तार से तथा नये चीनी के कारखाने स्थापित करने से उत्पादन क्षमता किस हद तक बढ़ाई जा सकती है।

श्री राधा रमण : क्या चीनी साफ करने के प्रस्थापित कारखाने गैर सरकारी फर्मों द्वारा खोले जायेंगे या सरकार कुछ अपने कारखाने स्थापित करेगी।

डा० पी० एस० देशमुख : प्रस्थापना यह थी कि कुछ पुराने समवायों को अवसर दिया जाये, किन्तु सारा मामला स्थगित कर दिया गया है। अतः निकट भविष्य में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री राधा रमण : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि चीनी साफ करने के प्रत्येक कारखाने पर कितनी लागत आयेगी और क्या इन्हें स्थापित करने से चीनी के उत्पादन में सुधार होगा और यदि हां, तो किस हद तक ?

डा० पी० एस० देशमुख: दोनों ओर तर्क दिये जा रहे हैं। एक ओर कहा जाता है कि हमें चीनी संभवतः सस्ती मिल सकेगी। दूसरी ओर यह डर है कि वर्तमान कारखानों को हानि पहुंचेगी। इन दो बातों को ध्यान में रख कर हमें अन्तिम निर्णय करना है।

आरसर्व स्टेशन यार्ड

*२०३४. **श्री डाभी:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे पर आरसव रेलवे स्टेशन यार्ड का ढांचा बदलने के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर अब तक कितना खर्च हुआ है?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचीव (श्री शहनवाज खां): (क) कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और यह शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) अब तक इस योजना पर कोई व्यय नहीं किया गया।

श्री डाभी : इस कार्य के कब समाप्त होने की आशा है ?

श्री शाहन वाज खां: विस्तृत प्राक्कलन तैयार हो चुके हैं और अब लेखा विभाग इन की जांच कर रहा है। मुझे आशा है कि काम जल्दी शुरू हो जायेगा।

चिकित्सकीय कर्मचारी

*२०३५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १४ मार्च, १९५५ को गये तारांकित प्रश्न संख्या ८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चिकित्सकीय कर्मचारियों के लिये सेवा निवृत्ति की आयु-सीमा ५८ वर्ष तक बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह क्या है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री मती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). इस विषय में शीघ्र आदेश जारी किये जाने की आशा है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या निर्णय किया गया था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कुछ समय पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि आयु-सीमा बढ़ा दी जायेगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या आयु-सीमा ५८ वर्ष रखी गई है या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह साठ वर्ष तक है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को विदित है कि रेलों में चिकित्सकीय कर्मचारियों की कमी है क्योंकि उन्हें निजी वृत्ति करने की अनुमति नहीं दी जाती; यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या करने का विचार है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे विचार में रेलों में स्थिति के बारे में रेलवे मंत्रालय से एक पृथक् प्रश्न पूछा जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपात निधि (यूनिसेफ)

*२०३६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि चालू वर्ष में अब तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिशु आपात निधि से सहायता के रूप में कितनी राशि मिली है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : यूनिसेफ तारीखी साल के मुताबिक चलता है न कि माली साल के। साल में दो बार (१) मार्च और (२) सितम्बर में वहां से मदद मिलती है। भारत के भिन्न भिन्न स्वास्थ्य विकास प्रोग्रामों के लिये मार्च, १९५५ में यूनिसेफ ने ८,४७,००० डालर मंजूर किये। सितम्बर १९५५ में मिलने वाली मदद की सूचना अभी तक भारत सरकार को नहीं मिली है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : भारत सरकार ने यूनिसेफ को कुल कितना अंशदान दिया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : १९५४ के लिये १५ लाख रुपये और १९५५ के लिये १६ लाख रुपये दिये गये हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : वे कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, जिनके लिये यह राशि खर्च की जाती है।

श्रीमती चन्द्रशेखर : १९५४ में इसे इन चीजों पर खर्च किया गया था : (१)

बी० सी० जी० आन्दोलन (२) सारे भारत के लिये प्रसूति तथा शिशु कल्याण (३) आपातकालीन कार्यक्रम और (४) केन्द्रों और अस्पतालों में भोजन देना—जिसका योग २,६८१,००० डालर है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : गत दो वर्षों में भारत को कुल कितनी रशि मिली है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : १९५४ में २,६८१,००० डालर और १९५५ में जुलाई तक ८,४७,००० डालर ।

नौवहन दुर्घटना

*२०३८. **श्री रघुवीर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ८ मई, १९५५ को प्रातः बम्बई स्टीम नेविगेशन कम्पनी का जहाज "रोहिदास" बालू पर चढ़ गया था और जहाज के बहुत से यात्रियों को जयगड पर उतरना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जहाज ८ मई, १९५५ को ९ बज कर ११ मिनट पर जयगड के पास बालू पर चढ़ गया था । सब यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया था और कम्पनी के यात्री-जहाजों द्वारा अपने-अपने स्थानों पर ले जाया गया थे ।

(ख) जांच अधिकारी के अनुसार जिसने दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच की थी, इसका कारण सम्भवतः यह था कि मास्टर ने वायु और ज्वार का मुकाबला करने में गलती की थी । यह भी संभव समझा जाता है कि मोरा बालू जिस पर जहाज़ चढ़ गया था पश्चिम की ओर बढ़ गई थी ।

श्री रघु नाथ सिंह : इस मास्टर ने नौवहन की क्या शिक्षा प्राप्त की है ? क्या उसने कोई परीक्षा पास की है ?

श्री शाहनवाज खां : अवश्य । किसी को इतने उत्तरदायित्व के काम पर लगाने से पहले उसे बहुत विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : उस ने कौन सी परीक्षा पास की है ?

श्री शहनवाज खां : "सी मास्टर प्रशिक्षण कोर्स" ।

हैलीकाप्टर

*२०३९. **श्री भक्त दर्शन : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असैनिक उड्डयन के प्रयोजनों के लिये हैलिकॉप्टर प्राप्त करने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). जब तक कि हैलीकॉप्टर विकास की उच्च अवस्था तक न पहुंच जाय तब तक वाणिज्यक वायु यातायात सेवाओं के लिये किसी हैलीकॉप्टर को प्राप्त करने का विचार नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान रक्षा उपमंत्री महोदय के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है कि रक्षा विभाग ने जो हैलीकॉप्टर मंगाये थे वह व्यक्तियों के ले जाने में य सामान के ले जाने में कांफी लाभदायक सिद्ध हुए हैं ?

श्री राज बहादुर : जो हमारी कारपोरेशन्स है उनके लिये वाणिज्यिक दृष्टि से यह अनुकूल सिद्ध नहीं होते हैं । मैं एक उदाहरण माननीय सदस्य को देना चाहता हूं । अगर

हैलिकॉप्टर से यात्रा की जाये तो दिल्ली से आगरा तक इसका किराया ३१५ रुपये बैठता है। जबकि यदि हैरोन वायुयान द्वारा यात्रा की जाये तो उसका वर्तमान किराया केवल २५ रुपये है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय को याद है कि कुछ दिन पहले इसी सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यह बताया था कि बद्रीनाथ या इसी तरह के ऊंचे स्थानों पर हवाई यातायात तभी सफल हो सकता है जबकि हैलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जाये ? क्या वह उस बात से अभी सहमत हैं और क्या वह उसको क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : ऐसा विचार तो माननीय सदस्य ने प्रकट किया था। मैंने तो अपनी कठिनाई बताई थी कि इतनी ऊंचाई पर हवाई अड्डा कायम करना या हैलीकाप्टर्स द्वारा उड़ान करना दोनों ही अभी तक सफल सिद्ध नहीं हुए हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या प्रयोग के तौर पर अथवा किसी खास एमरजेंसी का मुकाबला करने के लिये सरकार एक दो हैलीकॉप्टर्स उपलब्ध करना चाहती है ?

श्री राज बहादुर : किसी खास अवस्था के लिये या किसी खतरे का मुकाबला करने के लिये या तो कृषि विभाग के पास या रक्षा विभाग के पास हैलिकॉप्टर्स हो सकते हैं।

खाद्यान्नों का क्रय

*२०४०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य संरक्षण नीति के अधीन खाद्यान्नों का क्रय करने के सम्बन्ध में कोई नये कर्मचारी भर्ती किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो नये कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) संगठन सम्बन्धी व्यवस्था पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां, मूल्य संरक्षण नीति के सम्बन्ध में कुछ अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं, किन्तु अधिकांशतः ये लोग कन्ट्रोल समाप्त हो जाने के पश्चात् राज्य सरकारों के असैनिक संभरण विभागों के अतिरेक व्यक्ति हैं।

(ख) और (ग). मूल्य संरक्षण योजना के अधीन खाद्यानों का क्रय राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है जिन्होंने नये कर्मचारी रखने के अतिरिक्त अपने विद्यमान असैनिक संधरण विभाग के परमावश्यक कर्मचारियों को भी क्रय कार्य में लगा लिया है। राज्य सरकारों द्वारा रखे गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है और उसके संकलन करने में बड़ा लिपिक कार्य करना पड़ेगा जो जितना लाभ उस से होगा उस के अनुरूप नहीं होगा। केन्द्र में अब तक केवल १४ नये कर्मचारी रखे गये हैं और इन कर्मचारियों पर लगभग ३,६०० रुपये प्रति मास व्यय होता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे गये १४ व्यक्तियों में से खाद्य विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों की संख्या और नये लोगों की संख्या क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : साधारणत : हम अनुभवी व्यक्तियों को लेते हैं। हमारे ज्येष्ठ कर्मचारियों में से दो सहायक निदेशक और एक इन्सपेक्टर की भी पदोन्नति की गई है तथा मंत्रालय अथवा राज्य सरकार के विभाग के बड़े अनुभवी कर्मचारी, जिनकी छंटनी हो गई है लिये गये हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं यह समझूं कि अब तक नये लोगों की नियुक्ति नहीं की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं ऐसा ही समझता हूं, मेरे कथन में शुद्धि की जा सकती है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्य पश्चिमी बंगाल के खाद्यान्न गोदामों के छटनी किये गये कर्मचारियों को मूल्य संरक्षण नीति के सम्बन्ध में खोले गये किसी गोदाम में पुनः सेवा नियोजित किया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पश्चिमी बंगाल में हम ने गेहूं या ज्वार बिल्कुल ही नहीं क्रया किया था । यह तो उत्तर प्रदेश, पेप्सू तथा पंजाब जैसे राज्यों में खाद्यान्न क्रय के लिये कुछ कर्मचारी रखे गये हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मद्रास तथा आन्ध्र सरकार के असैनिक संभरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को इस नई योजना में पूरी तौर से खपा लिया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह प्रश्न उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जिनको हम ने मूल्य संरक्षण नीति के अनुसार सेवा नियोजित किया है । मूल्य संरक्षण नीति हम ने केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य भारत तथा एक दो छोटे राज्यों में लागू की है । आन्ध्र में खाद्यान्न क्रय करने का प्रश्न ही नहीं था, इस कारण कर्मचारियों को खपाने का प्रश्न ही नहीं है ।

बिना लाइसेंस के रेडियो सेट

*२०४१. **श्री गिडवानी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग की बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों का पता लगाने की दृष्टि से प्रति-अतिलंघन आन्दोलन करने के लिये १९५४–५५ में कितनी राशि दी गई; और

(ख) क्या प्रति-अतिलंघन एकक को आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) के अधीन रखने का प्रस्ताव कार्यान्वित किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाक तथा तार विभाग को किस दर पर भुगतान किया जाना चाहिये यह बात सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) हां, यह निश्चय किया गया है कि यह कार्य डाक तथा तार विभाग के पास ही रहना चाहिये ।

श्री गिडवानी : १९५४ और १९५५ में बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों की संख्या क्या थी ?

श्री राज बहादुर : प्रति-अतिलंघन कर्मचारी १–४–१९५४ से लेकर १३–३–१९५५ तक ८,६८६ स्थानों में लगभग ३२,०८० रेडियो के मालिकों के पास गये जिसके परिणामस्वरूप १९,२५३ बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों का पता लगा । इस आंकड़े में अपवंचन के मामले भी सम्मिलित हैं ।

श्री गिडवानी : क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई जो बिना लाइसेंस के रेडियो सेट इस्तेमाल कर रहे थे ?

श्री राज बहादुर : अधिनियम के अधीन हम उन पर अभियोग भी चला सकते हैं सामान्यतः ऐसा किया नहीं जाता क्योंकि लाइसेंस का न होना केवल भूल के कारण हो सकता है । ऐसे मामलों में हम लाइसेंस किस प्रकार का है इसका ध्यान रखे बिना अपराध के रूप में एक रुपया प्रति मास की दर से अधिभार का भुगतान करने पर लाइसेंस नया कर देने की अनुमति दे देते हैं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई मशीनरी ढूंढ़ निकाली है कि प्रति वर्ष कितने रेडियो बेचे जाते हैं और उनमें से कितने लाइसेंस वाले होते हैं तथा कितने बिना लाइसेंस के ?

श्री राज बहादुर : भारत के प्रत्येक नगर की प्रत्येक दुकान से कितने रेडियो बेचे गये इसकी संख्या का पता लगाना हमारे लिये सम्भव नही है । इसके लिये बहुत से कर्मचारियों को रखना पड़ेगा जो उससे होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होगा ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को विदित है कि अब अधिभार एक रुपया प्रति मास है किन्तु दण्ड १५ रुपये है ?

श्री राज बहादुर : हां, अधिभार में हाल में ही परिवर्तन कर दिया गया है । लाइसेंस किस प्रकार का है इस पर ध्यान दिये बिना यह एक रुपया प्रति मास रखा गया है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*२०४४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन यूनिट, खुरई (मध्य प्रदेश) में डीजल तेल समय पर न पहुंचने के कारण लगभग ४०० घंटे तक काम बन्द रहा तथा ट्रेक्टर खड़े रहे; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) डीजल तेल की कमी की वजह से तीन दिन में खुरई के दो यूनिटों में १२२ घन्टे काम बन्द हुआ ।

(ख) समय पर आने वाले वैगनों के न आने के कारण यह कमी हुई थी ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं हूं कि जब डीजल तेल नहीं मिलता है, तो एक यूनिट में प्रति घंटे के पीछे कितना नुकसान होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक सीजन में एक यूनिट का एक लाख गैलन का कनज़म्पशन है और डेली कनज़म्पशन १५०० गैलन है । हर ट्रक्टर का कितना कनज़म्पशन है, यह इस वक्त मालूम नहीं है । और इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक एन्क्वायरी कराई गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : की जायगी ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या अभी तक कराई गई है या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक तो नहीं कराई गई है ।

श्री बी० एन० मिश्र : प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि डीज़ल तेल की कमी की वजह से १२२ घंटे के लिये काम रुक गया । क्या इस बात का ध्यान रखा जायगा कि भविष्य में ऐसा न हो ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसा पहली दफा ही हुआ है । मैं नहीं समझता कि ऐसी नौबत फिर आयेगी ।

माल गाड़ी के डिब्बे का संभरण

*२०४६. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को हाल में उड़ीसा के खान मालिकों तथा उड़ीसा व्यापार मंडल से मालगाड़ी के डिब्बे के संभरण के लिये अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुऐ हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जनवरी से जुलाई, १९५५ में मैंगनीज़ अयस्क को बड़ा जमदा क्षेत्र और बदामपहाड़ से के० पी० डाक्स, क्रोम अयस्क को भद्रक से के० पी० डक्स और लोहा अयस्क को जाजपुर–क्योंझर रोड से विशाखापटनम् पत्तन तथा के० पी० डाक्स को भेजने में शीघ्रता करने के लिये बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४५]**

श्री आर० एन० एस० देव : विवरण में कहा गया है कि बड़ा जमदा और बदामपहाड़ से कलकत्ता को मैंगनीज़ तथा लोहा अयस्क लाने ले जाने का कार्य जनवरी से जून, १९५५ में पूर्णतया नहीं हो सका । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विगत काल में मालगाड़ी के डिब्बों का आवंटन इस प्रकार किया गया था जिससे माल बाहर भिजवाने वाले आढ़तियों को सारे डिब्बे मिल जाते थे जबकि खान के मालिक यों ही रह जाते थे । इस काल में आवंटन किस आधार पर किया गया था ?

श्री शाहनवाज़ खां : माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि जनवरी से ले कर जून तक की कालावधि में रेलों में बहुत काम रहता है और गन्ने तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिये मालगाड़ी के डिब्बों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है । माननीय सदस्य ने केवल आधा ही विवरण पढ़ा है । मैं चाहता था कि वह थोड़ा और आगे तक पढ़ते । उसमें हम ने बताया है कि ९ सितम्बर को केवल १२० मालगाड़ी के डिब्बे थे जिन्हें भेजना था । एक दिन में इतना माल भेजा जाता है अतः खान मालिकों का यों ही छोड़ दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री आर० एन० एस० देव : मेरा प्रश्न यह था कि यह कोटा पद्धति माल बाहर भिजवाने वाले आढ़तियों और खान मालिकों—इन दो प्रकार के निर्यातकों—के बीच डिब्बों के समान वितरण के लिये जारी की गई थी । परन्तु विगत काल में आवंटन असमान रूप से किया गया था । इसमें माल बाहर भिजवाने वालों का पक्ष लिया गया था और खान मालिकों के यह विरुद्ध था । मेरा प्रश्न यह था कि आवंटन किस प्रकार किया गया था और किस आधार पर किया गया था, जबकि इस काल में यातायात की अधिकता के कारण आवश्यकतायें पूरी नहीं हो रही थीं ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मालगाड़ी के डिब्बों के आवंटन में हम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मंत्रणा के अधीन कार्य करते हैं । कोटा आदि के द्वारा वह इसका विनियमन कर रहा है ।

श्री आर० एन० एस० देव : क्या मैं यह समझूं कि डिब्बों का आवंटन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सिफारिश पर किया जाता है ?

श्री अलगेशन : हां; निर्यात लाइसेंस के अनुपात में ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि आवंटन कोटा पिछले वर्ष की भांति खान मालिकों को दिया गया था, किन्तु औद्योगिक उपक्रमों में वृद्धि हो जाने के कारण वे अयस्कों के भेजने के लिये जितने डिब्बों की आवश्यकता थी उतनी संख्या में वे संभरण न कर सके ?

श्री अलगेशन : जैसा कि सभासचिव अभी कह चुके हैं, व्यावहारिक रूप से कोई अयस्क बाकी नहीं रह गया है । लोहा अयस्क के

सम्बन्ध में कुछ कठिनाई है । क्रोम अयस्क तो बिल्कुल ही बाकी नहीं पड़ा है ।

उखाड़ी गई रेलवे लाइनो का पुनः बनाया जाना

*२०४८. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व बिहार सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे पर (१) सुपाल से चांदपीपर और (२) फ्रोरुसगंज से राधोपुर की रेलवे लाइनों को फिर से बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

( ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में निर्माण के लिये नई लाइनों का चुनाव करने के लिये विचार करने हेतु ये परियोजनायें दर्ज कर ली गई हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : उन लाइनों को फिर से बनाने के लिये बिहार सरकार ने क्या मुख्य तर्क रखे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें पत्र-व्यवहार की विषय-सूची बाद में दे सकता हूं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन लाइनों के पुनः बन जाने से कोसी परियोजना से उत्पन्न होने वाली यातायात समस्या हल हो जायेगी, इस प्रस्थापना पर विचार किया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: अगली पंचवर्षीय योजना के लिये कार्यक्रम बनाते समय उचित समय पर इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : इस कार्य को पुरानी लायन को फिर से बनाना समझा जायेगा अथवा नई लाइनों का निर्माण ?

श्री एल० बी० शास्त्री : दोनों पर एक साथ ही विचार किया जायेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : बिहार सरकार ने अन्य किन लाइनों को पुनः चालू करने अथवा फिर से बनवाने के लिये अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं ने अब तक सूची नहीं देखी है, किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं कि जहां लाइनों के बनवाने का सम्बन्ध है पंचवर्षीय योजना के लिये कार्यक्रम बनाते समय हम इस पर विचार करेंगे ।

सिक्किम-तिब्बत सड़क

*२०५१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार सक्किम की राजधानी से तिब्बत की सीमा तक एक सड़क बनाने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होगा; और

(ग) उस पर अनुमानित व्यय कितना होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) गंगटोक–नथुला सड़क जो सिक्किम की राजधानी से तिब्बत की सीमा तक जाती है इस समय खच्चर यातायात के लिये उपयुक्त है । इस सड़क को जीपों के चलने योग्य बनाने का विचार है ।

(ख) कुछ सेक्शनों पर कार्य पूरा हो गया है जबकि अन्य पर हो रहा है ।

(ग) लगभग ५० लाख रुपये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेन्ट ने इस बात का पता लगाया है कि सिक्किम और

तिब्त की सीमा के आगे ल्हासा तक सड़क बनाने की कोई गुंजाइश है, और क्या सरकार ने इस बारे में चीन सरकार से कोई लिखा पढ़ी की है ताकि भारत और चीन के पारस्परिक व्यापार में सुविधा हो सके ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : आपने किस जगह का नाम लिया, मैं समझा नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : सरकार का प्रस्ताव है कि सिक्किम की राजधानी से अर्थात् गंगटोक से भारत-तिब्बत सीमा तक , सड़क बनायी जाय । मैं जानना चाहता हूं कि जो ट्रेड रूट नाथुला पास में हो कर तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जाती है उसको सुधारने का कोई विचार है, और क्या इस विषय में चीन सरकार से कोई लिखा पढ़ी की गयी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है ।

चावल कुटाई समिति (राइस मिलिंग कमेटी)

*२०५५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** २९ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल कुटाई समिति (राइस मिलिंग कमेटी) के प्रतिवेदन पर तब से विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित की जाने वाली हैं और किस प्रकार ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) चावल कुटाई समिति (राइस मिलिंग कमेटी) का प्रतिवेदन अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एन० बी० चौधरी : प्रतिवेदन की कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में जनता के विरोधी मत की दृष्टि से क्या सरकार इन प्रतिवेदनों को विभिन्न राज्यों में उनकी सम्मतियों के लिये भेजना आवश्यक समझती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम ने देश के सभा चावल उत्पन्न करने वाले बड़े-बड़े राज्यों की टीका-टिप्पणियां मांगी है और हम उनके उत्तर की प्रतिक्षा कर रहे हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस सम्बन्ध में निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जैसा कि मैं कह चुका हूं हम देश के चावल उत्पन्न करने वाले बड़े-बड़े राज्यों की टीका-टिप्पणियों की प्रतिक्षा कर रहे हैं ।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि चावल कुटाई समिति (राइस मिलिंग कमेटी) की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह है कि हाथसे धान कूटने के पक्ष में चावल की मिलें धीरे-धीरे बन्द कर दी जानी चाहिये ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया है और उसकी एक प्रति पुस्तकालय में भी रखदी गई है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन पटल पर रख दिया गया है, उस से सिफारिशें मालूम हो जायेंगी ।

पटशूली पौध का तेल

*२०५६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटशूली पौधे से निकाला गया तेल किस काम आता है ।

(ख) इस पौधे की खेती कहां कहां को जाती है;

(ग) इस तेल के निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में कौन से आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में प्रयोगों पर अब तक सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सुगन्ध और शोभा बढ़ाने वाली वस्तुओं के बनाने में।

(ख) मैसूर राज्य में बंगलोर के पास और मद्रास राज्य में सालेम के पास तथा आजमाइश के तौर पर देहरादून में।

(ग) भारत में इस पौधे की खेती बहुत ही छोटे पैमाने पर की जाती है। इसी लिये अभी इसके निर्यात का प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) १८,५३४ रुपये।

श्री के० सी० सोधिया : इसके बने हुए तेल की कोई मिकदार अभी तक मालूम हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : फिर बोलिये आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री के० सी० सोधिया : इस पौधे से निकलने वाले तेल की मात्रा का अनुमान लगाया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, २.८५ प्रतिशत।

श्री के० सी० सोधिया : क्या स्थानीय उद्योगों द्वारा इसके उपयोग किये जाने की सम्भावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां ; हम समझते हैं कि यदि यह पर्याप्त मात्रा में उगाया जायेंगा तो स्थानीय उद्योग इसका उपयोग करेंगे। अब जो कुछ पैदा हुआ है वह टाटा आयल कम्पनी को दे दिया गया है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह पौधा केवल केन्द्रीय सरकार के कृषि विभाग द्वारा उगाया जाता है या आम कृषक भी इसे उगाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : शुरू में जब तक इसकी खेती प्रयोगात्मक रूप में की जा रही है, यह केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में रहेगी ; परन्तु हमारा इरादा यही है कि बाद में सामान्य कृषक ही इसकी खेती करें।

ट्राली बसें

*२०५८. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बम्बई मद्रास की सरकारों से कहा है कि वे ऐसे क्षेत्रों में ट्राली बसें चलाने की योजनायें तैयार करें जहां ट्रामें बन्द कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभा पटल पर एक विवरण रखेगी जिसमें इस योजना का ब्यौरा दिया गया हो ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). बम्बई और मद्रास की सरकारों से कहा गया है कि वे उल्लिखित क्षत्रों में, जहां ट्रामें बन्द कर दी गई हैं या बन्द की जा रही हैं, ट्राली बसें चलाने पर होने वाले वास्तविक व्यय का सर्वेक्षण करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बिजली से बसें चलाना डीज़िल तेल की अपेक्षा अधिक बचतपूर्ण होगा।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से इसका कोई जबाब मिला है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं।

बीकानेर रेलवे स्टेशन

*२०५९. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री १४ मार्च, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन का विस्तार करने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो काम कब शुरू होगा;

(ग) क्या यह सच है कि बीकानेर स्टेशन के गोदाम के पास की रेलवे की जमीन बर्मा शैल कम्पनी को तेल संग्रह करने के लिये दे दी गई है जिससे स्टेशन के विस्तार में कठिनाई हो रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने पैट्रोल संग्रह करने के लिये भूमि हस्तान्तरित करने के विरुद्ध मंत्रणा दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) तथा (ख). जांच से पता चला है कि बीकानेर रेलवे स्टेशन को इस समय बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ।

(ग) रेलवे की जमीन का एक हिस्सा बर्मा शेल कम्पनी के अधिकार में है । चूंकि बीकानेर रेलवे स्टेशन को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, इसलिये किराये पर दी गयी इस ज़मीन की अभी कोई जरूरत नहीं है ।

(घ) पुलिस से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

श्री पी० एल० बारूपाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी घटना भी घटी है कि जहां रेलवे स्टेशन के पास जो पेट्रोल के भंडार हैं उनमें आग लगने से रेलवे विभाग को इसका मुआवज़ा देना पड़ा हो, या अगर यह भी न हुआ हो तो हो सकता है कि कभी पेट्रोल में आग लगने से रेलवे के गोदाम में भी आग लग जाय और उसकी वजह से रेलवे को क्लेमों का रुपया देना पड़े ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे ख्याल में आनरेबल मेम्बर जो खतरा महसूस करते हैं वह बेबुनियाद है क्योंकि जब कभी किसी पेट्रोल कम्पनी को रेलवे स्टेशन पर जगह दी जाती है तो इंस्पेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्स पहले उसका मुआयना करते हैं और जब वह यह तस्दीक कर देते हैं कि यह महफूज़ जगह है और कोई खतरा नहीं है तभी वह जगह दी जाती है ।

तूफान सम्बन्धी गोष्ठी

*२०६०. **श्री एस० एन० दास** : क्या संचार मंत्री ७ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोकियो में हुई तूफान सम्बन्धी गोष्ठी का अधिकृत वृत्तान्त और उसकी सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वृत्तान्त की एक प्रति अभी हाल में ही प्राप्त हुई है ।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४६]

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में

समुद्री तूफान की गतिविधि का अध्ययन करने के लिये जिन विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

श्री राज बहादुर: अनुमानित व्यय बताना अभी समय से पूर्व होगा, क्योंकि प्रस्थापनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

जहां तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, एक संकल्प में, जिसका उल्लेख विवरण में किया गया है, उष्णदेशीय समुद्री तूफानों के अध्ययन और रेडियोसोंड और रेंडार-विंड केन्द्र स्थापित करने पर ज़ोर दिया गया है । इस सम्बन्ध में हमारे पास पहले से ही एक योजना है जिसे आंशिक रूप में क्रियान्वित किया जा चुका है। हम योजना के शेष अंश की क्रियान्विति के लिये भी प्रयत्नशील हैं ।

जहां तक तीसरी बात, अर्थात्, मेघेन (नैफस्कोप) द्वारा बादलों का प्रेक्षण, का सम्बन्ध है, यह पहले ही अग्रिम वा-गोल प्रेक्षण (पाइलट बैलून डावज़र्वेशन) के द्वारा किया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास . इस समय कितने रेडियो विंड केन्द्र हैं और उनके विस्तार का क्या कार्यक्रम है ?

श्री राज बहादुर : इस सम्बन्ध में एक पैम्फलेट परिचारित किया गया था । मैं माननीय सदस्य का ध्यान उसकी ओर दिलाऊंगा ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बंगाल की खाड़ी के निकट कुछ क्षेत्र को ज्वार-भाटे से काफी नुकसान पहुंचता है, क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों मे बचाव के तौर पर कोई कार्यवाही करने का है ?

श्री राज बहादुर : किसी भी देश की सरकार बचाव के तौर पर जो कार्यवाही कर सकती है वह यह है कि इसके आने की पहले से ही सूचना दे दे । हम भी यही कर सकते हैं । इस समय तूफान जैसी प्राकृतिक विपत्तियों को काबू में करना सम्भव नहीं है । भिारतीय गतिविधियों में अत्यधिक रुचि दिखा रहा है । हमने गोष्ठी में एक प्रतिभाशाली दल भी भेजा था जिसके कुछ पत्रों की बहुत सराहना की गई ।

रेलगाड़ियों में धक्के

*२०६१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या रेलवें मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य ज़ोनों की अपेक्षा पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्रियों को रेलगाड़ियों में अधिक धक्के लगते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसी यान्त्रिक युक्ति करने की प्रस्थापना है जिससे गाड़ियों में धक्के न लगें ?

रेलवें तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) सम्पूर्ण धातु के बने हुए डिब्बों में अधिक अच्छी स्प्रिंगें लगी हुई हैं और ऐसे यंत्र भी लगे हुए हैं जिनसे धक्के महसूस न हों । इन डिब्बों में यात्रा करना उतना ही सुविधापूर्ण है जितना कि किसी अन्य उन्नतिशील देश की रेलगाड़ियों में ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार को किसी और रेलवे ज़ोन से भी इस तरह की शिकायत मिली है कि उस ज़ोन में ट्रेनों में जर्क्स लगते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : अगर आनरेबुल मेम्बर को जर्क्स लगे हों तो मुझ को बहुत अफ़सोस है लेकिन जो नई गाड़ियां हम बना रहे हैं। उनमें हाइड्रोलिक शौक ऐबसौर्बस लगाये जा रहे हैं जिनसे मैं उम्मीद करता हूं कि आयन्दा धक्के नहीं लगा करेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : गाड़ी की वजह से तो धक्के नहीं लगेंगे लेकिन जो आपस में लगेंगे उसका क्या होगा ?

श्री अमजद अली : यह बात कहां तक ठीक है कि इस लाइन पर गाड़ियों में धक्के लगने का कारण खतरे की जंजीर का खींचा जाना भी है ?

श्री शाहनवाज खां : यद्यपि इस क्षेत्र में जंजीर खींचने की घटनायें अक्सर होती रहती हैं, मैं यह नहीं समझता कि धक्के उसके कारण लगते हैं ।

बम्बई पत्तन न्यास रेलवे

*२०६२. **श्री कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन न्यास रलवे के कार्यों के सम्बन्ध में अभी हाल में एक जांच की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रयोजन से ;

(ग) जिस पदाधिकारी ने जांच की थी, उसका पदनाम क्या है ;

(घ) क्या उसने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कामत : क्या निकट भविष्य में कोई जांच करने का विचार है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं ।

जूट उत्पादन

*२०६६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में जूट की फसल का उत्पादन १९५४–५५ की अपेक्षा कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (**डा० पी० एस० देशमुख**) । (क) और (ख). अभी तक जूट के १९५५–५६ के अखिल भारतीय प्रथम अनुमान प्रकाशित किये गये हैं, जिनके अनुसार चालू साल में १९५४–५५ की निस्बत जूट के क्षेत्र में ·७ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है । चालू साल की जूट की फसल के आखिरी अनुमान नवम्बर के शुरू तक मिल सकेंगे ।

श्री **विभूति मिश्र** : क्या सरकार अपनी प्राइस पालिसी को जूट के ऊपर लागू करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तो ऐसा करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री **विभूति मिश्र** : क्या सरकार को पता है कि जितनी फसल पैदा की जाती है, जो मनी क्रौप की जाती है, सबसे ज्यादा दिक्कत जूट को पैदा करने में होती है और उसमें गरीब आदमी लगते हैं और चूंकि पाकिस्तान से समझौता कर लिया है, इसलिये जूट के दाम १४ रुपये मन हो गये हैं, तो क्या सरकार किसानों की हालत को ध्यान में रखते हुए जूट की कीमत को बढ़ाने की कोशिश करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि कीमतें कुछ ज्यादा कम नहीं हैं, जब ऐसा मौका आयेंगा तो गौर किया जायेंगा और देखा जायेगा कि क्या उसके लिय हो सकता है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस बात का ध्यान रखने के लिये कोई मूल्यांकन समिति बनाई गई है कि राज्य सरकारें जूट विशेषज्ञ समिति की मात्रा और विशेषता सम्बन्धी सिफारिशों को कैसे कार्यान्वित कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मैं जानता हूं, वह सिफारिशों को लागू करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है ?

पं० डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि इन चन्द हफ्तों में जूट के दाम २६ रुपये से गिर कर १५ रुपये तक आ गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि अर्जेंटाइना में जो क्रान्ति हुई है, उसका भी असर जूट की प्राइस पर पड़ा है, क्योंकि जूट यहां से ज्यादा जाता था ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम तो समझते हैं कि उससे उसकी कीमत बढ़ जायगी।

श्री एल० एन० मिश्र : माननीय मंत्री ने जूट के उत्पादन के सम्बन्ध में कहा। क्या सरकार को पता है कि बहुत सी राज्य सरकारें जूट के उत्पादन के गुण प्रकार को अधिक अच्छा बनाने के लिये जूट विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को गंभीरतापूर्वक लागू नहीं कर रही हैं ? क्या किसी राज्य ने समिति की सिफारिशों के अनुसार जूट सड़ाने के तालाबों और जूट के बीजों की नई नस्ल तैयार करने के फार्मों का प्रबन्ध किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र की शिकायत में कितनी सत्यता है।

श्री एल० एन० मिश्र : यह बातें सच हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : यदि ऐसा है, तो हम इसकी जांच करेंगे। मैं समझता था कि अधिकांश राज्य इन सिफारिशों को लागू करने के लिये स्वयं इच्छुक थे।

गारो पहाड़ी रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण

*२०६७. **श्री अमजद अली** : क्या रेलवे मंत्री ८ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गारो पहाड़ी रेल सम्पर्क के यातायात-सर्वेक्षण के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ;

(ख) अभी तक, वास्तव में, कितनी राशि व्यय की गयी ; और

(ग) क्या सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार के पास आ गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ९५,५९८ रुपये।

(ख) २९,००० रुपये।

(ग) यातायात-सर्वेक्षण के लिये क्षेत्र-कार्य पूरा हो गया है और शीघ्र ही अन्तिम प्रतिवेदन आने वाला है।

श्री अमजद अली : इस सम्बन्ध में किन भिन्न भिन्न मार्गों का सर्वेक्षण किया गया ?

श्री शाहनवाज खां : तीन मार्ग थे। एक अमजंगा से पंडू तक ९९.७ मील। पहले के हिसाब के अनुसार इस में ५.३ करोड़ रुपये लगे। दूसरा मार्ग दारनगिरि-जोधीगोपा-बोनगाडंगांव लगभग ९० मील। तीसरा मार्ग दरनगिरि से ब्रह्मपुत्र के तट के एक स्थान तक है।

श्री अमजद अली : इस सर्वेक्षण के सम्बन्ध में क्या आसाम की सरकार ने कोई सहायता मांगी थी, और क्या उसको कोई सहायता दी गयी थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : सर्वेक्षण प्रायः रेलवे प्राधिकार द्वारा कराया जाता है । यदि सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो दी जाती है । इस मामले में मैं समझता हूं कि सहायता की आवश्यकता नहीं थी ।

रेलवे कोच (यात्री-डिब्बे) फैक्टरी

*२०६८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्वालियर में स्थापित की जाने वाली रेलवे कोच फैक्टरी सरकार के नियंत्रण में रहेगी या वह ग़ैर-सरकारी कारखाना होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : रेलवे मंत्रालय के पास इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है ।

रेलवे की एक बड़ी नौका का डूबना

*२०६९. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी रेलवे की एक बड़ी नौका, जिसमें माल से भरे १७ डिब्बे लदे हुए थे, ७ सितम्बर, १९५५ को गंगा नदी में डूब गयी; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, ७-९-५५ को लगभग ७ बजकर २० मिनट पर शाम को सामान से भरे १७ डिब्बों से लदी एक बड़ी नौका गंगा नदी में उत्तर-पूर्वी रेलवे के मोकामेह घाट—बटौनी उपखण्ड के समरियाघाट नामक स्टेशन के निकट डूब गयी ।

(ख) उपरिदर्शी रूप से दुर्घटना का कारण यह था कि नौका की तली की चादर की अगली चोटी उसके लंगर से फट गई और उसके मुख्य भाग में पानी भर गया ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : लदे हुए डिब्बे नौका में क्यों रखे गये थे ?

श्री शाहनवाज़ खां : क्योंकि प्रायः ऐसा ही होता था ।

श्री एम० एल० अग्रवाल: डिब्बे में क्या भरा था ?

श्री शाहनवाज़ खां : चीनी ।

श्री भावगत झा आज़ाद : इस दुर्घटना से अनुमानतः क्या हानि हुई ?

श्री शाहनवाज़ खां : नौका में १७ डिब्बे लदे थे जब वह डूबी । इनमें से १६ डिब्बे निकाले जा चुके हैं । एक डिब्बा और नौका का पता नहीं लगा है । कुल हानि लगभग १५०० रुपये रेलवे की और १,३०,००० रुपये सरकार की चीनी की मद में हुई ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या नौका पर कुछ आदमी थे ? क्या उनमें से कोई मरा ?

श्री शाहनवाज़ खां : कोई भी हताहत नहीं हुआ ।

दीव-दासगांव रेल सम्पर्क

*२०७०. **श्री काजरोल्कर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि बम्बई राज्य में दीव-दासगांव की प्रस्तावित रेलवे के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस लाइन को भी रखा गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) इस लाइन का प्रारम्भिक इन्जीनयरिंग और यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में किन रेलवे लाइनों को बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन

*२०७२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा बनायी गयी तदर्थ संस्था ने योजना आयोग से किन अन्य मामलों के सम्बन्ध में बातचीत की; और

(ख) उनके प्रस्तावों से योजना आयोग कहां तक सहमत है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों के द्वितीय सम्मेलन द्वारा बनायी गयी तदर्थ संस्था ने १८ अगस्त, १९५४ को योजना आयोग से इस प्रश्न पर चर्चा की कि पंच वर्षीय योजना में शहरों और गांवों में जल संभरण नाली व्यवस्था और कूड़ा करकट हटाने और गंदी बस्तियों को हटाने के विकास कार्यक्रम के लिये कितना धन निश्चित किया जाय ।

(ख) योजना आयोग प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान शहरों और गांवों में जल संभरण तथा नाली व्यवस्था के कार्यक्रम के लिये राज्य सरकारों को १८·७२ करोड़ रुपये का उपबन्ध करने को राजी हो गया है ।

गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग ने आर्थिक सहायता न देकर ऋण देनें को कहा है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस तदर्थ संस्था को स्थापित करने का क्या प्रयोजन था ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह तदर्थ संस्था इसलिये बनाई गयी थी कि वह राज्यों के विभिन्न स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं का निश्चय करे कि उन्हें महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों जैसे जल संभरण, नाली व्यवस्था आदि के लिये कितनी आर्थिक सहायता या कितना ऋण दिया जाये और साथ ही यह संस्था इसलिये भी बनाई गयी थी कि वह योजना आयोग से इस बात पर चर्चा करें कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन कार्यों के लिये कितना धन वितरित किया जाये ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : संघ स्वास्थ्य मंत्री सभापति थी, और श्री भीमसेन सच्चर, मुख्य मंत्री पंजाब; श्री वाई० बी० चावन, स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री, बम्बई; श्री मोहन लाल गौतम, स्थानीय स्वायत्तशासन मंत्री, उत्तर प्रदेश . . . . .

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, जी नहीं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : १९५४ में वह स्थानीय स्वायत्तशासन मंत्री थे ।

श्री आई० डी० जालान, स्थानीय स्वायत्त-शासन मंत्री, पश्चिमी बंगाल; और श्री पी० थिम्मा रेड्डी, स्थानीय स्वायत्तशासन मंत्री, आंध्र इसके सदस्य थे ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इस प्रस्ताव में केवल नगरपालिका क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनायें ही हैं या अन्य स्थानीय क्षेत्रों जैसे यूनियन बोर्ड और पंचायत क्षेत्र, जो स्थानीय निकायों के अधीन माने जाते है, से सम्बन्धित योजनायें भी हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सभी स्थानीय निकाय, जिसमें यूनियन बोर्ड और पंचायतें भी शामिल हैं ।

स्टीमर (वाष्पयान) सेवा

*२०७३. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पालेजा और दीघा घाटों (उत्तर-पूर्वी रेलवे) के बीच प्रायः या तो इंजिन की खराबी के कारण या उथले पानी के कारण, स्टीमर बीच धारा में फंस जाते हैं;

(ख) जनवरी, १९५५ से अब तक कितने अवसरों पर स्टीमर फंसे; और

(ग) ऐसे अवसरों पर यात्रियों को किस प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ऐसा प्रायः नहीं होता।

(ख) जनवरी, १९५५ के बाद ४ अवसरों पर स्टीमर फंसे ।

(ग) यात्रियों की सुविधा के लिये जलपान का सामान और पीने का पानी उपलब्ध था ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इन चारों अवसरों पर यात्रियों को कितने घण्टे धारा में रुकना पड़ा ?

श्री अलगेशन : एक अवसर पर २.५५ घण्टे, दूसरे अवसर पर १.२५ घण्टे, तीसरे अवसर पर ४.५५ घण्टे और चौथे अवसर पर २ घण्टे ।

पंडित डी० एन० तिवारी : स्टीमरों के फंस जाने की सूचना कितने घण्टों बाद रेलवे कर्मचारियों को मिली ?

श्री अलगेशन : हमें समय का ठीक पता नहीं है, पर ऐसे अवसरों पर एक स्टीमर हमेशा तैयार मिलता है ?

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि गर्मी के दिनों में गंगा नदी की हालत बहुत तेज़ी से बदलती रहती है और एक स्टीमर के सुरक्षा-पूर्वक चले जाने के कुछ ही घण्टों बाद उसके पीछे आने वाले दूसरे स्टीमर के फंस जाने की आशंका रहती है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या बिहार सरकार ने सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है कि वह स्टीमर सेवा को समाप्त करने और नावों का एक पुल बनाने में सहायता करेगी ?

श्री अलगेशन : मुझे पता नहीं है कि हमें ऐसी कोई प्रार्थना मिली है । हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है पर मैं सभा को बताना चाहता हूं कि यह स्टीमर हजारों चक्कर लगाते हैं । २,५४४ चक्कर लगाये जा चुके हैं और दुर्घटना का प्रतिशत ०.१६ है और इसके बारे में कोई असाधारण बात नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या सरकार को पता है कि पटना बिहार की राजधानी है और उत्तरी बिहार की जनता को राजधानी आने जाने के लिये गंगा पार करने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है और इसमें समय भी बहुत लगता है। क्या सरकार इन कठिनाइयों को हटाने के लिये नावों का एक पुल बनाने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह बात बताई कि पटना बिहार की राजधानी है । जहां तक पुल का सम्बन्ध है, कुछ समय पूर्व गंगा पर पुल बनाने के सम्बन्ध में कुछ जांच की गयी थी । पटना के निकट एक स्थान का सुझाव इस काम के लिये दिया गया था पर बाद में वह जगह संतोषजनक नहीं पाई गयी । अब हम मोकामेह के पास गंगा पर एक पुल बना रहे हैं । उसके बन जाने पर पटना के लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं ।

अन्दमान द्वीपसमूह में खाद्य स्थिति

*२०७४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास योजना के पांच वर्षों के दौरान अन्दमान और निकोबर द्वीपसमूह खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जायेंगे;

(ख) क्या यह सच है कि परिवहन कठिनाइयों के कारण किसी स्थान पर बचा हुआ खाद्य द्वीपों के दूसरे भाग तक नहीं भेजा जा सकता; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, चावल में ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि इस वर्ष रंगत क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक चावल पैदा हुआ था और पोर्ट-ब्लेयर या अन्य स्थानों से उसे कहीं भेजा नहीं जा सका ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है । मुझे केवल यह पता है कि इन द्वीपों की आवश्यकता यहां पैदा होने वाले चावल से पूरी होती है ।

श्री एस० सी सामन्त : क्या यह सच है कि शरणार्थियों को जो भूमि दी गयी है उसका उत्पादन घट गया है, अर्थात् पहले वर्ष पैदावार अच्छी हुई थी पर बाद में वैसी पैदावार नहीं हो रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, पर सम्पूर्ण द्वीप में चावल का उत्पादन असंतोषजनक नहीं है ।

श्री भावगत झा आजाद : क्या यह सच है कि अभी हाल में अन्दमान से जो लोग दिल्ली घूमने आये थे उनमें से कुछ ने शिकायत की है कि अन्दमान में भूमि की कमी नहीं है पर सिंचाई की सुविधा की कमी के कारण भूमि की उत्पादन-क्षमता बहुत कम हो गयी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जी हां, उस दिन उनका शिष्टमंडल हम से मिला था और उन्होंने बताया कि द्वीप के कुछ भागों में सिंचाई की कमी के कारण वह केवल एक ही फसल पैदा कर सकते हैं । हम इस मामले पर विचार करेंगे ।

स्वास्थ्य अवस्था का सर्वेक्षण

*२०७५. **श्री गिडवानी : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करें ी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अखिल भारतीय लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य रक्षा संस्था से देश की समस्त सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवस्था का सर्वेक्षण करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा;

(ग) सर्वेक्षण का प्राक्कलित व्यय क्या है; तथा

(घ) सर्वेक्षण कब समाप्त हो जायेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां, किन्तु यह सर्वेक्षण केवल चार सामुदायिक परियोजनाओं के क्षेत्रों में होंगे ।

(ख) सर्वेक्षण पहिली अगस्त, १९५५ से प्रारम्भ हुआ ।

(ग) कुल प्राक्कलित व्यय १,५२,००० रुपये है ।

(घ) सर्वेक्षण १९५७ के अन्त तक । समाप्त हो जायगा ।

श्री गिडवानी : इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति आयेंगे और किस राज्य में सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हुआ है अथवा प्रारम्भ होगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रश्न के पहिले भाग के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी। जहां तक दूसरे भाग का प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल के शक्तिगढ़ खंड में कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

श्री गिडवानी : क्या इस कार्य के लिये विशेष कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है; यदि हां, तो प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा तथा उन्हें कहा प्रशिक्षण दिया जायेगा?

श्रीमती चन्द्रशेखर : ये कर्मचारीवर्ग मंजूर हुआ है : चिकित्सा पदाधिकारी (डाक्टर) तथा एल० एम० पी० डाक्टर, प्रयोगशालाओं के प्राविधिक कर्मचारी, स्वच्छता निरीक्षक, टायपिस्ट व क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, मेहतर, सांख्यकी गणक तथा प्रदर्शनकर्त्ता । मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है कि उन्हें कहां प्रशिक्षित किया जाता है ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : उन्हें अखिल भारतीय स्वास्थ्य-रक्षा संस्था, कलकत्ता में प्रशिक्षित किया जायेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : ये चारों सामुदायिक परियोजनायें कहां हैं ? क्या व्यय होने वाली धनराशि में राज्य सरकारों का भी अंश रहेगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : जैसा कि उपमंत्री ने कहा है, पहिली परियोजना पश्चिमी बंगाल में है। मेरे विचार से इसके पश्चात् हम क्रमशः मध्यभारत तत्पश्चात् हैदराबाद और पेप्सू, और इसके पश्चात् त्रावनकोर-कोचीन और सौराष्ट्र की बारी आयेगी ।

ज्योतिष शास्त्र

*२०७६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्योतिष शास्त्र के विकास के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या सरकार को ज्योतिष सम्बन्धी संस्थाओं से इसके बारे में कोई स्मरण-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सन् १९४५ में भारत सरकार ने भारत में ज्योतिष और ज्योभौतिकी के युद्धोत्तर विकास की योजना बनाने के लिये भारत के प्रसिद्धिप्राप्त वैज्ञानिकों की एक समिति नियुक्त की । इसके सभापति प्रोफेसर मेघनाद साहा थे । समिति की सिफारिशों पर १९४९ में सरकार को भारत में ज्योतिष के विकास तथा अन्य तत्सम्बन्धी मामलों पर परामर्श देने के लिये एक 'ज्योतिषार्थ स्थायी परामर्शदात्री मण्डली' का गठन किया गया । यह मण्डली अब तक चार बार अपनी बैठकें कर चुकी है और इसने ज्योतिष के विकास एवं संयोजन के सम्बन्ध में कई सिफारिशें भी की हैं जिनमें से एक सिफारिश एक आधुनिक केन्द्रीय ज्योतिषीय अवलोकनालय की स्थापना करने की है । इन सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है और वित्तीय स्थिति के अनुसार जब भी संभव होता है इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि प्राचीन भारतीय एस्ट्रानामी के जो विद्वान हैं क्या उनसे भी कोई सहायता ली गई है ?

श्री राज बहादुर : इसके जो सदस्य हैं उनके नाम में बता सकता हूं। उनके नाम हैं ; प्रो० एम० एन० साहा, प्रो० ए० सी० बनर्जी, डा० ए० एल० नारायण, प्रो० डी० एस० कोठारी, प्रो० एम० एल० चन्द्रात्रेय, डा० बी० एन० बनर्जी, डा० डब्लू० एम० वैद्य, वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के उपमहानिदेशक, कोडैकानल तथा निज़ामिया वेधशाला के निदेशक ।

श्री रघुनाथ सिंह : जो नाम बताये गये हैं, थे सब आधुनिक विद्वान हैं । इन में काशी और उज्जैन का एक भी विद्वान नहीं है ।

श्री राज बहादुर : यह तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें काशी और उज्जैन का कोई विद्वान है या नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : यदि इस में कोई प्राचीन भारतीय एस्ट्रानामी का विद्वान नहीं है तो क्या आप उसको भी लेने की व्यवस्था करेंगे ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मेरा जहां तक खयाल है इसमें एक दो ऐसे आदमी हैं । लेकिन में देख लूंगा, अगर प्राचीन पद्धति का कोई विद्वान नहीं है तो उसको भी मैं ले लूंगा ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*२०७७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कार्य के बारे में एस्टीमेट की सातवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों में से कौन सी सिफारिशें अब तक कार्यान्वित की गई हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट की जांच करने के बाद, एक ब्योरे सहित रिपोर्ट पार्लियामेन्ट की एस्टीमेट कमेटी को भेज दी गई है । इस कमेटी की बहुत सी सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं । कुछ सिफारिशें मंजूर नहीं की गई हैं जिनकी वजह ब्योरे सहित रिपोर्ट में दी गई है । वह रिपोर्ट जो पार्लियामेन्ट को भेजी गई है काफी ब्योरे के साथ है और उसमें इस बारे में पूरी जानकारी दी हुई है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह तो कायदे के मुताबिक ही सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : जो सिफारिशें एस्टीमेट्स कमेटी देती है और उनमें से गवर्नमेंट जिन को स्वीकार नहीं करती है तो क्या वे सिफारिशें फिर उस कमेटी के पास विचार के लिये आती हैं और उसके बाद जो पुनः गवर्नमेंट के पास जाती हैं, क्या उन पर अमल किया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन : जो सिफारिशें एस्टीमेट्स कमेटी करती हैं उनमें से जो गवर्नमेंट मंजूर करती है उन पर तो मिनिस्टरी अमल कर लेती है और जो किसी वजह से मंजूर नहीं हो सकतीं उनको वह मिनिस्टरी अपनी वजूहात के साथ एस्टीमेट्स कमेटी के पास भेज देती है और एस्टीमेट्स कमेटी की जो राय हो उसके साथ में वह फिर यहां पर सभा-पटल पर रखी जाती है ।

रेलवे पुल

*२०७९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी रेलवे के दरभंगा-निर्मली तथा सकरी-जयनगर विभाग के रेलवे पुलों को बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिये ऊपर उठाया तथा विस्तृत किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन पुलों को उठाया तथा विस्तत किया जायेगा ;

(ग) प्रत्येक पुल का प्राक्कलित मूल्य क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). घोगरडिहा तथा निर्मली स्टेशनों के बीच पुल संख्या १४३ और १४५ जिनका प्राक्कलित व्यय ३१,५०० रुपये तथा ३६,३०० रुपये है, मधुबनी तथा राजनगर स्टेशनों के बीच पुल संख्या १०, १०क, ११, ११क और १२ पर प्राक्कलित व्यय क्रमश: ६,००० रुपये, ३,००० रुपये, ३,००० रुपये, २,६०,००० रुपये तथा १,००० रुपये हैं ।

(घ) निर्मली घोगरडिहा खंड का स्तर ऊंचा करने का कार्य चल रहा है तथा मधुबनी-राजनगर खंड का स्तर ऊंचा करने की योजना विचाराधीन है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को ज्ञात है कि कई अन्य छोटे पुल बाढ़ क दौरान पानी से भर जाते हैं जिससे कि रेल की पटरियां डब जाती हैं और रेलवे यातायात रुक जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पुलों का स्तर ऊंचा करने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : इस लाइन के सारे पुल तथा जहां आवश्यक होगा वहां अन्य उल्लिखित पुल भी बाढ़ के पानी को पटरी पर आने से रोकने के लिये स्तर में ऊंचे उठाये जायेंगे । ये समस्त कार्य किये जायेंगे तथा हमारे पास वर्ष भर खुली रहने वाली लाइन होगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या दरभंगा से निर्मली तक की सारी रेलवे लाइन को नव-निर्मित कोसी बन्ध के समतल लाने के लये ऊंचा उठाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : जहां कहीं भी आवश्यकता हो लाइन ऊंची उठाई जा रही है तथा बन्ध भी ऊंचे उठाये जा रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अन्य खंडों के सम्बन्ध में भी जांच की जा रही है और यदि हां, तो यह कार्य किस अभिकरण द्वारा किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : स्वभाविक है कि रेलवे के द्वारा किया जा रहा है किन्तु अन्य खंडों के सम्बन्ध में मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी ।

बोरी साफ करने की मशीन

*२०८०. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **संचार** मंत्री २४ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में बोरी साफ करने की जो मशीन लगायी जा रही है, उसकी लागत क्या है; और

(ख) इस मशीन के काम करने से कितने समय और धन की बचत होने की सम्भावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५५,७०६ रुपये ।

(ख) इस मशीन के प्रयोग में लाने से तात्कालिक किसी आर्थिक बचत की सम्भावना नहीं है; परन्तु इससे समय में बचत होगी, क्योंकि हाथ की अपेक्षा मशीन से थैलों की सफाई कहीं जल्दी हो सकती है । साथ ही मशीन से थैलों की सफाई पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी हो सकेगी, एवं इस प्रकार से काम करने वालों के स्वास्थ्य-सम्बन्धी वातावरण में भी सुधार हो सकेगा ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह कारवाई और दूसरे पोस्ट आफिसों में भी काम में लाई जायेगी ?

राज बहादुर : पोस्ट आफिसों में जो थैले इस्तेमाल किये जाते हैं वह जूट के होते हैं और वह आने जाने में काफी गन्दे हो जाते हैं और मशीन से थैलों की जल्दी सफाई हो सकती है ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कारवाई दूसरे पोस्ट आफिसों में भी काम में लाई जायेगी ?

श्री राज बहादुर : बम्बई वगैरह में जो डाक के थैले आते हैं वह सारे ज़माने से घूम कर कलकत्ते में पहुंचते हैं और कलकत्ते में उनकी सफाई होगी और सारे देश को उससे फायदा पहुंच सकता है ।

स्वविवेक के अनुदान

*२०८१. **डा० सत्यवादी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री सभा-पटल पर १९५४–५५ के दौरान उनके स्वविवेक के अनुदान के व्यय का विवरण दिखाने का एक विवरण रखने की कृपा करेंगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता हैं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४७]**

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले साल इस फंड में से कितना रुपया मंजूर किया गया था और इस साल कितना रुपया रखा गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : वर्ष १९५४–५५ के लिये ३ लाख की व्यवस्था थी और वर्ष १९५५–५६ के लिये ५ लाख की व्यवस्था है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि सहायता के लिये कोई ऐसी दरख्वास्तें भी हैं जो कि नामंजूर की गई हैं; अगर हैं, तो कितनी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि कितनी प्रार्थनायें अस्वीकार की गईं ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): यह कहना असम्भव है कि कितनी प्रार्थनायें अस्वीकार की गईं । किन्तु प्रार्थनायें केवल इस कारण अस्वीकार की गईं कि जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि संस्थायें उपयुक्त रीति से कार्य नहीं कर रही हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली के संत परमानन्द आई अस्पताल को प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया जाता था और क्या वह इस बार भी दिया गया है, यदि दिया गया है तो कितना और यदि नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस अस्पताल को कई बार अनुदान दिया गया है । लेकिन इस फंड में एक कंडिशन है कि हर साल उसको कम नहीं दे सकते हैं, इसलिये कभी कभी न भी करनी पड़ती है ।

डा० सत्यवादी : यह जो टी० बी० अस्पताल और सैनाटोरियम हैं जिन्हें आप सहायता देते हैं, क्या आपने इस बात पर भी विचार किया है कि वहां हरिजनों और आदिवासियों के लिये कुछ बैड अलहदा रख दिये जायेंगे ?

राजकुमारी अमृत कौर : मेरे पास कोई खास दरख्वास्त नहीं आई है कि हरिजनों के लिये कोई विशेष पलंग रखे जायें । अगर आयेगी तो उस पर ज़रूर विचार किया जायेगा ।

शासकीय (आफीशियल) यात्रा संगठन का सम्मेलन

*२०८४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १७ अक्तूबर, १९५५ को होने वाले आफीशियल यात्रा संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सम्मेलन का उद्देश्य क्या है और

(ख) सम्मेलन को सफल बनाने के लिये सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लोक-सभा-पटल पर आफीशियल यात्रा संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के उद्देश्य तथा लक्ष्यों का एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४८]** संघ की एक सामान्य सभा है जो कि प्रतिवर्ष सम्मेलन करती है । सामान्य सभा का वार्षिक सम्मेलन १९ अक्तूबर से २५ अक्तूबर, १९५५ तक दिल्ली में होगा इससे पूर्व १७ अक्तूबर, १९५५ से संघ की कार्यकारिका समिति की बैठक प्रारम्भ हो जायेगी ।

(ख) भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय इस संघ का एक सदस्य है और वह आतिथेय बनेगा । वह संघ सरकार को सम्मेलन की व्यवस्था में तथा सम्मेलन के लिये स्थान की व्यवस्था, प्रतिनिधियों के लिये रहने की व्यवस्था तथा भारत के दर्शनीय स्थानों की निःशुल्क यात्रा तथा कई सामाजिक सम्मेलनों म सत्कार इत्यादि में सहायता दे रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : सभा-पटल पर जो विवरण रखा गया है, इससे ज्ञात होता है कि इस संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य बहुत ही महान्, विशाल और उदार हैं । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले चार पांच वर्षों में जब से कि भारत इस संस्था का सदस्य है, इन उद्देश्यों की पूर्ति में कहां तक प्रगति हुई है और खासकर हमारे देश को क्या लाभ पहुंचा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह लाभ ऐसा होता है कि साक्षात् दिखलाई नहीं पड़ता । लेकिन इसमें दूसरों को मिलने का मौका मिलता है । हमारे देश के जो प्रतिनिधि जाते हैं और जो दूसरे देशों के प्रतिनिधि आते हैं उनको इस बात पर विचार करने का मौका मिलता है कि टूरिज्म को किस तरह बढ़ाया जा सकता है और इसको बढ़ाने का हम इंतिजाम भी करते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कान्फ्रेंस के फलस्वरूप टूरिज्म किस हद तक बढ़ी है और कितने विदेशी पर्यटक इसके फलस्वरूप भारत आये हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस कान्फ्रेंस का भी कुछ असर है और दूसरे कारण भी होते हैं । लेकिन संख्या बराबर बढ़ती ही जा रही है । मैं ठीक ठीक संख्या तो इस वक्त नहीं बता सकता हूं लेकिन लगभग ३०,००० से ऊपर लोग बाहर से यहां आये हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृषि कालेज

*२०३७. **श्री झूलन सिंह :**
श्री आर० सी० शर्मा :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने कृषि कालेजों को सुदृढ़ बनाने के लिये संघ सरकार से वित्तीय सहायता की प्रार्थना की है; और

(ख) उस पर क्या निश्चय किया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पंजाब, पेप्सू, मैसूर, आसाम, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और बिहार ने केन्द्रीय सरकार से नये कृषि कालेजों को खोलने अथवा वर्तमान कालेजों को सुदृढ़ बनाने के लिये संघ सरकार से वित्तीय सहायता की प्रार्थना की है ।

(ख) भारत सरकार ने प्रदेशीय आधार पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में आवश्यक तथा उपलब्ध कृषि स्नातकों को

ध्यान में रख कर इन राज्यसरकारों को वित्तीय सहायता दी है :

(१) बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और मद्रास को उनके वर्तमान कृषि कालेजों को सुदृढ़ करने के लिये तथा स्थायी रूप से उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता दी है; और

(२) पंजाब, राजस्थान, त्रावनकोर-कोचीन को सरकारों को नये कालेज स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता दी है ।

भारत सरकार स्वीकृत अनावर्त्तक व्यय का ७५ प्रतिशत देगी । राज्य सरकारें अनावर्त्तक व्यय का २५ प्रतिशत तथा कुल आवर्त्तक व्यय देंगी

तारों का पहुंचाया जाना

*२०४२. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मई, १९५५ से देश में तारों तथा पत्रों के देर से पहुचाये जाने के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) य शिकायतें सामान्यत: किस प्रकार की थीं; और

(ग) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) (१) तार ५,६३७

(२) चिट्ठियां १४,४२१

(ख) अनुमान है कि माननीय सदस्य ऐसी शिकायतों के सामान्य कारणों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं । विलम्ब दोनों ही कारणों से हो सकता है । डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की असावधानी के कारण अथवा प्राकृतिक कारणों से डाक तथा तार संचार में बाधा हो जाने, अथवा डाक-तार के यातायात के असाधारण आधिक्य अथवा जनता के पूरे पते न लिखने के कारण विलम्ब हो सकता है ।

(ग) जहां कर्मचारियों की गलती पाई जाती है वहां उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है । भंग हुए संचार साधनों को ठीक करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाती है । जनता को अपनी वस्तुओं पर सही पते लिखना सिखलाने के लिये प्रचार के साधन भी अपनाये जाते हैं ।

विमान यात्रा

*२०४३. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तारीख से देश में सस्ती विमान यात्रा पद्धति जारी की जायेगी;

(ख) क्या यह सस्ती विमान यात्रा पद्धति आन्तरिक तथा वैदेशिक दोनों सेवाओं में प्रयुक्त होगी;

(ग) आन्तरिक विमान सेवाओं में अनुमानत: कितना भाड़ा लगेगा; और

(घ) क्या सस्ती विमान यात्रा की सुविधायें उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहेंगी जो कि विमान मार्गों से सम्बन्धित हैं अथवा नये मार्ग खोले जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) देश में विमान यात्रा की दर सस्ती करने का अभी कोई विचार नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेलवे के सम्बन्ध में शिकायतें

*२०४५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे उपमंत्री ने हाल ही में आसाम का दौरा किया ;

(ख) क्या उन्हें वहां रेलों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने कितनी शिकायतें प्राप्त की हैं ; और

(घ) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) और (घ). लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४९]**

रेलवे में भर्ती

*२०४७. **श्री गणपति राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में साम्प्रदायिक रक्षण के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों का साम्प्रदायिक सूची के अनुसार नियुक्त नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं । उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धि के अनुसार अधिकतम सीमा तक साम्प्रदायिक रक्षण के आदेशों का पालन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). आयोग द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों को रेलवे द्वारा बनाई गयी सूची के अनुसार नियुक्त किया गया है ।

रेलगाडियां

*२०४९. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कितनी गाड़ियां हैं, जिनमें इस समय ब्रेकपावर नियमों के अधीन आवश्यक गाड़ियों को छोड़कर, अनुसूची से कम डिब्बे लगते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५०]**

रेलवे स्कूल

*२०५०. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में रेलवे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में हरिजन बालकों से पूरी फीस ली जाती है जब कि उसी राज्य की सरकार प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक निःशुल्क शिक्षा देती है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे प्राथमिक स्कूलों में भी सब विद्यार्थियों से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कक्षाओं में क्रमशः अधिकतम शुल्क चार आना, छः आना, आठ आना और दस आना लिया जा रहा है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दो भाइयों में से किसी को भी आधी फीस की रियायत नहीं दी जाती ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार को यह मालूम नहीं है कि मध्य प्रदेश में हरिजन बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । यह पता चला है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी हाल में हिदायत जारी की गयी है कि जब तक

इस सवाल पर फैसला न हो जाये, हरिजन विद्यार्थियों से हाई स्कूल तक फीस न ली जाये । इसके अनुसार रेलवे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से भी फ़ीस न लेने के सवाल पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

कामिट विमान

*२०५२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कामिट विमानों के लिये आर्डर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कब तक आ जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). १९५३ में एयर इंडिया इन्टरनेशनल, लिमिटेड ने २ कामिट–मार्क–३ की खरीद का आर्डर दिया था । जांच आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, जिसने बी० ओ० ए० सी० कामिटों के टकराने की जांच की थी, मैसर्ज डी० हैवीलैंड एयरक्राफ्ट कम्पनी लिमिटेड ने, जो कि कामिटों के निर्माता थे, मार्क ३ प्रकार के विमान बनाने की परियोजना को त्याग दिया । इस स्थिति में एयर इंडिया इन्टरनेशनल कार्पोरेशन ने मार्क ३ विमानों का आर्डर रद्द कर दिया । इसलिये मैं सोचता हूं कि इस समय कामिट विमानों के लिये कोई आर्डर नहीं है ।

रेलवे वर्कशाप, खडगपुर

*२०५३. **श्री सुबोद हासदा** : क्या **श्रम** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ के दौरान कामदिलाऊ दफ्तरों में पंजीयित ८०४ व्यक्तियों में से केवल एक अनुसूचित आदिम-जाति का व्यक्ति लिया गया जबकि कारखानों के विभिन्न विभागों में अभ्यर्थियों की काफी मांग थी ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : १९५४-५५ के दौरान खड़गपुर कामदिलाऊ दफ्तर में पंजीयित ८०४ अनुसूचित आदिम जाति के प्रार्थियों में से २४७ को सरकार क विभिन्न संस्थानों में स्थान दिया गया । १५ व्यक्तियों को खड़गपुर रेलवे वर्कशाप के विभिन्न स्थानों में भेजा गया, जिनमें से एक व्यक्ति को नियुक्त कर लिया गया । अन्य व्यक्तियों के मामले के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है ।

नीरा का विक्रय

*२०५४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में रेलवे बोर्ड ने पटना और गया रेलवे स्टेशनों पर नीरा विक्रय की मंजूरी दी है ?

(ख) क्या अन्य स्टेशनों पर भी इस पेय के विक्रय की अनुमति है ;

(ग) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(घ) किन शर्तों पर इसके विक्रय की अनुमति दी गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूर्वी रेलवे प्रशासन के पटना और गया स्टेशनों पर नीरा के विक्रय की अनुज्ञा दी है ।

(ख) जी हां, पश्चिमी, मध्य और दक्षिण-पूर्वी रेलों के कई स्टेशनों पर ।

(ग) और (घ). लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५१]

लौह अयस्क (लोहे की कच्ची धातु) का निर्यात

*२०६३. **श्री देवगम** : क्या **परिवहन** मंत्री ६ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, १९५५ तक की अवधि में किदरपुर, पोतघाट से जो लोहे की कच्ची धातु औसत रूप में प्रति मास बाहर भेजी गई वह भेजे गये कुल सामान का कितने प्रतिशत है;

(ख) वर्ष १९५२, १९५३ और १९५४ के तत्स्थानी महीनों में हुए कुल निर्यात की तुलना में यह औसत निर्यात कैसा बैठता है;

(ग) जनवरी से जून, १९५५ तक इस निर्यात में यदि कुछ चिन्तय गिरावट हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अगस्त, १९५५ में निर्यात बढ़ जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जनवरी से जून, १९५५ तक प्रत्येक प्रकार के अयस्क का प्रत्यक्ष रूप से औसत मासिक निर्यात ८·९ प्रतिशत था। लौह अयस्क के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) १९५४ की तत्स्थानी अवधि की तुलना में लगभग ९·७ प्रतिशत। १९५२ और १९५३ के आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). सरकार को इस प्रकार के उतार-चढ़ाव के कारण मालूम नहीं।

रेल के सिगनल (पथ-संकेत)

*२०६५. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे पर मान्य सीमाफ़ोन (संकेतबाहु) सिगनलों के स्थान पर नये प्रकार के सिगनल लगाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन स्टेशनों पर नये प्रकार के सिगनल लगाये गये हैं उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उन पर कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, कुछ एक खण्डों पर।

(ख) लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५२]

(ग) ७,५८,००० रुपये।

टेलीप्रिंटर (दूर-मुद्रण)

*२०७१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी हाल में अंश और मुद्रा बाज़ार के आढ़तियों को बम्बई और कलकत्ता के बीच संवाद-संप्रेषण के लिये छः टेलीप्रिंटर आयात और स्थापित करने की आज्ञा दी है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उन्हें यह आज्ञा मिली है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन टेलीप्रिंटरों के प्रयोग से ट्रंक टेलीफ़ोन आय में कमी होगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक को टेलीप्रिंटरों के आयात का कोई ज्ञान नहीं। यों तो उक्त विभाग ने कई पार्टियों को टेलीप्रिंटर सम्पर्क पट्टे पर देने की स्वीकृति दी है।

(ख) सरदार अमर सिंह सहगल की पूर्वसूचना के सिलसिले में २३-१२-५४ को संचार मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को पढ़ा जाये।

(ग) हो सकता है कि इन पार्टियों ने ट्रंक टेलीफ़ोन की संख्या कम कर दी हो जिससे आय में कुछ कमी हुई हो, किन्तु टेलीप्रिंटर सम्पर्क से प्राप्त होने वाले किराये से यह कमी पूरी होगी।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

माल का यातायात

*२०७८. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ी से तेजपुर से अमीनगांव तक और वहां से वापिस तेजपुर तक, जो कुल ८० मील का फ़ासला है, माल ले जाये जाने में प्रायः एक महीना लगता है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अमीनगांव से तेजपुर तक ११६ मील हैं, न कि ८० मील, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। अमीनगांव और तेजपुर तक माल-डिब्बों के आने-जाने में साधारणतः तीन-चार दिन लगते हैं और दो सौ पौण्ड से कम के माल के लाने-लेजाने में और एक दिन लगता है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रेल दुर्घटना

*२०८५. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ९ सितम्बर, १९५५ को डॉक यार्ड रोड स्टेशन, बम्बई पर दो उपनगरीय बिजली से चलने वाली रेलों के टकराने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). बम्बई स्थित रेलवे के सरकारी निरीक्षक इस भिड़न्त की विधिवत् जांच कर रहे हैं जिसका कारण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विदित हो जायेगा।

नेपाल में विमान दुर्घटना

*२०८६. **श्री कामत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई १९५५ में नेपाल में भैरव नामक स्थान पर इंडियन एअरलाइन्स कार्पोरेशन के एक विमान की दुर्घटना हो गई;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में जान-माल की कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मैं आवश्यक सूचना का विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५३]**

डाक व तार घर के भवन

*२०८७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में कितने डाकघर सरकारी भवनों में हैं और कितने किराये पर लिये गये भवनों में हैं; और

(ख) किराये पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३०२ डाकघर विभाग की इमारतों में रखे गये हैं और १०७ किराये के मकानों में हैं।

(ख) किराये के मकानों में विद्यमान डाकघरों के लिये ३५,५४६ रुपये ९ आने प्रति वर्ष किराया दिया जाता है ।

इंजिन, डिब्बे आदि

*२०८८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल के इंजिन, डिब्बे आदि के लिये फ्रांस की कुछ फर्मों को आर्डर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५४]**

कटिहार-सोनपुर रेलवे लाइन

*२०८९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी रेलवे के कटिहार–सोनपुर मार्ग को दोहरा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नहीं, श्रीमान्। इस समय तो केवल सोनपुर–हाजीपुर लाइन को ही दोहरा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) इस खण्ड को दोहरा करने का निश्चय अगले वर्ष के प्रारम्भ में किये जाने की आशा है ।

भोराली नदी पर पुल

*२०९०. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **परिवहन** मंत्री १७ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आसाम में भोराली नदी पर पुल बनाने के स्थान पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक निश्चय किये जाने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उसकी समाप्ति पर पुल के स्थान का निश्चय किया जायेगा ।

सोने की छड़ों की चोरी

१०७२. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री १० मार्च, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने की छड़ों की चोरी के बारे में की गई खोज पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, अभी नहीं ।

(ख) अभी तक सात आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और ६०,००० रुपये की कीमत का सोना प्राप्त कर लिया गया है ।

जंजीर का खींचा जाना

१०७३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में भारतीय रेलों पर जंजीर खींचने के कितने मामले हुए;

(ख) कितने मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) कितने लोगों पर मुकदमे चलाये गये; और

(घ) कितने मामलों में जंजीर खींचने वालों का पता नहीं चला ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ४०,३७५ ।

(ख) ५११ ।

(ग) ५०८ ।

(घ) २२,४८४ ।

द्वि प्रयोजनीय ढोर

१०७४. श्री वी० बी० गांधी : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार द्वि प्रयोजनीय ढोर के पालन-पोषण की योजना चलाना चाहती है जो वाहन तथा दूध के उद्देश्यों के लिये ठीक हों ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : ढोरों का पालन-पोषण कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । वे ही इसके लिये मुख्यतया उत्तरदायी हैं । केन्द्रीय सरकार ने एक अखिल भारतीय पालन-पोषण नीति निर्धारित की है जिसमें वाहक ढोरों से, उनकी कार्यक्षमता में हानि पहुंचाये बिना, दूध निकालने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है । राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू करने की सम्मति दी है । इस प्रकार द्वि उद्देशीय ढोरों के लिये केन्द्रीय सरकार के पास कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है ।

कुदरू का पौधा

१०७५. श्री वी० बी० गांधी : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "कुदरू" नामक एक जापानी पौधे का पता है जो ढोरों के चारे के लिये अच्छा है और बहुत कम वर्षा के क्षेत्रों में उगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पौधे के बारे में कोई प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ग) देश में इसे बहुतायत से उगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में किये गये प्रयोगों से पता चला है कि दिसम्बर से जनवरी तक कुदरु की बेलें सफलता से उगाई जा सकती हैं । १३ अन्य तत्वों का निश्चय किया गया था । इनके परिणामों से समस्त राज्य सरकारों को अवगत कर दिया गया है और उन्हें 'इंडियन फार्मिंग' (जनवरी १९५५ के अंक) में भी प्रकाशित किया गया था । सामुदायिक परियोजना प्रशासन ने विकास-आयुक्तों से सिफ़ारिश की है कि उन परियोजना क्षेत्रों में कुदरु बोया जाये जहां की जलवायु उसके अनुकल हो । भारतीय कृषि गवेषणा द्वारा उसके बीज दिये जा रहे हैं ।

आलू परिरक्षण

१०७६. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि-गवेषणा संस्थाओं द्वारा एक ऐसा तरीका निकाला गया है कि ग्राम-क्षेत्रों में बिना बिजली अथवा शीतयंत्रागारों के आलू का परिरक्षण किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५५]**

यात्रियों को सुविधायें

१०७७. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री ये सुविधायें रेलवे स्टेशनों पर देने के मुख्य सिद्धान्तों के बारे में सभा-पटल पर विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(१) प्रतीक्षालय (उनके आकार और विस्तार ;

(२) प्लेटफार्मों की बेन्चें;

(३) पानी के नल, कुएं और हैण्ड पम्प:

(४) प्लेटफार्म का स्तर;

(५) शौचालय;

(६) मूत्रालय;

(७) प्लेटफार्मों पर स्नानागार; और

(८) प्रतीक्षालयों का फर्नीचर ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सुविधा देने के जो मुख्य सिद्धान्त हैं, वे नीचे दिये जाते हैं । वे हमारे आधारभूत हैं ।

(१) (क) छोटे स्टेशनों पर प्रतीक्षा सुविधायें एक बार में आने वाले अधिकतम यात्रियों के (मेले के यातायात को छोड़कर ६७ प्रतिशत के लिये दी जा सकती हैं;

(ख) बड़े स्टेशनों पर प्रतीक्षा सुविधायें एक बार में आने वाले अधिकतम यात्रियों के (मेले के यातायात को छोड़ कर) ४५ प्रतिशत लिये दी जा सकती है । प्रतीक्षालयों में (जैसा कि (क) और (ख) में हिसाब लगाया गया है) प्रति यात्री के लिये कम-से-कम १५ वर्ग फीट की भूमि होती है ।

(२) जैसा कि (क) और (ख) में हिसाब लगाया गया है, प्रति १०० यात्रियों के लिये २० सीटें दी जाती है ।

(३) जैसा कि (क) और (ख) में हसाब लगाया गया है, प्रति सौ यात्रियों के लिये दो से कम पीने के पानी के नल नहीं लगाये जाते और यदि उनकी संख्या अधिक होती है तो एक नल स्त्रियों के लिये रखा जाता है ।

जहां प्लेटफार्मों पर नलों द्वारा पानी पिलाया जाता है वहां उसके साथ, डिब्बों में बैठे हुए यात्रियों को पानी पिलाने के लिये ठेलों में घड़े रखे जाते हैं । ऐसे ठेलों की संख्या जलवायु पर निर्भर करती है ।

(४) बड़ी लाइन : हमारा लक्ष्य मुख्य लाइन के मुख्य स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्म बनवाना, कुछ कम महत्व के स्टेशनों पर मध्यम स्तर के प्लेटफार्म बनवाना और बिना महत्व के स्टेशनों पर पटरी के स्तर के प्लेटफा बनवाना है ।

सकरी लाइन : मुख्य लाइन के स्टेशनों पर मध्यम प्लेटफार्म बनवाना और बड़ी लाइन की ही भांति इस में भी जो स्टेशन ऊंचे प्लेटफार्म बनाने के योग्य नहीं हैं वहां पटरी के स्तर के प्लेटफार्म बनवाना है ।

छोटी बड़ी लाइनों की शाखा लाइनें : जैसा कि बड़ी लाइन के लिये है वैसा ही यहां भी किया जायेगा। केवल ऊंचे स्तर के स्टेशनों के स्थान पर मध्यम स्तर के प्लेटफार्म बनवाये जायेंगे ।

(५) जैसा कि (क) और (ख) में हिसाब लगाया गया है, प्रतिशत यात्रियों के लिये शौचालय में चार से कम सीट नहीं होतीं ।

जहां जहां सम्भव है वहां शौचालय में फ्लश की व्यवस्था होती है। जहां ऐसा नहीं है वहां प्रत्येक आठ सीटों के लिये एक जमादार होता है ।

(६) बड़े स्टेशनों पर प्रति पचास प्रतीक्षक यात्रियों के लिये एक मूत्रालय का प्रबन्ध किया जाता है ।

(७) जैसा कि (क) और (ख) में हिसाब लगाया गया है, जंकशनों और अन्तिम स्टेशनों पर जहां नल का पानी उपलब्ध होता है, वहां प्रति २०० प्रतीक्षक यात्रियों के लिये एक स्नानागार का प्रबन्ध होता है। जब उनकी संख्या दो से अधिक होती है तो उनमें से एक में दरवाज़े लगाये जा सकते हैं और उसे स्त्रियों के लिये रखा जाता है ।

(८) यह तो प्रतीक्षालय के आकार पर निर्भर है ।

रेलवे स्टेशनों का सुधार

१०७८. श्री कामत : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य रेलवे के करकबेल, बोहनी और बगराघना रेलवे स्टेशनों को विस्तार एवं सुधार के लिये शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी विस्तार एवं सुधार योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उनके सुधार एवं विस्तार की क्या संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सुधार एवं विस्तार की मुख्य बातें ये थीं---प्लेटफार्म पर फर्श लगाना, तृतीय श्रेणी के मुसाफ़िरखाने बनवाना, बेंचें, शौचालय और पानी का अधिक अच्छा प्रबन्ध करना ।

(ग) अग्रेतर विकास विचाराधीन हैं ।

सेमरीहरचन्द में डाकघर

१०७९. श्री कामत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार होशंगाबाद ज़िला (मध्य प्रदेश) की सुहागपुर तहसील में सेमरीहरचन्द (गुर्रमखेड़ी) में डाकघर खोलना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) होशंगाबाद जिले में सेमरीहरचन्द में एक शाखा-डाकघर पहले ही मौजूद है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सड़क दुर्घटनायें

१०८०. { श्री विभति मिश्र : / श्री रघुनाथ सिंह :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में (जून १९५५ तक) सड़क दुर्घटनाओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) मृतकों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी का विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५६]**

गेहूं

१०८१. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के स्टाक में इस समय आयात किये हुये गेहूं की कुल कितनी मात्रा है ;

(ख) १९५४–५५ में आयात किये हुये गेहूं की कुल कितनी मात्रा बेची गई ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में सरकार ने स्थानीय बाजार से गेहूं की कुल कितनी मात्रा खरीदी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ४ सितम्बर, १९५५ को केन्द्रीय रक्षित डिपोओं में २.८ लाख टन गेहूं था ।

(ख) केन्द्रीय विक्रय डिपोओं में ५.९ लाख टन ।

(ग) ०.३ लाख टन ।

स्त्रियों को नौकर रखना

१०८२. **श्री इब्राहीम** : क्या **श्रम मंत्री** १४ मार्च, १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या ८८६ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में नौकरी दफ्तरों के द्वारा उन में से कितनी प्रतिशत स्त्रियों ने जिन्होंने उनके द्वारा नौकरी के लिये आवेदन किये थे, नौकरियां प्राप्त की हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : १४.९ प्रतिशत ।

दूध का उत्पादन

१०८३. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० या १९५४ में भारत में दूध का उत्पादन पृथकतः कितना-कितना हुआ ; और

(ख) इन वर्षों में भारत में इसकी प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी १९५० तथा १९५४ के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं है । किन्तु १९५१ में दूध का अनुमानित उत्पादन ४,६९७.७८ लाख मन था और प्रति व्यक्ति दैनिक खपत ४.७ औंस थी ।

आउट एजेंसियां

१०८४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री १२ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तब से किन स्थानों पर नई आऊट एजेंसियां खोली गई हैं ; और

(ख) तब से किन नये स्थानों को सूची में सम्मिलित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). मांगी गयी सूचना का विवरण साथ नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५७]**

हिन्दी में तार

१०८५. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में तारघरों द्वारा कितने तार देवनागरी लिपि में प्राप्त किये गये ;

(ख) १९५४–५५ में इन तारों से कितनी आय हुई ; और

(ग) इसी अवधि में इन तारों के देने तथा पहुंचाने पर कितनी रकम व्यय हुई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ४५,५१० ।

(ख) और (ग). १९५४–५५ में इन तारों से हुई आय तथा उनके देने तथा पहुंचाने पर हुये व्यय का हिसाब लगाया नहीं जा सकता है क्योंकि ऐसे आंकड़े डाक तथा तार विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

सार्वजनिक टेलीफोन

१०८६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में कितने सार्वजनिक टेलीफोन और टेलीफ़ोन एक्सचेंज हैं ; और

(ख) १९५५–५६ में कितने और नये खोले जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३०–६–५५ को ६३ आम टेलीफ़ोन घर और २१ टेलीफ़ोन केन्द्र थे ।

(ख) १९५५–५६ में १७ आम टेलीफ़ोन घर और ६ टेलीफ़ोन केन्द्र, तथा १९५६–५७ में लगभग २० आम टेलीफ़ोन घर व ५ टेलीफ़ोन केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है ।

माल डिब्बों की कमी

१०८७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी रेलवे के पूसा रोड स्टेशन पर माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण आम शीघ्र नहीं भेजे जा सकते ;

(ख) व्यापारियों द्वारा की गई मांग के किस अनुपात में उन्हें डिब्बे दिये गये ;

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये किस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है या किये जाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) शायद मतलब पूर्वोत्तर रेलवे के पूसा रोड स्टेशन से है क्योंकि पूर्व रेलवे में इस नाम का स्टेशन नहीं है । इस स्टेशन पर बाहर भेजने के लिये जो आम जाते हैं उन्हें जल्द भेजने का प्रबन्ध किया जाता है ।

(ख) २–७–५५ से १८–८–५५ के बीच पूसा रोड स्टेशन से आम भेजने के लिये जो डिब्बे मांगे और दिये गये उनका विवरण इस प्रकार है :—

	मांगे गये डिब्बों की संख्या	दिये गये डिब्बों की संख्या	रद्द की गयी मांगें	रजिस्टर में दर्ज मांगें जो पूरी नहीं की जा सकीं
माल गाड़ी की दर पर	५९	५८	१	कोई नहीं
सवारी/पार्सल गाड़ी की दर पर (पार्सल या सवारी गाड़ी से ले जाने के लिये)	२९४	२७८	१२	४ (१८–८–५५ को दर्ज की गई)

(ग) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे स्कूल

१०८८. श्री सगण्णा : क्या **रेलव** मंत्री ८ अगस्त, १९५५ के दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर स्थित रायगढ़ का रेलवे स्कूल रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त सर्वसामान्य जनता के लिये भी खुला हुआ है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार इस स्कूल के शिक्षा सम्बन्धी पहलू पर कोई निरीक्षणीय नियंत्रण रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां श्रीमान्, रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के बाद जितने स्थान शेष रहते हैं उसी सीमा तक ।

(ख) इस स्कूल का उड़ीसा के स्कूलों के निरीक्षक द्वारा साविधिक निरीक्षण किया जाता है जिसका अनुमोदन अध्ययन पाठ्यक्रम तथा विभिन्न श्रेणियों की व्योरेवार पाठ्यचारिका के लिय आवश्यक है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

माल के परिवहन में विलम्ब

१०८९. श्री एल० एन० मिश्र : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारियों से यह शिकायतें की गई हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर, समस्तीपुर तथा बनारस जिलों में पार्सलों तथा **अन्य सामान के** यातायात में बहुत अधिक विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होन के मुख्य कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर समस्तीपुर तथा बनारस जिलों में सामान के यातायात में अनावश्यक विलम्ब होने की कुछ शिकायतें रेलवे को प्राप्त हुई हैं ।

(ख) परिवहन में विलम्ब के लिये कतिपय टर्मिनल स्टेशनों, मार्शलिंग यार्डों तथा दोबारा माल पैक करने वाले स्टेशनों ('छोटे' यातायात के सम्बन्ध में) पर आवश्यक रेलवे सुविधाओं की अपर्याप्तता एक मुख्य कारण है। इंजनों की भी कमी है । "साधन तथा उपाय" स्थिति के अनुरूप, सामर्थ्य को बढ़ाने तथा कार्य-संचालन में सुधार करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

रेलवे कर्मचारी

१०९०. { श्री एस० एल० सक्सेना :
श्री वाघमारे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे ने पूर्वी पाकिस्तान के दरसाना रेलवे स्टेशन पर कतिपय निरीक्षक भारत तथा पाकिस्तान के बीच इंजनों की अदला बदली के सम्बन्ध में नियुक्त किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन निरीक्षकों को एक विदेशी क्षेत्र में नियुक्त किये जाने के लिये क्या भत्ता दिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है। इस समय वही वतन तथा भत्ता दिया जा रहा है जो कि भारत में दिया जाता है।

मध्य रेलवे पर प्लेटफार्म

१०९१. श्री एच० जी० वैष्णव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के मनमाड सिकन्दराबाद सैक्शन पर ऐसे कितने स्टेशन हैं जिन पर बग़ैर छत के प्लेटफार्म हैं ;

(ख) उन में कितने स्थान जिलों के प्रधान कार्यालय हैं ;

(ग) क्या इन स्टेशनों पर छत वाले प्लेटफार्म बनाने की प्रस्थापना है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चार महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अर्थात् पूर्निया, नांदेड़, मुदखेड तथा निजामाबाद स्टेशनों पर छत वाले प्लेटफार्म नहीं हैं।

(ख) दो स्टेशन अर्थात् निज़ामाबाद और नान्देड़।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) एक स्टेशन पर कार्य के इसी चालू वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जाने की आशा है जब कि दूसरों पर काम की मंजूरी तथा पूर्ति १९५६–५७ में हो जाने की सम्भावना है।

रेलवे कर्मचारी

१०९२. चौधरी मुहम्मद शफी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी १९५५ से उनके मंत्रालय ने टिकट चैक करने वाले कर्मचारी-वृन्द की मंत्रणा समिति को कितने इंटरव्यू दिये ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो उन स्थानों के नाम तथा तारीखें क्या हैं जिन पर वह इंटरव्यू हुये थे ; और

(ग) यदि कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया तो इसके क्या कारण थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) टिकट चैक करने वाले कर्मचारी वृन्द की मंत्रणा समिति को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार द्वारा विभागीय संस्थाओं को मान्यता नहीं दी गई है।

पूछताछ का दफ्तर

१०९३. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर रेलवे जंकशन पर कोई पूछताछ का दफ्तर खोलने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से काम करना आरम्भ करेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) लगभग दो महीने में।

ऋण सुविधायें

१०९४. श्री देवगम : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४९ और १९५५ के बीच प्रत्येक समय निम्नलिखित व्यापारिक संस्थाओं को रेलवे के भाड़े के भुगतान के लिये स्यालदह अथवा हावड़ा अथवा शालीमार रामकृस्तोपुर में ऋण नोट सम्बन्धी सुविधाय प्राप्त नहीं अथवा प्राप्त हैं :—

(१) मैसर्स जी० डी० डागा एण्ड कम्पनी, ८ केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता

(२) मैसर्स केशोराम कॉटन मिल्स लिमिटेड, रॉयल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता ।

(३) मैसर्स झाझरिया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, १४ नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ; और

(४) मैसर्स हावड़ा फिलोर मिल्स लिमिटेड, रामकृस्तोपुर, हावड़ा ।

(ख) उन में से प्रत्येक द्वारा इस सुविधा को प्राप्त करने के लिये कितनी प्रतिभूति की रकम जमा कराई गई थी ;

(ग) क्या इन समवायों में से किसी ने कभी भी अपनी प्रतिभूति निक्षेप से अधिक के ऋण नोट प्राप्त किये थे ;

(घ) क्या उन में से किसी ने यह ऋण नोट विषयक सुविधा वापस ले ली थी ;

(ङ) यदि हां, तो उस व्यापारिक संस्था का नाम तथा वापस लेने की तारीख और उसके वापस लिये जाने के क्या कारण थे ; और

(च) क्या निक्षिप्त की गई प्रतिभूति पक्ष द्वारा जारी किये ऋण नोट को पूरा करती थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख)	प्रतिभूति की रकम
(१) मैसर्स जी० डी० डागे एण्ड कम्पनी	१,५०० रुपये
(२) मैसर्स केशोराम कॉटन मिल्स लिमिटेड	५०,००० रुपये और इसे अब कम करके १७,००० रुपये कर दिया गया है ।
(३) मैसर्स झाझरिया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	८,००० रुपये
(४) मैसर्स हावड़ा फ्लोर मिल्स लिमिटेड	४,००० रुपये

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) सार्थ का नाम	वापस लेने की तारीख	वापस लेने के कारण
मैसर्स जी० डी० डागा एण्ड कम्पनी	अभी उपलब्ध नहीं है ।	क्योंकि इस संस्था द्वारा जारी किया गया एक चैक जो कि ऋण नोट के बकाया के भुगतान के लिये दिया गया था, बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और बार बार प्रार्थनायें किये जाने पर भी शेष रकम नहीं दी गई ।
मैसर्स झाझरिया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	अभी उपलब्ध नहीं है ।	ऋण नोट बिलों पर इस संस्था के जिम्मे बहुत बकाया था जिसका भुगतान करने के लिये इस सार्थ से कहा कया था । साथ ही उनके यातायात सम्बन्धी सौदों के सममात्रिक एक अतिरिक्त प्रतिभूति मांगी गई थी किन्तु वह बकाया रकम का भुगतान करने और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा कराने में असमर्थ रहे ।

(च) जी हां, केवल उन दो सार्थों को छोड़ कर जिनका निर्देश प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में किया गया है ।

लोह अयस्क

१०९५. **श्री देवगम**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खान स्वामियों के नाम जिनके लौह अयस्क बादाम पहाड़ तथा कुलडीह स्टेशन से खिदिरपुर गोदी को भेज गये ; और

(ख) १–१–१९५३ से ३–८–१९५३, १–४–१९५३ से ३१–१२–१९५३, १–१–१९५४ से ३१–१२–१९५४ तथा १–१–१९५५ से ३०–६–१९५५ तक उन में से प्रत्येक द्वारा पृथक् पृथक् अयस्क की कितनी मात्रा भेजी गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) (१) मैसर्स एच० एन० ठाकुर एण्ड सन्स लिमिटेड, ५४, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता ; और

(२) श्री गजानन्द पाडिया १४३/१/१ कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता ।

(ख) प्रत्येक खान स्वामी सम्बन्धी यह जानकारी पृथक् रूप से उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु १–१–५३ से ३१–३–५३, १–४–५३ से ३१–१२–५३, १–१–५४ से ३१–१२–५४ और १–१–५५ से ३०–६–५५ तक की अवधि में बादामपहाड़ तथा कुलडीह स्टेशनों से खिदिरपुर गोदी के लिये अयस्क से लाये गये माल डिब्बों की वास्तविक संख्या नीचे दी जाती है —

अवधि	इन स्टेशनों से अयस्क का डिब्बों में लादा जाना बादाम- पहाड़	कुलडीह
१–१–५३ से ३१–३–५३	७१	११५०
१–४–५३ से ३१–१२–५३	८२१	२८६३
१–१–५४ से ३१–१२–५४	१२२१	९०२
१–१–५५ से ३०–६–५५	३२५	३१९

बैलगाड़ी

१०९६. **श्री काजरोल्कर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन बैलगाड़ी वालों को जो कि अपनी बैल गाड़ियों के पहियों में हवा भरे टायरों का उपयोग करते हैं, कोई वित्तीय सहायता दिये जाने की प्रस्थापना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हाल ही में राज्य परिवहन आयुक्तों तथा नियंत्रकों के एक सम्मेलन में एक सुझाव रखा गया था कि हवा भरे टायरों वाली बैलगाड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा १.२५ से २.५ करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाये । अभी तक भारत सरकार न इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

१०९७. **डा० रामा राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी कि :

(क) करौलबाग (प्रह्लाद मार्केट के निकट) में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के

चिकित्सालय के भवन के लिये सरकार द्वारा कितना किराया दिया जाता है ;

(ख) उसके निकट के "डी" टाईप के सरकारी क्वार्टरों का क्या किराया है;

(ग) एक "डी" टाईप फ्लैट की तुलना में वर्तमान चिकित्सालय में कितना स्थान उपलब्ध है ;

(घ) क्या सरकार को वहां स्थान की कमी होने के कारण अधिक भीड़ भाड़ रहने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ङ) १ जनवरी, १९५५ से ३० जून १९५५ तक की अवधि में हर रोज आने वाले रोगियों की औसत संख्या क्या थी ; और

(च) इस चिकित्सालय में कितने चिकित्सक तथा अन्य सहायक सेवायुक्त हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) ४५० रुपये प्रति मास, जिसमें गृह-कर तथा भूमि का किराया भी सम्मिलित है, जिसे कि सम्पदा कार्यालय (एस्टेट आफिस) ने केन्द्रीय लोक कार्य विभाग की सलाह से निर्धारित किया है ।

(ख) करौल बाग के "डी" टाईप सरकारी क्वार्टर का किराया ४५-क मूलभूत नियमों के अधीन ६९ रुपये प्रति मास है जबकि उसे हकदार सरकारी कर्मचारी को आवंटित किया जाये ; और ४-ख मूलभूत नियमों के अधीन जब उसे किसी ग़ैर-हकदार कर्मचारी को आवंटित किया जाये तो उसका किराया १७९ रुपये प्रति मास है और ४५-ख मलभत नियमों के अधीन यदि उसे किसी ग़ैर-सरकारी व्यक्ति को आवंटित किया जाये तो उसका किराया २०९/४/- रुपये प्रति मास है।

(ग) अशदायी स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालय करौल बाग में जो कि ५२/५३ वैस्टर्न एक्सटैन्शन एरिया में स्थित है, एक बड़ा हाल है, दो कमरे एक रसोई, एक स्नानागार, आंगन के अतिरिक्त एक स्टोर रूम, निचली मंजिल पर दो कमरे, पहली मंजिल पर और एक स्टोर का कमरा जमीन के नीचे है और इसका समस्त क्षेत्रफल २५२६ वर्ग फीट है। करौल बाग के एक "डी" टाईप क्वार्टर में तीन कमरे, एक स्टोर रूम, दो स्नानागार, एक रसोई, एक नौकर का कमरा (घर के बाहर) होता है जिसका सारा क्षेत्रफल १२०४ वर्ग फीट होता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न में पूछी गई अवधि में चिकित्सालय में प्रति दिन आने वाले रोगियों की औसत संख्या ७२४ थी।

(च) इतने चिकित्सक तथा सहायक कर्मचारी इस चिकित्सालय में सेवायुक्त हैं :—

(१)	एसिस्टैंट सर्जन, ग्रेड १ (पुरुष)	३
(२)	एसिस्टैंट सर्जन ग्रेड १ (स्त्री)	१
(३)	कम्पाउंडर . .	४
(४)	ड्रैसर . . .	१
(५)	नर्सिंग अरदली . .	२
(६)	स्त्री सेविका . .	१
(७)	चपरासी . .	२
(८)	क्लर्क . .	२
(९)	भंगी . .	२
(१०)	चौकीदार . . .	१

भोजन व्यवस्था

१०९८. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय भोजन व्यवस्था के प्रारम्भ होने से विभिन्न रेलवे भोजन व्यवस्थापकों के कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) क्या इस प्रकार से प्रभावित हुये कर्मचारियों को स्वयमेव विभागीय भोजन व्यवस्था संस्थापनाओं में ले लिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर पूर्वोत्तर, मध्य और पश्चिम रेलवे में, जहाँ कि विभागीय भोजन व्यवस्था प्रथम बार लागू की जा रही है, ऐसे कर्मचारियों की संख्या, कोई १,०२६ है। इस संख्या में छाबड़ी पर बेचने वाले भी सम्मिलित हैं ।

(ख) प्रयत्न तो यही किया जायेगा कि जहां तक संभव हो ऐसे अधिक से अधिक कर्मचारियों को सेवायुक्त किया जाये ।

शीतोष्ण नियंत्रित यात्री डिब्बे

१०९९. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शीतोष्ण नियंत्रित यात्री डिब्बों में कई बार तापक्रम इस प्रकार नियंत्रित कर दिया जाता है कि कभी कभी यात्रियों को ठंड लगने लगती है और वे गरम वस्त्र पहनने की आवश्यकता का अनुभव करने लगते हैं ; और

(ख) क्या तापक्रम को समय समय पर यात्रियों की सुविधा के अनुकूल समायोजित करने के बारे में कोई अनुदेश है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बड़ी लाइन के पूर्णरूपेण शीतोष्ण नियंत्रित यात्री डिब्बों का तापक्रम व्यापक तापक्रमों के आधार पर ७२-७५-७८ अंश फारेनहाईट तक रखा जाता है । ये आंकड़े सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्राप्त किये गये हैं । तथापि कुछ एक उन यात्रियों की, जो ठंड का अनुभव करते हैं, विशेष रूप से रात्रि के समय, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बिस्तरों में कम्बल भी दिये जाते हैं ।

(ख) क्योंकि परिचारक द्वारा कार्य करने वाले कन्ट्रोल पेनल से सारे डिब्बों को एक जैसा ही नियंत्रित किया जाता है । अतः ऊपर उल्लिखित तापक्रमों के क्रम कोस सारे डिब्बे में एक समान रखा जाता है । प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया के अनुसार तापक्रम को नियंत्रित करना अव्यवहार्य है ।

टैल्को

११००. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय टैल्को में कितने विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त हैं ; और

(ख) उन्हें नियुक्त करने की प्रणाली क्या है अर्थात् क्या उन्हें ठेके पर सेवायुक्त किया गया है अथवा वेतन के आधार पर ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस समय ३५ विदेशी विशेषज्ञ सेवायुक्त हैं, जिन में से आठ तो इंजन तथा बॉयलर परियोजना में हैं और २७ मोटरगाड़ी (आटोमोबाईल) परियोजना में हैं ।

(ख) वेतन के आधार पर ।

छपरा रेलवे स्टेशन

११०१. श्री एम० एन० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर कितने पानी के नल हैं और पानी ठंडा करने के यंत्र हैं, और इस वर्ष ग्रीष्म काल में उन में से कितने नल और यंत्र बिगड़े थे; और

(ख) उनकी मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

नल और जल-शीतकों की संख्या		विगड़े हुये नल और जल-शीतकों की संख्या
पानी के नल	२२	अलग-अलग तारीखों में ५ से १० तक
जल-शीतक	१	१ २२-४-५५ से १५-७-५५ तक

(ख) पानी के नल उसी समय ठीक कर दिये गये लेकिन जल-शीतक की मरम्मत न की जा सकी क्योंकि जरूरी पुर्जे जल्द न मिल सके । बाद में दूसरा जल-शीतक मिला जो १५-७-५५ से उसकी जगह पर लगा दिया गया ।

यात्रियों को सुविधायें

११०२. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा और सोनपुर स्टेशनों पर कितने लैम्पमैन हैं ;

(ख) एक आदमी कितने लैम्पों की देखभाल कर सकता है ; और

(ग) इन स्टेशनों पर कितने सिगनल लैम्प हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

छपरा	४
सोनपुर	८

(ख) अमुक स्टेशन पर आने-जाने वाली गाड़ियों की संख्या, यार्ड की बनावट, सिगनलों की स्थिति आदि बातों को देखते हुये एक आदमी २५ से लेकर ४० लैम्पों की देख-भाल कर सकता है । इसमें सिगनल, प्लेटफार्म, आफ़िस और दूसरी जगहों में जलने वाले सभी लम्प शामिल हैं ।

(ग) छपरा	५९
सोनपुर	५०

छपरा स्टेशन पर रेलवे शेड

११०३. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा रेलवे जंकशन की शाइडिंग के शैड के नीचे कितने माल डिब्बे आ सकते हैं ; और

(ख) छपरा स्टेशन पर प्रति दिन कितने माल डिब्बों का ट्रांसशिपमेंट होता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १६ ।

(ख) लगभग ३८ ।

रेलवे की अनाज की दूकान

११०४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे की अनाज की दुकानें कोई विशेष उपयोगी कार्य नहीं कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें बन्द कर देने की कोई प्रस्थापना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). रेलवे की अनाज की दुकानों की उपयोगिता अब सीमित सी हो गई है क्योंकि उनका उपयोग करने वाले कर्मचारियो की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। इस कारण से और रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशों के कारण अब दुकानों को धीरे धीरे बन्द किया जा रहा है ।

दिल्ली-आगरा सड़क

११०५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से आगरा तक की वर्तमान सड़क को दोहरा कर देने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापित कार्य पर लगभग कितनी लागत आयेगी ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस सड़क को पहले ही चौड़ा किया जा रहा है ।

(ख) इसके चौड़ा करने की अनुमानित लागत कोई ११० लाख रुपया है ।

इंजन डिब्बे आदि

११०६. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री डिब्बों और माल डिब्बों के नीचे के ऐसे ढांचों की संख्या कितनी है :

(१) जो काम में लाये जाते हैं,

(२) आयात किये गये हैं, और

(३) क्रमशः १९५२, १९५३, १९५४ और १९५५ में भारत में तैयार किये गये हैं,

(ख) क्या यह सत्य है कि डिब्बों के नीचे के ढांचों सम्बन्धी रेलवे की समस्त आवश्यकताओं को भारत में ही पूर्ण करने की संभावनाओं की खोज की जा रही है, और इस प्रयोजन के लिये उद्योगपतियों को नये संयंत्र लगाने के लिये निमंत्रण दिया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि टैंको ने इस प्रकार के निर्माण कार्य को बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यात्री डिब्बों के नीचे के ढांचों सम्बन्धी जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५८]** । माल डिब्बों के लिये आर्डर दिये जाते हैं और वे नीचे के ढांचों समेत प्राप्त किये जाते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ऐसा ज्ञात हुआ कि यह सार्थ डिब्बों के नीचे के ढांचे बनाने के कार्य को बन्द करने की प्रस्थापना करता है ।

(घ) संभवतः सार्थ ने यह अनुभव किया कि अन्य प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना अधिक लाभदायक होगा ।

जल-संभरण योजनायें

११०७. **श्रीमती जयश्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि देश में जल संभरण की स्थिति को उन्नत करने के लिये कूओं तथा जलकूपों के निर्माण पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित निधि में से अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे लेखा विभाग

११०८. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लेखा विभाग में सह-लेखा-पदाधिकारियों के पदों के चुनाव के लिये कोई लिखित परीक्षा भी रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को इसके बारे में कोई अग्रिम सूचना दी गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां । पश्चिम तथा उत्तर रेलवे ने रेलवे लेखा विभाग के लिये एक लिखित परीक्षा निर्धारित की है, परन्तु ऐसी परीक्षा अन्य रेलवे प्रशासनों में नहीं ली जाती है ।

(ख) १–६–१९५३ से पश्चिम रेलवे में और १४–४–१९५२ से उत्तर रेलवे में । उत्तर रेलवे में सह-लेखा-पदाधिकारी के पद पर पदोन्नति करने के लिये अभी तक कोई भी चुनाव नहीं किया गया है ।

(ग) अभ्यर्थियों की योग्यता को जांचने के लिये स्वीकृत उपायों में से संवरण बोर्ड द्वारा एक इंटरव्यू किये जाने के साथ साथ एक लिखित परीक्षा लेना भी एक उपाय है ।

(घ) जी हां, जहां तक सम्बंधित प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित रेलवेज़ का सम्बंध है ।

(ङ) प्रश्न उपन्न नहीं होता ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

११०९. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० जून, १९५५ तक प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधीन कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये आवंटित ४०० करोड़ रुपये की कुल राशि में से ३० जून, १९५५ तक वास्तव में कुल ३०६.१७ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं ।

हिन्दी सीखने के लिये सुविधायें

१११०. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कलकत्ता में डाक और तार विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो हिन्दी सीख रहे हैं;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने इन्हीं वर्षों में (वर्षवार) हिन्दी शिक्षा परिषद् द्वारा ली गई निर्धारित परीक्षा पास कर ली है;

(ग) विभाग द्वारा अध्यापन और परीक्षा शुल्कों पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) क्या भारत के किन्हीं अन्य अहिन्दी भाषी नगरों में भी यह कार्य प्रारम्भ किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) डाक तथा तार विभाग के ९० कर्मचारी ।

(ख)

वर्ष	उत्तीर्ण कर्मचारियों की संख्या
१९५२ .	कोई नहीं
१९५३ .	कोई नहीं
१९५४ . .	कोई नहीं
१९५५ .	७ पदाधिकारी जून, १९५५ में हुई एक परीक्षा में बैठे थे, उसी परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि ७० पदाधिकारियों ने १९५१ से १९५५ तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा ली गई परीक्षायें पास की हैं

(ग) कुछ भी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

उत्तरी ट्रंक सड़क, आसाम

११११. श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या **परिवहन** मंत्री २४ अगस्त, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की उत्तरी ट्रंक सड़क के धरातल को ठीक करने और उस पर अस्फाल्ट डालने के खर्च की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सारा खर्च केन्द्र द्वारा ही वहन किया जायेगा अथवा उसमें राज्य सरकार भी अंशदान देगी;

(ग) यह कार्य कब से प्रारम्भ होगा; और

(घ) क्या इस कार्य की कार्यान्विति के लिये कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). वेकी नदी से सन्कोश नदी तक के सैक्शन के लिये उत्तरी ट्रंक सड़क को सुधार कर पक्की सड़क के स्तर तक लाने पर होने वाले सारे खर्चे को पूरा करने के लिये आसाम सरकार को ५३ लाख रुपये का एक अनुदान दिया गया है ।

(ग) कार्य पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है;

(घ) जी, नहीं ।

रेलवे आउट एजेंसियां

१११२. श्री मोतीलाल मालवीय : क्या **रेलवे** मंत्री १२ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न सख्या २१६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विन्ध्य प्रदेश के छत्तरपुर और महाराजपुर में दो आउट एजेंसियां कब खोली जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : विन्ध्य प्रदेश सरकार की सलाह से इस पर अभी विचार किया जा रहा है । राज्य सरकार के अन्तिम सुझावों का इंतजार है ।

औषधीय जड़ी बूटियां

१११३. श्री हेम राज : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाब के हिमालय वाले क्षेत्र के पहाड़ों और पहाड़ियों में बढ़िया क़िस्म की औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई गवेषणा कार्य करने और उस क्षेत्र के व्यक्तियों को उन औषधियों को एकत्रित करने के लिये सुविधायें देने की कोई प्रस्थापना करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी, हां ।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्, भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् और भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की एक संयुक्त समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

रेलवे लाइनें

१११४. डा० सत्यवादी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के ज़िला करनाल में स्थित पहवा के निवासियों से अभी हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उस स्थान को एक रेलवे लाइन द्वारा कुरुक्षेत्र से मिला दिये जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस प्रस्थापना की द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में निर्मित की जाने वाली नई रेलवे लाइनों का चुनाव करते समय विचार किये जाने के लिये रख लिया गया है ।

डाक-कर्मचारियों का हैदराबाद को स्थानान्तरण

१११५. डा० सत्यवादी : संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलीनीकरण के पश्चात् विभिन्न डाक सर्किलों से कुछ कर्मचारी हैदराबाद को वहां डाक के काम की देख-भाल के लिये भेजे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सर्किल से कितने कर्मचारी भेजे गये थे ;

(ग) कितने कर्मचारी अपने कार्यालयों को अब तक वापस भेज दिये गये हैं ;

(घ) शेष व्यक्ति कब अपने कार्यालयों को वापस भेज दिये जायेंगे ;

(ङ) हैदराबाद में काम करने के लिये क्या कर्मचारियों को कोई खास भत्ता दिया जाता था ; और

(च) यदि हां, तो कितना ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). मांगी गई सूचना एक विवरण-पत्र में सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ङ) जी हां ।

(च) उनके वेतन का २० प्रतिशत (इसमें स्थानापन्न वेतन सम्मिलित है) ।

भ्रष्टाचार के मामले

१११६. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य भारत में रेल विभाग के स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट पुलिस द्वारा पिछले पांच वर्षों में भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया है ; और

(ख) उन में से कितने मामले डिस्चार्ज किये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) छै ।

(ख) कोई नहीं ।

रेलवे कर्मचारी

१११७. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रतलाम और कोटा के ज़िला ट्रैफिक सुपरिन्टेंडटों के पद समाप्त कर दिये जायगे और उनके स्थान पर रीजनल अफसर का पद बनाया जायेगा ; और

(ख) क्या केवल एक ही रीजन बनाया जायेगा और सारा काम उक्त अफ़सर को सौंप दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मजिस्ट्रेट की नियुक्ति

१११८. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने पश्चिम रेलवे के रतलाम ज़िले के लिये एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका हेडक्वार्टर कहां होगा ; और

(ग) उसका क्षेत्राधिकार कहां तक होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे के मुकदमें सुनने के लिये पश्चिम रेलवे के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में दो मजिस्ट्रेट हैं। इन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति रेलवे द्वारा नहीं, बम्बई और मध्य भारत की सरकारों द्वारा की गई है ।

(ख) एक मजिस्ट्रेट का सदर मुकाम गोधरा है और दूसरे का इन्दौर ।

(ग) गोधरा के मजिस्ट्रेट का अधिकार-क्षेत्र बड़ौदा से अनास तक है और इन्दौर के मजिस्ट्रेट का अनास से शामगढ़ तक। पश्चिम रेलवे का नागदा-उज्जैन सेक्शन भी इन्दौर के मजिस्ट्रेट के अधिकार-क्षेत्र में है ।

रेलवे कर्मचारी

१११९. श्री अमर सिंह डामर क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तर करने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं । लेकिन सभी रेलों को आम हिदायत है कि जो रेलवे कर्मचारी जनता के सम्पर्क में आते हैं उन्हें एक स्टेशन पर पांच साल से अधिक न रखा जाये ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

गुरुवार,
२२ सितम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५५

(२२ सितम्बर से १ अक्तूबर, १९५५)

सत्यमेव जयते

दशम सत्र, १९५५

Preservation Unit
11.11.83
Fumigated
On 18.1.80
Parliament Library

(खंड ८ में अंक ४६ से अंक ५४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ८, अंक ४६ से ५४—२२ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

स्तम्भ

अंक ४६—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४५२५–२६

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४५२६–२७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त . . . ४५२७—४६३०

अंक ४७—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

देश में बाढ़ की स्थिति . . . . . ४६३१—३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के बारे में विवरण . . . ४६३३

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाज़ों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण ४६३३–३४

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—प्राप्त याचिका . . ४६३३–३४

आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना . . ४६३३—३५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंप देने के प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६३५—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत ४६७५–७६

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ४६७६—४७२०

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प—असमाप्त . ४७२१—२६

अंक ४८—शनिवार, २४ सितम्बर, १९५५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४७२७—८३

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४७८३—४८७२

खंड २ से ६ और १ . . . . . ४८५९—७०

पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४८७०—७२

स्तम्भ

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्र से वित्त-पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण . ४८७३

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . ४८७३—७४

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन . . .

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ४८७३—७४

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४८७४

समितियों के लिये निर्वाचन—

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड— . . ४८७५

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् . . ४८७५

विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४८७६

सभा का कार्य . . . . . ४८७६—७७

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४८७७—४६५३

खंड २ से २० और १ तथा प्रस्तावना . . . . ४६१७—५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ४६५३

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . ४६५३—७६

अंक ५०—मंगलवार, २७ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

१६५३-५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार का ज्ञापन ४६७७

अनुदानों की मांगें (रेलवे), १६५५-५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४६७७—७८

प्राक्कलन समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४६७८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४६७८

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४६७८

सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत)—

निधियों का स्थानान्तरण विधेयक—पुरःस्थापित . . ४६७९—८०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें . ४६७६—५०४६

	स्तम्भ
विनियोग (संख्या ३) विधेयक—	
पुरःस्थापित—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०४६—५०
खंड १ से ३ और अनुसूची	५०५२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	५०५२
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०५२—७४
खंड १ से ३	५०७३
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५०७३—७४
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	५०७४—७६
अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद्	५०७६—८८
अंक ५१—बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
औद्योगिक वित्त निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का विवरण	५०८९—९०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन—स्वीकृत . . .	५०९०—५१०३
नया खंड १२—क	५१०२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव— असमाप्त	५१०३—५०
रेलवे परिवहन की स्थिति के बारे में चर्चा—समाप्त . . .	५१५०—९६
अंक ५२—गुरुवार, २९ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों की कार्यवाही के विवरण	५१९७
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, संसद् द्वारा परिवर्तित रूप में	५१९७—९८
कतिपय रक्षा सामग्री के विदेशों में क्रय के बारे में लोक लेखा समिति को सरकार का टिप्पण . .	५१९९—५२०१
प्राक्कलन समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित . .	५१९८
अनुपस्थिति की अनुमति	५१९८—९९
तारांकित प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि . .	५२०२
सभा का कार्य .	

स्तम्भ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में
प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ५२०३—०५—५८
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव–स्वीकृत . . . ५२९९—५३०७
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . ५३०७—३४

अंक ५३—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई-सल्फाइट उद्योगों के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प आदि . ५३३५
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ५३३६–३७
राज्य–सभा से सन्देश . . . . ५३३७—५४५४
समवाय विधेयक, १९५५—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ५३३८
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—
सम्मत्तियां सभा पटल पर रखी गयीं . . . ५३३८
याचिका समिति—
छठा प्रतिवेदन—उपस्थापित ५३३८
अखिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना . . . . . ५३३८—४०
सभा का कार्य ५३४०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ५३४०–४१
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . ५३४१—६३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ५३६३—५४१४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५४१४—२४
भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ५४२४—५४

स्तम्भ

अंक ५४—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में
श्री स्केफ का प्रतिवेदन . . . . . ५४५५—५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र— . . . . .
नारियल जटा बोर्ड का ३१-३-५५ को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए
अर्धवार्षिक प्रतिवेदन . . . . . ५४५९—६०
उन संस्थाओं की सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६-क
के अन्तर्गत विमुक्ति दी गई है . . . ५४६०
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०
भारतीय मुद्रांक संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०—६१
गोआ के बारे में वक्तव्य . . . . ५४६१—६२
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५५०३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ५४६३—५५०३,
५५०३—५६४२
राज्य-सभा से सन्देश ५६४२
अनुक्रमणिका . . . पृष्ठ १—३९

लोक-सभा

गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मुझे इस बात का खेद है कि २ सितम्बर, १९५५ को पंडित डी० एन० तिवारी द्वारा पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९१ के उत्तर में दिया गया उत्तर अधूरा रह गया था; उस में से प्रश्न के (ग), (घ) और (ड)भाग रह गये थे । इसलिये उस दिन दिये गये उत्तर के स्थान पर यह पूर्ण उत्तर रख दिया जाये :

"(क) हां, श्रीमान् । सोनीपुर और पलजाघाट स्टेशनों के बीच की रेलवे लाइन मोड़ी गई है और इसलिये ३०-६-५५ से घाट को एक नये स्थान पर ले जाना पड़ा है ।

(ख) घाट का पहला स्थान अनुपयुक्त हो गया था और इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उस स्थान को बदलना अनिवार्य हो गया था । पिछली बार घाट को बदलने पर लगभग ४०,००० रुपये की लागत आई थी ।

(ग) जी हां

(घ) जी हां, एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई थी । इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई थी कि यात्रियों को सोनीपुर तक पैदल चल कर जाना पडा था ।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।"

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन-दक्षिण) : क्या मुझे इस के बार में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होगी ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस समय नहीं । वह एक पृथक प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

कार्य मंत्रणा समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा, २१ सितम्बर, १९५५ को इस सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : यदि हम पूर्व निश्चित सूची के अनुसार कार्य को चलाते रहे तो सप्ताह के अन्त तक लगभग

[श्री कामत]

एक घण्टे की कमी रह जायगी। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि यदि उसे पूर्ण रखने के लिये और समय की आवश्यकता पड़े तो उसके लिये प्रश्न काल को कम न किया जाये।

दूसरी बात यह है कि हम ने एक प्रस्ताव भेजा था जिस पर श्री राघवाचारी, श्री गुरुपादस्वामी और मैं ने हस्ताक्षर किये थे। माननीय मंत्री कृपया हमें सूचित करें कि यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है।

अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रश्न पृथक पृथक हैं। जहां तक समय की कमी का सम्बन्ध है, यदि समय कम हो गया तो हम कोई भी व्यवस्था कर लेंगे, एक घण्टा और बैठ लेंगे। अब मैं प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, २१ सितम्बर, १९५५ को इस सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा के समय के बंटवारे का आदेश बन गया है।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ को प्रवर समितियों को निर्देशित करने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी और श्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर भी विचार करेगी।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : बिहार में एक सप्ताह से जो बाढ़ आई है, उसके सम्बन्ध में मैं ने रुल २१६ के अधीन 'काल अटैन्शन मशीन' (ध्यान आकृष्ट करने के प्रस्ताव) की सूचना दी है, लेकिन तीन दिन से सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : फलड्स के बारे में एक डिस्कशन इस हाउस में होने वाला है। उस में बिहार की बाढ़ भी आयेगी।

श्री आर० एन० एस० देव (आला-हाँडी वोलनगिर) : किसी भी प्रजातन्त्र में नागरिकों को अपनी सरकार को चुनने का पूरा पूरा अधिकार होता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक इस अधिकार का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सके तो इस के लिये यह अत्यावश्यक है कि चुनाव पूर्ण रूपेण स्वतंत्र और न्याय पर आधारित हों। परन्तु आज की दलबन्दी की राजनीति में निर्वाचन प्रचार तो वास्तव में चुनाव प्रारम्भ होने से बहुत पहले ही प्रारम्भ हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक दल को अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता दी जाये।

इस अधिनियम के अनुसार तो केवल वे ही अवैध कार्यवाहियां अनुचित समझी जा सकती हैं जो कि निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचना जारी किये जाने के उपरांत की जायें। अधिसूचना जारी किये जाने से पूर्व किये गये भ्रष्टाचारपूर्ण कार्यवाहियां

इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती हैं। इसलिये इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाये।

गत सामान्य निर्वाचनों के समय देश में हुए भ्रष्टाचारों की ओर इस सभा में कई माननीय सदस्यों ने निर्देश किया है, और ८ अप्रैल, १९५३ को विनियोग विधेयक पर हुए वाद-विवादों में भी इस की ओर निर्देश किया गया था।

उस समय डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया था और यह निवेदन किया था कि सरकार इस के सम्बन्ध में अच्छी प्रकार से विचार करे। उस समय मंत्री महोदय ने यह वचन दिया था कि वह इस के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। अब ये दो विधेयक गत सामान्य निर्वाचन में प्राप्त हुए अनुमानों के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं। अतः इन में तो किसी प्रकार भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कल ही एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि किसी भी मंत्री ने अपने अधिकारों का अनुचित लाभ नहीं उठाया था। उन्हों ने यहां तक कहा कि कोई भी मंत्री ऐसा करने के लिये सोच भी नहीं सकता था। परन्तु वास्तव में यह कथन गलत है। श्री राघवाचारी ने बताया है कि कई हत्यायें कर दी जाती हैं और फिर किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसे मामलों को सिद्ध करना बहुत कठिन होता है।

पिछले साधारण निर्वाचन में चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले अनेक शिकायतें की गई थीं लेकिन इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतों की जांच उन्हीं अधिकारियों को दे दी जाती है जिन के विरुद्ध शिकायतें होती हैं और इस प्रकार कुछ भी नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव है कि अवांछनीय प्रथाओं को रोकने के लिये कुछ किया जाये तथा निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया जाये कि वह अपने स्वतंत्र कर्मचारियों द्वारा ऐसी शिकायतों की जांच कराये।

प्रस्तुत विधेयक निर्वाचन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये पुरःस्थापित किया गया है। निर्वाचकों के नामांकन के लिये अर्हता तिथि निर्वाचन के वर्ष की पहली मार्च रखी गई है। लेकिन विधेयक में साथ ही "साधारणतया वहां की निवासी हो" शब्दों को हटाया नहीं गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस का अर्थ यह होगा कि संसद्-सदस्यों को भी पहली मार्च को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में होना चाहिये? यदि ऐसा हुआ तो संसद्-सदस्य ऐसा कैसे कर सकेंगे। वे तो दिल्ली में बजट सत्र में भाग ले रहे होंगे। इसलिये मेरा कहना है कि प्रक्रिया को सरल बनाने की बजाय कहीं उस को जटिल न बना दिया जाये।

कहा गया है कि निर्वाचन अवधि कम कर दी जाये; लेकिन यदि निर्वाचन अवधि अधिक कम कर दी गई तो उम्मीदवार अपने निर्वाचन-क्षेत्र का पूरी तरह से दौरा न कर सकेगा, विशेष कर जहां से दो सदस्य निर्वाचित होने होंगे।

अब मैं आप का ध्यान विशेष कर मंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की ओर दिलाता हूं। प्रायः यह देखा गया है कि मंत्री अपने पद का अनुचित लाभ उठाते हैं। और तो और, यहां तक कि जब उन्हें अनर्ह घोषित कर दिया जाता है तब भी किसी-न-किसी प्रकार वह अपने आप को उसी पद पर बनाने रखने का प्रयत्न करते हैं। निर्वाचन के मामलों का निर्णय हो

[श्री आर० एन० एस० देव]

में इतनी देर लग जाती है कि जो सदस्य बन जाता है वह कम से कम आधी अवधि तो पूरी कर ही लेता है । मेरे विचार में निर्वाचन के मामलों का निर्णय शीघ्र से शीघ्र होने चाहिये ।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि नामनिर्देशिन पत्र में से अनुमोदक को निकाल दिया गया है । मेरा तो यह भी सुझाव है कि प्रस्तावकों को भी निकाल दिया जाये । उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसे भी मामले सामने आये हैं जिन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों ने घूस खा कर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बेचारे उम्मीदवार का चुनाव रद्द हो गया । ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हों, इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रस्तावकों को भी नाम-निर्देशन पत्र में से निकाल दिया जाये ।

प्रस्ताव रखा गया है कि उम्मीदवारों पर उन के दल को रुपया खर्च करते हैं उन का हिसाब न दिया जाये बल्कि उम्मीदवार केवल अपने निजी खर्चे का हिसाब दे । लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप इन दोनों खर्चों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं । यदि आप यही चाहते हैं कि खर्चे की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाये तो उस से भी कोई लाभ न होगा । क्योंकि सत्तारूढ़ दल हर तरीके से अपना काम बना लेगा । मेरे विचार में इस प्रकार से लोगों में बेईमानी को भावना बढ़ती है और लोग झूठे हिसाब दाखिल कराते हैं । मेरा तो यही सुझाव है कि चुनाव के खर्चे के सम्बन्ध में कोई भी अधिकतम सीमा न निर्धारित को जाये और न हिसाब के कागज दाखिल किये जायें ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : निर्वाचन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो बहुत सी बातें उठाई थीं उन में से बहुत सी इन विधेयकों में आ गई हैं । लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही यदि इन विधेयकों पर विचार करती तो अच्छा होता ।

निर्वाचन पर जो खर्च होता है उस के सम्बन्ध में कई सदस्य पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं । मेरा भी यही कहना है कि खर्चे के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित न की जाये । चुनाव की अवधि ४० घण्टे से घटाकर २० दिन कर दी गई है । मेरे विचार में यह अवधि बहुत थोड़ी है । हमारे देश और यहां के लोगों को देखते हुए यह समय कुछ भी नहीं है । इस के अलावा आने जाने के साधन भी कोई अच्छे नहीं हैं । उम्मीदवार अपना नाम-निर्देश पत्र देने के बाद ही वास्तविक रूप से अपने लिये लोगों से कह सुन सकता है । इसलिये मेरे विचार में अवधि कम से कम तीन सप्ताह या चार सप्ताह कर दी जानी चाहिये ।

मैं आप का ध्यान विशेष कर सदस्यों की अनर्हताओं को ओर दिलाना चाहता हूं । निर्वाचन अधिनियम में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार से ठेका ले कर उसे कोई वस्तु देता है या काम करता है तो वह अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा । खानों का ही काम ले लीजिये । यदि सरकार खानों में काम करने का ठेका देती है और लोग उसे लेते हैं तो वे अनर्ह क्यों घोषित किये जायें । डाक ले जाने का ही काम लीजिये । मोटरों या लारियों को चलाने वालों को डाक ले जानी पड़ती है । वे नहीं चाहते ;

फिर भी उन्हें यह काम करना पड़ता है। लेकिन सरकारी ठेका होने के कारण उन्हें अनर्ह घोषित कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि अनर्हतायें हटा दी जायें।

सत्तारूढ़ दल अपने लाभ के लिये निर्वाचक पदाधिकारियों को भी बदल देता है। उन पर अनुचित दबाव डालता है। यहां तक कि मंत्री का नाम-निर्देशन पत्र गलत होने पर भी उसे ठीक घोषित कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि ये बुराइयां दूर की जायें। मेरा सुझाव है कि चुनाव के समय शासन की बागडोर राज्यपालों के हाथों में हो। वे ही निर्वाचन का प्रबन्ध करें जिस से मंत्री अपनी मनमानी न कर सकें।

चुनाव याचिकाओं के निबटाने में देर न लगे, इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि न्यायाधिकरणों में कोई वकील सदस्य न रखे जायें। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या वकील सदस्यों के कारण ही देर होती है ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): बात यह है कि हम न केवल वकील सदस्यों को हटा रहे हैं बल्कि सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को भी। अनुभव के आधार पर यही अच्छा समझा गया है कि यह काम ज़िला न्यायाधीशों को सौंपा जाये। ऐसी आशा की जाती है कि उन के रहने से काम शीघ्रता से समाप्त हो जाया करेगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : लेकिन हो सकता है कि यह न्यायाधीश भी अपने अपने राजनैतिक विचार रखते हों।

राज्य विधान-परिषदों और राज्य-परिषद् के निर्वाचनों में रुपया जमा करने की शर्त को हटा दिया गया है। मैं इस बात के विरुद्ध हूं। यदि रुपया न जमा करना पड़ा तो उम्मीदवारों की कोई गिनती ही नहीं रहेगी। मेरे विचार में तो कम से कम मत भी निर्धारित कर देना चाहिये जिस से उम्मीदवार पर एक प्रकार की रोक लगी रहे।

संशोधक विधेयकों में यह व्यवस्था की गई है कि एक ही पीठासीन पदाधिकारी अनेक मतदान-स्थानों की देखभाल करे। इस व्यवस्था में पीठासीन पदाधिकारियों के क्लर्कों आदि को अपने विचारों के अनुसार काम करने का अवसर मिल जायेगा। मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिन में क्लर्कों आदि ने मतदान-पत्रों को स्वयं मतदान पेटियों में डाल दिया था। बहुत सी पेटियों में तो उन्हें एक साथ बंडलों में पाया गया था। मेरे विचार में एक जगह के मतदान-स्थानों के लिये केवल एक ही पीठासीनपदाधिकारी रखा जाये।

कल बहस के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा रेडियो के प्रयोग किये जाने का सुझाव रखा गया था। निर्वाचन आयोग ने भी इस का प्रयोग किये जाने पर विचार करने की सिफारिश की है मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरु) : मेरा सब से पहला सुझाव यह है कि निर्वाचक-नामावलियों में सुधार किया जाये क्योंकि वे बहुत गलत हैं। पिता के नाम की जगह पति का नाम, पत्नी के नाम की जगह माता का नाम लिखा हुआ है।

निर्वाचक-नामावलियां सरकारी छापेखाने में नहीं छपवाई जाती हैं। इस का फल यह होता है कि उन में गलतियां रह जाती हैं। काम सस्ते में हो जाता है, पर सूचियां

[श्री बी० एस० मूर्ति]

अशुद्धियों से भरी रहती हैं। इस खामी को दूर करना चाहिये ।

हरिजनों के सिलसिले में भी कुछ कठिनाइयां हैं । खास तौर पर गांवों में, वे गरीब होने के कारण आसानी से गांवों की दलबन्दियों के शिकार बन जाते हैं । यदि वे गांवों के सरकारी अफ़सरों के दल के पक्ष में नहीं होते, तो कहीं कहीं उन के नाम तक निर्वाचक-नामावलियों पर नहीं चढ़ाये जाते । उस के कई बहाने ढूंढ लिये जाते हैं । और जब निर्वाचक-नामावली उन के देखने के लिये आम जगहों पर रखी जाती है, तब उन के पास इतने पैसे नहीं होते कि उन में फिर से नाम चढ़वाने की फीस दे सकें । वे गांवों के सरकारी अफ़सरों की दया पर रहते हैं । वयस्क मताधिकार की हमारी व्यवस्था से, सभी को समान अवसर सुलभ बनाने वाली व्यवस्था से, यह मेल नहीं खाता इस त्रुटि को भी दूर करना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कि चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिये चुनाव के लिये खड़े होते समय नामनिर्देशन-पत्र दाखिल करने के साथ प्रस्तावक और समर्थक के आवश्यक रूप से जुटाये जाने पर ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिये । प्रस्तावक और समर्थक की शर्त नहीं लगानी चाहिये । हो सकता है कि वह ऐन वक्त पर ही नाम-निर्देशन-पत्र दाखिल करे, और उतना समय न बचा हो । फिर जब यह उपबन्ध है ही कि अपने निर्वाचन-क्षेत्र के एक-चौथाई मत-दाताओं के मत प्राप्त न कर सकने पर उस की जमानत ज़ब्त हो जायेगी, तब यह प्रस्तावक और समर्थक वाली चीज़ बेमानी हो जाती है ।

श्री पाटस्कर : यदि आप खण्ड १४ देखें, तो आप को मिलेगा कि अभी भी प्रस्थापना इस प्रकार है :

> "नियत तिथि पर या उस से पहले धारा ३० के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप में या अपने प्रस्तावक के द्वारा ... ।"

यह आवश्यक नहीं है कि उसका प्रस्तावक होना ही चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : यह सुझाव मैं ने इसलिये रखा है कि कहीं प्रवर समिति इसे बदल कर प्रस्तावक और समर्थक का होना आवश्यक न बना दे । मैं चाहता हूं कि प्रवर-समिति के सदस्य प्रस्तावक और समर्थक पर ज़ोर न दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या एक प्रस्तावक का होना सुविधाजनक नहीं होगा ? ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जबकि अभ्यर्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप में निर्वाचक पदाधिकारी के सामने उपस्थित होने में असमर्थ हो ।

श्री कामत : इस को कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्ति कर सकता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं सहमत हूं, मेरा मतलब है ....

श्री पाटस्कर : इसे प्रस्तावक भी कर सकता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं सहमत हूं । इस उपबन्ध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये । नामनिर्देशन-पत्र को मान्यता देने के लिये किसी प्रस्तावक का होना आवश्यक न बना दिया जाये । यदि आवश्यक हो तो यह शर्त रख दी जाय कि कुल मतों का एक-चौथाई भाग भी प्राप्त न कर पाने पर अभ्यर्थी की जमानत ज़ब्त कर ली जायगी ।

एक और बात मैं समय के बारे में कहना चाहता हूं । भारत में चुनावों का एक शैक्षणिक महत्व भी है । गांवों में निरक्षरता, समाचार पत्रों, रेडियो तथा संचरण के अन्य साधनों का अभाव होने से, पूरे निर्वाचन-क्षेत्र में और सभी मतदाताओं तक पहुंचने के लिये अधिक समय लगता है । रुपया तो ख़र्च होता ही है । हां, इस का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये कि गन्दा प्रचार, अभ्यर्थियों की बुराई, और ध्वंसात्मक प्रचार न हो सके । इस के लिये कार्य-व्यवस्था करना कठिन तो होगा, लेकिन जिम्मेदार पार्टियों को इस सम्बन्ध में प्रयास करने चाहियें । उन्हें देखना चाहिये कि प्रचार जहां तक हो सके सभ्य और सम्मानपूर्ण रहे, क्योंकि भारत में मतदाताओं की संख्या इतनी विशाल और सरकार की पद्धति लोकतंत्रात्मक होने के कारण सारा संसार हमारे ऊपर आंखें लगायेगा ।

एक बात और है । मुझे इस का बड़ा कटु अनुभव है । ईसवी पूर्व के यूनान में सभी मत देने के लिये बाध्य थे । मत न देने वाले को देश-निकाला हो जाता था । हो सकता है कि आज यह आवश्यक न हो । लेकिन उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्यवाही की जायेगी जो मतदाताओं को मत देने से रोकते हैं ? मैं मतदान करना चाहता हूं लेकिन दूसरे ताक़तवर दल समझते हैं कि मैं उन्हें मत नहीं दूंगा और मुझे मतदान ही नहीं करने देते । तब ?

श्री एस० एस० मोरे : यह निर्वाचन सम्बन्धी अपराध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ग़लत अवरोध निर्वाचन का एक दण्डनीय अपराध है ।

श्री वेलायुधन : लेकिन उसे साबित करना बहुत कठिन है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : वह दूसरी बात है । मैं कुछ दृष्टान्त दे रहा हूं । ऐसा भी ग़लत अवरोध होता है जिसे अनदेखा कर दिया जाता है । पिछली बार १९५५ में आन्ध्र के चुनावों में हरिजनों को मतदान करने से रोका गया था । पूछने पर उन्हों ने बताया था कि उन पर 'दबाव डाला गया था' ।

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया तो जिलाधीश या ज़िले का पुलिस-अधीक्षक वहां जा कर देखता रहता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : कुछ ने तो कहा कि उन को इजाज़त नहीं मिली थी, और कुछ ने बताया था कि बाद में परेशान किये जाने के भय से वे मतदान करने नहीं गये थे । इसे ग़लत अवरोध कहा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस की दवा क्या है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं अपनी कठिनाइयां रख रहा हूं ।

श्री कानावड़े पाटिल (अहमदनगर उत्तर) : क्या माननीय सदस्य उन गांवों के नाम देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है ।

श्री कानावड़े पाटिल : फिर भी, यह एक अस्पष्ट बात है ;

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य उन बिशेष कुरीतियों और उन की दवा बतायें तो अच्छा हो ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं १९५५ में होने वाले आन्ध्र के चुनावों का ज़िक्र कर रहा था, यदि सभा चाहे तो मैं उस का विवरण दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सब तो सम्भव है, पर उस की दवा क्या है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं मरीज़ हूं और दवा चाहता हूं । मैं हरिजनों की कठिनाइयां पेश कर रहा हूं, जिस से कि यह सभा, अन्य सदस्य, या प्रवर-समिति उन की कुछ सहायता कर सके ।

मैं एक और बात चुनावों के खर्च के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे ख्याल से तो यह बिलकुल बेमानी है । शायद ही कभी किसी ने सही-सही खर्च दिखाया हो । उस का हिसाब रखना सम्भव नहीं है । एक अभ्यर्थी पर इतने स्थानों पर खर्च होता है कि उस का हिसाब नहीं रह सकता ।

हां, खर्च की एक सीमा तो निश्चित कर दी गई है । लेकिन अधिकांश लोग उस का एक-चौथाई भी नहीं दिखाते । सफल, या असफल अभ्यर्थी से खर्च के हिसाब के बारे में पूछना बेमानी है, खास तौर पर जब सरकार उसे खर्च देती ही नहीं । फिर, यह खर्च तो कई रूपों में होता है —पार्टियां, प्रीतिभोज, उपहार, कपड़े और दान, आदि । इसलिये ये खण्ड निरर्थक है । किसी को भी इस आधार पर अयोग्य नहीं कहा जाना चाहिये । खर्च की कोई सीमा नहीं होनी चाहिये । वे चाहें तो हिसाब दे दें, और तभी हमें सही-सही हिसाब मिल सकता है ।

इन सुझावों के साथ मैं इन दो संशोधक विधेयकों का समर्थन करता हूं । मैं चाहता हूं कि प्रवर-समिति हरिजनों की इन खास कठिनाइयों पर विचार करे और उन का कोई उपाय निकाले ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं सभा के सामने पेश दो संशोधक विधेयकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

सब से पहले, मैं श्री चटर्जी, पंडित ठाकुर दास भार्गव और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा पेश किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं । यह एक प्रक्रिया सम्बन्धी विधि है । हम इन के द्वारा १९५० और १९५१ के दो अधिनियमों को संशोधित करना चाहते हैं और केन्द्र तथा राज्यों में अपने विधान-मंडल बनाना चाहते हैं । इन के मुख्यतया प्रक्रिया-सम्बन्धी विधि होने से और सार रूप में दोनों का एक ही उद्देश्य होने के कारण, उचित यही होगा कि हम इन्हें सभा के अनुदेशों के साथ प्रवर-समिति को सौंप दें । प्रवर-समिति को यह सभा ऐसा अनुदेश दे कि यदि वह अपनी बैठक के दौरान में महसूस करे कि इस के दूसरे विभागों को भी संशोधित करना आवश्यक है तो उसे कर दिया जाय ।

आखिरकार ये दो संशोधक विधेयक हमारे सामने निर्वाचन आयोग की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप ही आ रहे हैं । पिछले आम चुनाव के दौरान में निर्वाचन आयोग ने कुछ त्रुटियां और कमियां महसूस की थीं और उन्हें बताया था । उसी के आधार पर तो विधि मंत्रालय ने दो विधेयक तैयार किये हैं । इसीलिये, प्रवर-समिति के सदस्यों का अनुभव भी इन में लाभप्रद परिवर्तन का आधार बनना चाहिये ।

यदि ऐसा अनुदेश नहीं होगा तो प्रवर-समिति इन उपबन्धों के क्षेत्र से बाहर विचार नहीं करेगी । इसीलिये यह अनुदेश आवश्यक है ।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं उस विधेयक के बारे में, जिस की मंशा १९५० के अधिनियम का संशोधन करना है । मूल अधिनियम का खण्ड ११वां देखिये जिस में कहा गया है कि निर्वाचक बनने से पहले हर व्यक्ति को उस निर्वाचन क्षेत्र का अपना १८० दिनों का निवास प्रमाणित करना होगा । इस शर्त को अब हटाया जा रहा

है । इस परिवर्तन से माननीय मंत्री के बताये हुए अन्य लाभ हों या नहीं, पर एक बड़ा लाभ यह होगा कि पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को बड़ी सुविधा हो जायेगी । वे यहां संविधान जारी होने के बाद ही आये थे । चूंकि कोई क़ानून नहीं है, इसलिये क़ानूनी तौर पर वे मतदाता नहीं हैं । अब नागरिकता विधेयक स्वीकार किया जा रहा है, और वे मतदाता बन जायेंगे । और इस खण्ड के हटाये जाने से यह कठिनाई दूर हो जायेगी । इसलिये, मैं इस का स्वागत करता हूं ।

पहले विधेयक के खण्ड १३ के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । उस के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग को किसी अवसर विशेष पर, आवश्यकता पड़ने पर, निर्वाचक-नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है । मेरा अनुभव बताता है कि इस से कई मामलों में बड़ी मदद मिलेगी । निर्वाचक-नामावली बनाते समय कार्य-पालक लोग अक्सर उतनी मेहनत नहीं करते जितनी की उन से अपेक्षा होती है । ऐसे स्थानों पर अब निर्वाचन आयोग पूरा, या आंशिक रूप में निर्वाचक-नामावली पुनरीक्षण कर सकेंगे ।

अब मैं दूसरे विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । सब से पहले मैं खण्ड १२ का उल्लेख करना चाहूंगा । उस में यह उपबन्ध है कि निर्वाचन की अधिसूचना और निर्वाचन आरम्भ होने के बीच के समय को १२ दिन कम कर दिया जाय । आज के क़ानून में यह ४२ दिन की अवधि नियत है । लेकिन यह विधेयक उसे ३० दिन ही रखना चाहता है । प्रस्तावित धारा ३० के उप-खण्ड (घ) में नाम वापिस लेने और निर्वाचन की तिथि में २० दिन का अन्तर रखा गया है । मेरा अनुभव है यह बहुत ही थोड़ा समय है । फिर, दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र भी हैं । मेरा अपना निर्वाचन-क्षेत्र तो तीन सदस्यों का है । इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में इतने कम समय में सभी जगह नहीं पहुंचा जा सकता । अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से तो पहुंच नहीं सकता, हां दल के द्वारा प्रचार हो सकता है । पर इस से तो दल वालों को ही फायदा होगा, और स्वतंत्र लोगों को असुविधा होगी । ऐसा उचित नहीं । हमें सभी का विचार रखना चाहिये ।

अब हमारे मतदाता अधिक चेतनाशील हो गये हैं । यदि अभ्यर्थी स्वयं जा कर अपनी नीति और कार्यक्रम से उन्हें अवगत नहीं कराता, तो वे उसे मत नहीं देंगे । फिर मतदाताओं की तकलीफ़ों का पता लगाना भी ज़रूरी है ।

कहा जा सकता है कि खड़े होने का इरादा रखने वाले अभ्यर्थी पहले से मतदाताओं से मिल सकते हैं, पर यह व्यावहारिक नहीं है ।

इस के अलावा, दूसरी भी पेचीदगियां खड़ी होंगी । निर्वाचन के खर्च का हिसाब पेश करने के बारे में हमने देखा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में इस सम्बन्ध में मतभेद था कि निर्वाचन का खर्च किस तिथि से आंका जाना चाहिये । कल श्री एन० सी० चटर्जी ने उदाहरण दिया था जिस में उच्चतम न्यायालय ने फ़ैसला किया था कि अभ्यर्थी जिस दिन किसी दल में अपना नामनिर्देशन-पत्र पेश करे, उसी दिन से हिसाब रखना चाहिये । ऐसी सूरत में अभ्यर्थी जब चाहे निर्वाचन-क्षेत्र में काम शुरू कर सकता है । यह तय करना ही कठिन होगा कि उसे कब से अभ्यर्थी माना जाय ।

इसलिये, ऐसी ही तमाम पेचीदगियां पैदा होंगी । मैं महसूस करता हूं कि ३० दिन की अवधि बहुत कम होगी । निर्वाचन

[श्री बर्मन]

की अधिसूचना और निर्वाचन प्रारम्भ होने के बीच ४२ दिन की अवधि ही रहनी चाहिये।

आखिरी बात है निर्वाचन के खर्च के हिसाब के बारे में। मैं महसूस करता हूं कि, जैसा कि श्री बी० एस० मूर्ति ने सुझाव दिया, इसे हटा देना चाहिये। उस से कोई अर्थ नहीं निकलता। हर कोई जानता है कि धनी लोग ज्यादा खर्च करेंगे। मुझे ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मालूम है जिस में कि किसी धनी आदमी के निर्वाचन को क़ानून से अधिक खर्च करने के अपराध में रद्द कर दिया गया हो। हिसाब पेश करने से पहले हर कोई उलटफेर करता है। उन्हें पेश करने में भी कुछ पेचीदगियां हैं। हम ने स्वयं अपने मामलों में देखा है कि विवरण प्रस्तुत करने विषयक नियमों के अन्तर्गत हम किसी सन्देशवाहक के लिये अथवा किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता भेजने के लिये यात्रा व्यय के रूप में धन खर्च कर सकते हैं। किसी सन्देशवाहक को ३०० मील दूर भेजा जा सकता है ; क्या वह बिना भोजन के इतनी दूर जायेगा ? हम केवल रेल भाड़ा ही विवरण में दिखा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें संशोधित किया जा सकता है किन्तु वैध व्यय कौन से हैं और अवैध कौन से हैं इसे विशिष्ट रूप से निश्चित कर देना बहुत कठिन है।

किसी पार्टी द्वारा किये गये व्यय के बारे में माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उसे दुहराना मेरे लिये जरूरी नहीं। उन्हों ने कहा है कि वह एक गूढ़ बात है तथा उसे केवल स्वच्छन्दतः ही किया जा सकता है। उन्हों ने इस के लिये इस विधेयक की धारा ७७ के प्रस्तावित प्रतिस्थापन में प्रावधान रखा है कि खर्च के विषय में, किसी पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार के चुनाव के लिये किया गया खर्च, शामिल न समझा जाये। यदि ऐसा है तो मेरा निवेदन है कि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार निर्धारित की गई अधिकतम सीमा से अधिक व्यय कर के उस अधिक व्यय को पार्टी संगठन के द्वारा किया गया व्यय बता सकता है। पार्टी संगठन अपना व्यय विवरण देने के लिये बाध्य नहीं होगी। अतएव उम्मीदवार अपना खर्च पार्टी संगठन के नाम पर डाल सकता है। ऐसी स्थिति में मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि चुनाव न्यायाधिकरण अथवा प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार किसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण सच है या नहीं इस बात की जांच कैसे करेंगे। पार्टी संगठन के, जिन्हें चुनाव आयोग मान्यता देता है, नाम पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं। मेरे विचार से इस तरह की प्रस्थापना उचित नहीं है क्योंकि आप अपना खर्च उन पार्टी संगठनों के नाम में नहीं डाल सकते जिन्हें चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि यदि हम निर्वाचन व्यय के विवरण प्रस्तुत करने विषयक प्रावधान तथा इसी प्रकार की अन्य बातें इस अधिनियम से हटा दें तो उस से कोई हानि नहीं होगी और न किसी के प्रति अन्याय ही होगा।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): श्रीमान, मैं इन विधेयकों का स्वागत करती हूं तथा श्री एन० सी० चटर्जी के उस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं जिस में उन्हों ने कहा कि इन दोनों विधेयकों के अन्तर्गत न आने वाले मामलों पर प्रवर-समिति द्वारा विचार किये जाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये। मेरे सम्माननीय मित्र श्री मूर्ति ने विगत चुनाव में हरिजन उम्मीदवारों की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। मैं आप को ऐसे उदाहरण दे सकती हूं जहां महिलायें सब से अधिक

हानि में रही है । मेरे मित्र, मेरे इस कथन की पुष्टि करेंगे कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में लगभग ४० लाख महिलाओं के नाम निर्वाचन नामावलि में नहीं थे । संभव है कि इन महिलाओं को अपना नाम और अपने पति का नाम बताने में जो कठिनाइयां हुई हों उस कारण से ऐसा हुआ हो । मेरा ख्याल है कि इस प्रक्रिया को सुलझाया जाना चाहिये । मैं जानती हूं कि महिलाओं के लिये इन बातों का समझना कठिन है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र की अधिकांश महिलायें अशिक्षित हैं और वे प्रश्नों का अर्थ नहीं समझती हैं । इसलिये मैं, सोचती हूं कि कोई व्यवस्था की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या महिला प्रगणकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है ?

श्रीमती सुषमा सेन : जी हां, महिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग–पश्चिम) : एक बिलकुल अलग निर्वाचन-वर्ग क्यों न बना दिया जाये ?

श्री बेलायुधन : भारत के प्रत्येक घर में महिलायें होती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं 'गोषा' महिलाओं के बारे में कह रहा हूं ।

श्रीमती सुषमा सेन : मेरा सुझाव है कि अभी से महिला चुनाव अधिकारियों को नियुक्त कर के उन्हें प्रशिक्षण देना ही अच्छा होगा । अन्तिम समय पर ऐसा करना उचित नहीं होगा । क्योंकि उन्हें क्या करना है इस बात की जानकारी उन्हें नहीं होगी । ऐसी महिलायें तथा युवतियां पर्याप्त संख्या में हैं जिन्हों ने आवश्यक शिक्षा प्राप्त की है और जो इस कार्य को सुचारु रूप से करने की क्षमता रखती हैं । मुझे ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि उन्हें चुनाव अधिकारियों के पदों पर क्यों न नियुक्त किया जाये । मैं माननीय मंत्री से और प्रवर-समिति से अनुरोध करूंगी कि यदि यह विधेयक में इस का उपबन्ध न हो तो भी वे इस पर विचार करें । वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान में है तथा मेरे विचारानुसार इस बात पर मन्त्री महोदय को गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये ताकि सभी अर्ह महिलाओं के नाम निर्वाचक नामावलि में हों ।

एक दूसरा विषय जिस पर मैं जोर देना चाहती थी वह यह है कि इन विधेयकों से एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि देश भर में आम चुनाव, यथासंभव एक ही समय हो सकेंगे ।

वर्तमान विधि के अनुसार चुनाव कार्य-क्रम एक लम्बी कार्यवाही है । चुनाव की सूचना देने के लिये लेख जारी करने से मतदान प्रारम्भ होने के बीच ४२ दिनों का समय अन्तर जरूरी था । इस अवधि को अब दो सप्ताह कम कर देने का प्रस्ताव है । मेरा ख्याल है कि ऐसा किया जाना ठीक ही होगा ।

वर्तमान विधि के अन्तर्गत नामनिर्देशन-पत्रों का प्रस्तुतीकरण और उन की जांच कठिन और असुविधाजनक पाई गई है । विधेयक द्वारा तद्विषयक कई औपचारिक बातें समाप्त कर दी गई हैं तथा मैं इस का स्वागत करती हूं । उदाहरण के लिये, चुनाव अभिकर्ता की नियुक्ति वैकल्पिक रखी गई है । यह एक अच्छी प्रणाली है क्योंकि मेरे विचार में प्रत्येक मामले में चुनाव अभिकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है । अनमोदक की आवश्यकता अनिवार्य न रखी जाये इस आशय का भी एक प्रस्ताव है । यदि अनुमोदक का नामनिर्देशन-पत्र से सम्बन्ध होता है तो यह एक बहुत ही उपयोगी बात है । मुझे

[श्री सुषमा सेन]

स्वयं एक अनुमोदक पाने में कठिनाई हुई थी। मेरा चुनावक्षेत्र जिले के सदर मकाम से २० मील दूर था और मुझ से अन्तिम समय में अनुमोदक लाने को कहा गया जबकि उस क्षेत्र में कोई अनुमोदक नहीं था। और एक सज्जन को १५ या १६ मील की दूरी से वहां आ कर मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन करना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्या ने नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व एक बार भ्रमण किया ?

श्रीमती सुषमा सेन : मुझे इस का अवसर ही नहीं मिला क्योंकि अन्तिम समय में मुझ से कहा गया कि मुझे नामनिर्देशित किया गया था।

एक और विषय है जिसे मैं सभा के समक्ष रखना चाहती हूं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि निर्वाचन सम्बन्धी कानून को संशोधित करते समय इस बात की सावधानी रखी जानी चाहिये कि धनी लोगों के साथ पक्षपात न हो। मैं ने यह देखा है कि धनी लोगों को सदा ही लाभ नहीं हुआ करता। मेरे चुनाव क्षेत्र से तीन जमींदार मेरे विपक्ष में थे और उन्हों ने पर्याप्त धन व्यय किया। मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई बात या इस तरह की रोक उन के रास्ते में नहीं आना चाहिये। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को सदैव ही संगठन से सहायता नहीं मिलती है और अधिकांश मामलों में तो हमें कोई सहायता नहीं मिली।

डा० कृष्णस्वामी : हमारे माननीय मित्र द्वारा जो दो विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं वे हमारे देश में प्रजातंत्र को बनाये रखने के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रारम्भ में मैं कतिपय महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालना चाहता हूं और मुझे आशा है कि प्रवर समिति इन विषयों पर विचार करेगी। प्रवर समिति को एक कठिन कार्य करना है और उस के परिश्रमों पर ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का जारी रहना निर्भर करता है। क्या मैं अपने माननीय मित्र को यह बता सकता हूं कि सात सम्माननीय सदस्यों ने, जिन का नेतृत्व पंडित ठाकुर दास भार्गव कर रहे हैं, इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया है कि प्रवर समिति को विधेयक में समाविष्ट बातों के अतिरिक्त अन्य बातों पर भी, जो सामान्यतः चुनावों से सम्बन्ध रखती हों तथा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० और १९५१ में समाविष्ट हों, विचार करना चाहिये, तथा संशोधन प्रस्तुत किये जाने चाहियें और उन पर विचार किया जाना चाहिये।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

मुझे आशा है कि प्रवर समिति द्वारा विचार किये जाने के रास्ते में किसी प्रकार की प्राविधिकतायें आड़े नहीं आयेंगी। अब मैं एक ऐसी बात आप के समक्ष रखता हूं—वह है चुनाव क्षेत्रों का निर्माण तथा उन का पुनर्वितरण—जिसे संभव है कि कतिपय सदस्यों द्वारा असंगत समझा जाये। अनर्हता सम्बन्धी कई प्रमुख उपबन्ध ऐसे हैं जिन पर विचार नहीं किया गया है।

मेरे माननीय मित्र ने अपने भाषण में, आम चुनाव सम्बन्धी अधिसूचना से संबंधित खंड का उल्लेख किया है। मुझे इस में गम्भीर सन्देह है कि क्या यह उपबन्ध उचित है और क्या वह संविधान की भावना के अनुरूप है। उपबन्ध यह है कि जब लोकसभा विघटित कर दी जाये अथवा उस का कार्य-काल समाप्त हो जाये तब आम चुनाव आयोजित किये जाने चाहियें तथा आम चुनाव आयोजन के लिये कार्यकाल की समाप्ति

के चार मास पूर्व कार्य वाही की जानी चाहिये । नये उपबन्ध में कार्यकाल की समाप्ति से सम्बन्धित वाक्यांश समाविष्ट नहीं किया गया है । नये उपबन्ध के अनुसार विघटन से पूर्व चुनाव आयुक्त द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । संभवत इस से लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के लिये एक ही समय चुनाव कराना अपेक्षित हो । दोनों ही सभाओं को उन के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व विघटित किया जाता है। विघटन एक असाधारण शक्ति है जो राष्ट्रपति को दी गई है तथा उस का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति में किया जाना अपेक्षित है । मैं विधि कार्य मंत्री से पूछता हूं कि क्या राज्य विधान सभाओं और लोकसभा के चुनाव एक ही समय आयोजित करने के लिये इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है ? क्या इस से विधान सभा एवं लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल में पर्याप्त कटौती नहीं होगी ? क्या इस से चार मास तक अनुसचिवीय शासन, जोकि विधान सभा के नियंत्रण से वंचित होगा, नहीं होता रहेगा ? अतएव मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि चुनाव आयुक्त एवं उन के कार्यालय द्वारा इस संवैधानिक मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है, उन्हों ने अपने प्रस्ताव के गंभीर परिणामों को नहीं समझा है । संसद के किसी सदस्य का कार्यकाल, जबकि वह पांच वर्षों के चुना गया हो, पांच वर्ष से चार माह पूर्व ही क्यों समाप्त कर दिया जाये । अन्तिम चार महीनों का वेतन भी सदस्यों को नहीं मिलेगा किन्तु यह एक मामूली बात है । आवश्यकता होने पर भी उन्हें इस चार मास की अवधि में मंत्रालय को परामर्श देने के लिये आमंत्रित नहीं किया जावेगा । पुरानी प्रणाली यह थी कि भूतपूर्व सदस्य केवल तभी सदस्य नहीं रहते थे जबकि नई संसद् अस्तित्व में आ जाती थी । इस कारण एक क्रमबद्धता जारी रहती थी किन्तु अब चार मासों के लिये क्रमबद्धता टूट जायेगी । मैं अब अनर्हता विषयक खंड को लेता हूं खंड ७ को पूर्ण रूपेण संशोधित करना मेरे माननीय मित्र ने जरूरी नहीं समझा है । अनर्हता विषय इस खंड के निर्वचन में गम्भीर कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं । खंड ७ (घ) और (ङ) के सम्बन्ध में मतभेद पाया गया है और चुनाव न्यायाधिकरणों द्वारा परस्पर विरोधी निर्वचन भी दिये गये हैं । उदाहरण के लिये, न्यायाधीश श्री लोकूर ने जो निर्वचन दिये थे, वे अन्य न्यायाधिकरणों के निर्वचनों से सर्वथा भिन्न हैं । इसलिये विधि के इस विषय के स्पष्टीकरण की नितान्त आवश्यकता है । मेरा यह मतलब नहीं कि अनर्हता से सम्बन्धित समस्त विधि को ही समाप्त कर दिया जाये । अनर्हता विषयक विधि में निहित सिद्धान्त यह है कि संसद् के सदस्य को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिये । हम ने इसी प्रकार के उपबन्धों का समावेश १९५० की विधि में किया है किन्तु यह उपखंड (घ) विशेष रूप से विभिन्न निर्वचनों का विषय बना है । मेरा विचार है इस उपखंड के सम्बन्ध में कुछ छूट दी जानी चाहिये । प्रवर समिति इस सुझाव पर विचार कर सकती है ।

दूसरी धारा ७(ङ) भी महत्वपूर्ण है, तथा वह निदेशकों और प्रबन्ध अभिकताओं से सम्बन्ध रखती है । सार्वजनिक क्षेत्र का कितना विस्तार हम करेंगे यह मुझे ज्ञात नहीं है किन्तु मेरी धारणा है कि इस धारा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । मैं इसे प्रवर समिति के समक्ष रखता हूं ताकि वह इस अनर्हता पर विचार करे । प्रत्येक अवसर पर विधि पारित करना संसद् को असुविधाजनक होता है । चूंकि हमारा सार्वजनिक क्षेत्र विस्तृत हो रहा है और चूंकि जिस समय हम ने यह विधि पारित की थी उस

[डा० कृष्णस्वामी]

समय हम ने ऐसे विस्तृत सार्वजनिक क्षेत्र की कल्पना नहीं की थी, इसलिये मैं प्रवर समिति से अनुरोध करता हूं, कि वह इन दोनों उपबन्धों पर विचार करें ।

अब मैं एक अन्य धारा को लेता हूं जिस का सम्बन्ध उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले व्यय विवरण और चुनाव अभिकर्ता के कर्तव्यों से है । हमारे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मूल उपबन्ध यह है कि निर्वाचन व्यय का विवरण न भेजे जाने की दशा में केवल उम्मेदवार ही नहीं अपितु निर्वाचन-अभिकर्ता भी अनर्ह घोषित किया जायेगा । अब यह सुझाव है कि केवल उम्मेदवार ही अनर्ह घोषित किया जाये । इस से कई गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं । वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत उम्मीदवार अपने आप को भी निर्वाचन अभिकर्ता घोषित कर सकता है । किन्तु मैं उस अवस्था को लूंगा जिस में उम्मेदवार अपने अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता है ।

सभापति महोदय : आप अब निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी फांसना चाहते हैं ?

श्री पाटस्कर : मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अभी तक हमारे देश में अधिकतर व्यक्तियों ने स्वयं को ही निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त किया है । बहुत ही कम मामलों में उन्हों ने दूसरों को इस कार्य के लिये नियुक्त किया है ।

डा० कृष्णस्वामी : यदि आप निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को समाप्त करना चाहते हैं तब मुझे इस सुझाव के प्रति कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु यदि आप निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का उपबन्ध रखते हैं तब उम्मेदवार के साथ उसे भी निर्वाचन में हुए व्यय के लिये उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये । परन्तु संशोधक विधेयक के अनुसार व्यय-विवरण भेजना केवल उम्मेदवार का ही कर्तव्य रह जाता है । निर्वाचन अभिकर्ता उस से बच जायेगा निर्वाचन व्यय के लेखे का सत्यापन केवल उम्मेदवार को ही नहीं किन्तु निर्वाचन-अभिकर्ता को भी --जहां कहीं भी उसे रखा गया हो--करना चाहिये । यही कारण है कि सभी निर्वाचन विधियों में यह कहा गया है कि जब तक निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय का विवरण नहीं भेज दिया जाता है तब तक निर्वाचन अभिकर्ता का कार्य समाप्त नहीं होता ।

मैं जन प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक के भिन्न भिन्न दलों द्वारा भेजे जाने वाले निर्वाचन-व्यय विवरण सम्बन्धी खण्ड ४१ की धारा ७१(४) के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । इस का आशय यह है कि अपने उम्मेदवार की सहायता के लिये किसी मान्य दल द्वारा किया गया व्यय कथित निर्वाचन-व्ययों में सम्मिलित नहीं होगा । यह एक अनुचित उपबन्ध है । बड़े बड़े दल रुपया खर्च कर सकते हैं, किन्तु जो स्वतंत्र सदस्य अथवा दूसरे सदस्य आते हैं उन के निर्वाचन व्ययों पर बड़ा कठोर नियंत्रण रहता है । यह प्रजातंत्र की मूल भावना के अनुकूल नहीं है । यह निष्पक्ष निर्वाचन की भावना के प्रतिकूल है । यदि दलों को अपने उम्मेदवारों की सफलता के लिये मनमाना धन खर्च करने की छूट मिल जायेगी तो फिर छोटे दलों के सदस्यों तथा स्वतंत्र सदस्यों के लिये संसद् का दरवाजा बन्द हो जायेगा । हमारे सार्वजनिक जीवन में स्वतंत्र सदस्यों का भी महत्व है । अतः नियम तो यह होना चाहिये कि दलों द्वारा व्यय को जाने वाली राशि पर कड़ा नियंत्रण किया जाये क्योंकि

किसी दल से सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्ति तो वैसे भी अपेक्षाकृत कम व्यय कर सकते हैं । यदि मुझे प्रवर समिति के सम्मुख जाने का अवसर मिला तो इस बिषय में मैं अन्य बातें भी उन के सामने रखूंगा ।

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य प्रवर समिति में उपस्थित हो सकता है । हां, उसे वहां मत देने का अधिकार अवश्य नहीं होता है ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मेरा भी यही विचार था कि प्रत्येक सदस्य प्रवर समिति के सम्मुख जा सकता है । यद्यपि उस को वहां मत देने का अधिकार नहीं होता है तथापि उस को अपनी बात प्रवर समिति को सुनाने का अधिकार है । दण्ड संहिता प्रणाली के सम्बन्ध में मैं इसी विचार से प्रवर समिति के सामने गया था किन्तु जब मैं वहां गया तो मेरे ऊपर सब नियम लाद दिये गये और कहा कि मैं वाद विवाद में भाग नहीं ले सकता था । अतः मुझे लौट आना पड़ा ।

डा० कृष्णास्वामी : यही बात मैं कह रहा था ।

सभापति महोदय : आप सभापति को अपना नोट भेज सकते हैं ।

डा० कृष्णास्वामी : सभापति को मुझे अपना मन्तव्य रखने के लिये विशेष अनुज्ञा दान करनी चाहिये ।

श्री पाटस्कर : जहां तक मेरा सम्बन्ध है , मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यदि वह मुझे अपना नोट भेजेंगे तो मैं उसे अवश्य ही प्रवर समिति के सभापति को भेज दूंगा, चाहे वह कोई भी क्यों न हो ।

डा० कृष्णास्वामी : अब मैं विधेयक के खण्ड ४ को लूंगा । मेरा सुझाव है कि यह खण्ड विधेयक में नहीं रहना चाहिये। इस खण्ड का उद्देश्य निर्वाचन आयुक्त को व्यय विवरणों का परीक्षण करने के लिये अधिक समय प्रदान करना है । किन्तु निर्वाचन आयुक्त को यह शक्ति देने से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा । इस के लिये उसे सीधे चार मास अथवा इस के लगभग कोई समय दिया जा सकता है । यह इस से कहीं अच्छा रहेगा कि निर्वाचन–आयुक्त प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय विवरण पर, चाहे वह भेजा गया हो अथवा नहीं, अपने आप निर्णय दे दे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत निर्वाचन आयुक्त को व्यय विवरणों का परिक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है । वह केवल यही देखता है कि विवरण ठीक समय पर दिये गये हैं ।

डा० कृष्णास्वामी : परन्तु यह तो कहा गया है कि आदेश देना चाहिये कि विवरण भेजे गये हैं अथवा नहीं । जब कोई व्यय विवरण ही नहीं दिये जायेंगे तो वह आदेश क्या देगा ।

श्री पाटस्कर : पिछले निर्वाचनों में यह कठिनाई उत्पन्न हुई थी कि बहुत से उम्मेदवारों ने समय पर व्यय विवरण नहीं दिये थे । तब निर्वाचन आयुक्त ने उनके विषय में आदेश जारी किये थे । अतः अब यह प्रस्तापना है कि उस आदेश की तिथि से ही उम्मेदवार को अनर्ह समझा जाये । अन्यथा अनर्हता का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा । फिर भी इस विषय पर प्रवर समिति विचार कर सकती है । यदि वह कोई और अच्छा विकल्प निकाल सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

बाबू रामनारायण सिंह : सभापति महोदय, आप को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया ।

एक माननीय सदस्य : यह आप का हक है ।

बाबू रामनारायण सिंह : हक तो है, लेकिन साधारण हक जल्दी मिलता नहीं है । इसलिये हक की प्राप्ति के लिये धन्यवाद देना भी बुरा नहीं है ।

कल श्रीयुत निर्मल चन्द्र महोपाध्याय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि दोनों विधेयकों में जितना विषय हैं उन के अलावा अन्य विषयों पर भी विचार करने का अधिकार प्रवर समिति को दिया जाय । आज श्रीमती सुषमा सेन ने भी उस का समर्थन किया है, मैं भी उसका अनुमोदन करता हूं ।

बात यह है कि अभी हमारे देश में जितनी बातें चल रही हैं प्रायः इस को आप नक्ल कहिये या भीख मांगना कहिये या जो चाहे कहिये । इसी तरह से चुनाव के नियम भी जो हैं करीब करीब सब बाहर के देशों से लिये गये हैं, लेकिन एक दिन ऐसा था जब यहां के लोग चुनाव को नहीं समझते थे, वे नहीं जानते थे कि कैसे चुनाव किया जाय, कौन सा नियम उस के लिये हो, उस दिन बाहर के देशों की मदद लेना बुरी बात नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत दिनों से हम लोग चुनाव कर रहे हैं, कुछ ज्ञान भी हमें प्राप्त हो गया है, कुछ अनुभव भी प्राप्त हो गया है । अब तो हमें कुछ अपनी अक्ल खर्च करनी चाहिये कि क्या नियम होने चाहियें ।

यह बात देखने में बड़ी अच्छी मालूम होती है कि पहले चुनाव के लिये जो चुनाव पत्र होते थे उन में यह होता था कि एक तो उस उम्मीदवार के दस्तखत हों, उस के बाद एक प्रस्तावक हो और एक समर्थक हो लेकिन अब समर्थक की जरूरत नहीं है, प्रस्तावक की ही जरूरत है । लेकिन मैं तो कहता हूं शायद कुछ लोगों को यह बिल्कुल नई बात मालूम हो, कि प्रस्तावक की भी जरूरत नहीं होनी चाहिये ।

श्री पाटस्कर : इस बिल में अब उस की भी जरूरत नहीं है ।

बाबू रामनारायण सिंह : और सुनियें, मैं तो चाहता हूं कि उम्मेदवार की भी जरूरत नहीं रहनी चाहिये । बात यह है कि आज अगर कोई उम्मीदवार होता है तो क्यों ? क्यों नहीं जनता को पूरा पूरा अधिकार दिया जाय कि वह अपनी विचार शक्ति से जिस को चाहे उस को चुन ले । उम्मीदवार क्यों यह कहने जाय कि हम को वोट दो ? आज लोग जाते हैं और वोट मांगते हैं तो जरूर जनता उससे प्रभावित हो जाती है । कभी तो चुनाव में कहा जाता है कि महात्मा गांधी का हुक्म है कि अमुक अमुक व्यक्ति को वोट दो, कभी जवाहरलाल जी के नाम को वोट मांगा जाता है । इस का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । साथ ही यह भी जरूरी बात है कि जिस वक्त तक उम्मीदवारों के नाम रक्खे जायेंगे तब तक खर्च वर्च आदि जितने तरीके के अनर्थ होते हैं वे सब होते रहेंगे । आप चाहे जितने कानून बनायें, लेकिन जब आदमी चुनाव में खड़ा होगा तो चुनाव जीतने के लिये और चुनाव के बाद जो भी भोग विलास यहां आने पर करने को मिलते हैं उनको प्राप्त करने के लिये जितने भी अनर्थ हो सकते हैं, उन सबको वह करेगा । कोई भी कानून उस को नहीं रोक सकेगा । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि चुनाव ऐसा सुन्दर हो जिस को प्रजातंत्र कहते हैं । प्रजातन्त्र में तो हमारे यहां यह है कि पंच परमेश्वर होता है और जनता जानती है कि किस को चुनाव में भेजना

चाहिये। अमुक अमुक स्थान पर और अमुक अमुक काम के लिये क्या जरूरत है कि कोई उम्मीदवार हो ? जितने अनर्थ होते हैं, चुनाव में जितनी गड़बड़ियां होती हैं सब इस वास्ते होती हैं कि कई दल खड़े हो जाते हैं और दलों की तरफ से उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं।

श्री कामत : जनता घबरा जाती है।

बाबू रामनारायण सिंह : हमारे कामत साहब कहते हैं कि जनता घबरा जाती है। बहुत ठीक है, जनता घबरा जाती है क्योंकि जवाहरलाल जी कुछ कहते हैं ठाकुर दास जी कुछ कहते हैं और कामत साहब कुछ कहते हैं, आखिर जनता किस को वोट दे ? होगा यह कि जो ज्यादा खुशामद करेगा उस को वोट दे देगी। बहुत से लोगों को मालूम होता है कि यह इम्प्रैक्टिकेबुल बात है। लेकिन बात यह है कि जिस काम को हम करना नहीं चाहते, जिस काम में हम अपने पग बढ़ाना नहीं चाहते उस के लिये कह देते हैं कि यह इम्प्रैक्टिकेबुल बात है। आज जरूरत है कि सारे देश के लोग इस संसद में बैठ कर विचार करें कि किस प्रकार से चुनाव सुन्दर तरीके से हो जिस में कोई ज्यादा खर्च न हो और किसी के लिये भी ज्यादा मुश्किल पैदा न हो। मैं ने पहले कहा था कि आज जिस तरह से डिमाक्रेसी के नाम पर चुनाव होता है देश में उस में धूर्त और धनी मिल जाते हैं और सारे मतदाताओं के वोट्स को अपने वश में कर लेते हैं, कोई भी चुनाव आज स्वतंत्र नहीं होता है, चाहे कोई भी देश हो। इसलिये मैं कहता हूं कि चुनाव के समय कोई उम्मीदवार ही न हो और न कोई किसी के पास वोट लगांने जाय। बल्कि जो वोट मांगने जाय उस को वोट नहीं मिलनी चाहिये। उसको सजा मिलनी चाहिये। पूरे पूरे अधिकार मतदाताओं को होने चाहियें कि वह किस को वोट दें किस को चूनें। यहां पर बठ कर हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं नियम बना सकते हैं कि किस प्रकार से इस तरह से चुनाव किये जायें। मैं तो सारे देश के लोगों से और जो यहां बैठे हुये हैं उन सबों से निवेदन करता हूं कि हम सब मिल कर कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि चुनाव सुन्दर तरीके से हों और अच्छे अच्छे और स्वतन्त्र व्यक्ति चुन कर आयें। दल में तो केवल एक सरदार होता है बाकी सब तो उस के गुलाम होते हैं। मैं समझता हूं कि यह ३६ करोड़ भारतीयों की प्रतिनिधि सभा है, यहां बिलकुल स्वतंत्र व्यक्तियों को आना चाहिये जो अपने कार्य के बल पर जनता के भेजे हुए आवें। दल वाले जो आते हैं वह अपनी गुलामी के जरिये वोट इकट्ठा कर के और बहुमत प्राप्त करके कैसे देश की सेवा कर पायेंगे। यह तो देश के लिये दुर्भाग्य की बात है, इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। इस वास्ते मैं बार बार कहूंगा कि चुनाव में उम्मीदवारी नहीं होनी चाहिये, उम्मीदवारों का होना बुरा है, उससे सुन्दर चुनाव नहीं हो सकता है। इस सम्बंध में इस से अधिक कहने के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

दूसरी बात चुनाव के खर्च के सम्बन्ध में है। इसके ऊपर संशोधन भी आये हैं कि चुनाव का खर्चा तो लोगों को दाखिल करना चाहिये, लेकिन जो दल की तरफ से खर्च किया जायेगा उस को दिखलाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिये कि एक समाज है जिस की सरकार कही जाती है, तो सरकार के हाथ में तो देश की सारी शक्ति और सारी सम्पत्ति होती है, साथ ही गड़बड़ी करने की जो प्रवृति है वह भी कम नहीं है। तो जिस दल के हाथ में सरकार है और सरकार होने की वजह से जिसके हाथ में देश की सारी शक्ति और सम्पत्ति है और

[बाबू रामनारायण सिंह]

गड़बड़झाला करने की प्रवृत्ति भी है उस के सामने किसी स्वतन्त्र व्यक्ति का जीत लेना बहुत कठिन है। आप जानते हैं कि जब कहीं कोई नियम या कानून बनता है, दुनिया के किसी भी देश में, तो इसलिये बनता है कि काम सचारु रूप से हो और देश के लोगों का चरित्र बने। ऐसा नियम और कानून कभी नहीं बनना चाहिये जिस से कि लोगों का चरित्र गिर जाय। हिसाब मांगने का जो कानून है वह जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, सब को बेईमान बनाता है मैं जानता हूं कि सब यही कहेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्होंने भी चनाव लड़ा है और जितने भी लोग यहां पर बैठे हुये हैं चाहे वे साधारण सदस्य हों, चाहे वे मंत्री हों चाहे प्रधान मन्त्री हों और चाहे आप ही हों . . .

श्री कामत : चैयरमैन के बारे में नहीं कहना चाहिये ।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं मानता हूं कि चेयरमैन के बारे में नहीं कहना चाहिये उन की दूसरी बात है और मैं उनके बारे में नहीं कहता हूं ।

मैं कह रहा था कि सारे देश में शायद मुसतसना तो सब जगह होते हैं, इन गिने व्यक्तियों को छोड़ कर, जितने भी लोग हैं जो भी उन्होंने खर्च का हिसाब दिया है, सब गलत दिया है, झूठ दिया है। मैं कहता हूं कि हर एक को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाना पड़ता है और वहां पर शपथ खा कर कहना पड़ता है कि यह सब ठीक खर्चे हैं। हमें शर्म आनी चाहिये कि हम लोगों को वहां जा कर झूठी शपथ लेनी पड़ती है। हम पार्लियामेंट के सदस्य हैं और ३६ करोड़ जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका हित करने के लिये हम यहां आते हैं .....

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : श्रीमान् एक औचित्य प्रश्न है। यह कहना कि बहुत से सदस्यों ने चुनाव के खर्चे के सम्बन्ध में जो शपथ ली है वह झूठ ली है, सदस्यों की निन्दा है। हमने कभी गलत वक्तव्य नहीं दिये ।

सभापति महोदय : यह सामान्य वक्तव्य है। परन्तु तो भी यदि माननीय सदस्य इस पर आक्षेप करते हैं तो भी ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

बाबू रामनारायण सिंह : सभापति महोदय, मेरे मित्र बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञाता है और वह यह श्लोक जानते ही होंगे :

हितं बनोहारिचदुर्लभ बचः

हित की बात सच्ची बात मीठी हो यह बहुत कठिन है। मैं ने पहले ही यह कह दिया है कि कुछ को छोड़ कर बाकी सब लोग ऐसा करते हैं। हो सकता है मेरे मित्र नन्द लाल जी ने बहुत खर्च न किया हो और ठीक ठीक खर्च किया हो और उन के जितने काम करने वाले थे उन्होंने ठीक ठीक हिसाब दिया हो। मैं एक्सैप्शन करने को तैयार हूं ।

तो मैं चाहता हूं कि किसी भी उम्मीदवार को खर्च का हिसाब देने की जरूरत नहीं होनी चाहिये । मैं प्रवर समिति के जितने भी सदस्य हैं उनसे निवेदन करता हूं कि यदि हमारे देश को सच्चे रास्ते पर चलना है, ठीक रास्ते पर चलना है, तो खर्च का हिसाब किसी से नहीं मांगा जाना चाहिये, यह अन्याय है, मूर्खता है ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : सदन के सामने कानून विभाग के मंत्री जी ने

दो विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है, उस का मैं स्वागत करता हूं। पिछले चुनावों में हमें अनेक अच्छे और बुरे अनुभव हुए हैं। जहां हमें इस बात का गर्व है कि ऐसा चुनाव जनतंत्रीय आधार पर हमारे देश में किया गया जिसकी मिसाल दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलती वहां हम इस बात का दुख भी है कि उस चनाव में बहुत सी ऐसी त्रुटियां रह गयीं कि जिनको हमें अपने अनुभव के आधार पर दूर करना जरूरी है। तो यह जो विधेयक हमारे सामने हैं इन का उद्देश्य यह है कि जो अनुभव हमें चुनाव में हुआ है और जो त्रटियां हमन उन चुनावों में देखी हैं उन को हम सुधार लें ताकि आने वाले चुनाव को हम और भी सुचारु रूप से और एक नमूने के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें। इसलिये मैं इन दोनों विधेयकों को और इनमें जो सुझाव दिये गये हैं अथवा जो प्रस्ताव किये गये हैं उनका स्वागत करता हूं।

इस सम्बन्ध में दो चार बातें जो मेरे मन में आई हैं वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हुं और आशा करता हूं कि प्रवर समिति जिस समय इन विधेयकों पर विचार करेगी उन बातों पर भी ग़ौर कर लेगी।

जो संशोधन इस सदन में पेश किये गये हैं प्रवर समिति को उन्हीं तक ही अपने विचारों को सीमित नहीं रखना चाहिये बल्कि इसके अलावा भी कोई ऐसी बात अगर उन के सामनें आवे या ऐसा सुझाव उन के सामन आवे जिस को मान कर इन विधेयकों को और भी ज्यादा उत्तम बनाया जा सके तो वह भी उन्हें छोड़ने नहीं चाहिये मैं इस का समर्थन करता हूं। लेकिन यह बहुत ही अच्छा होता अगर यह दोनों विधेयक तब आते जब कि रियासतों के पुनर्संगठन सम्बन्धी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देती और उस के सुझाव भी हमारे सामने आ जाते क्योंकि हो सकता है कि उसमें भी चुनाव सम्बन्धी ऐसी बातें हों कि जिन्हें अगर प्रवर समिति अपन सामने रखे और उन के आधार पर इन विधयकों में संशोधन करें तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती और यह विधेयक और भी ज्यादा पूर्ण रूप में प्रवर समिति में से वापस आते। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जब तक प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट देगी उस से पहले आयोग की रिपोर्ट भी उस के सामने आ जायेगी और उन की सिफारिशों पर भी प्रवर समिति विचार कर लेगी।

इसके बाद सर्वप्रथम मेरा सुझाव एक यह है कि मैं देखता हूं कि इस थोड़े से समय में हमारे सदन के सामने चार ऐसे विधयक आ चुके हैं। पहले दो तो आरिजनल बिल थे और दो अब हैं जिन के ज़रिये से हम उन बिलों में संशोधन करने जा रहे हैं। चारों विधेयकों को अगर हम अपने सामन रखें तो यह कुछ अलग अलग मालूम होते हैं। मेरी यह राय है कि सदन के सामने एक ऐसा बिल आना चाहिये, ऐसा विधेयक आना चाहिये कि जो सब प्रकार से पूर्ण हो और वह एक कान्सौलिडेटिड कोड हो, चुनाओं सम्बन्धी सम्पूर्ण कानून हों, जिस में कि सब नियम आदि भी आ जाये। यदि ऐसा किया गया तो मेरा खयाल है उसको समझने में आसानी होगी और आम लोगों को जो उलझन में पड़ सकते हैं। इलेक्शन कमिशन ने भी इस ओर हम लोगों का ध्यान दिलाया है। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति इस ओर ध्यान देगी और इस सम्मन्ध में अगर कुछ कदम उठाया जा सके तो वह उठायेगी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जैसे कि और मेरे मित्र भी

[श्री राधा रमण]

कह चुके हैं, जब कभी कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसे अपना नाम प्रस्ताव पत्र दाखिल करना होता है उसमें एक प्रस्तावक होता है और दूसरा समर्थक होता है। इस बिल में सुझाव दिया गया है कि जो प्रोपोजर है वह तो रहे लेकिन जो सैकेंडर है उस की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी ऐसी राय है कि जब कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो वह उम्मीद करता है कि उसके इलाके में या उस की कंस्टिट्युएंसी में उस के बहुत सारे शुभचिंतक हैं, बहुत से लोग उसे वोट देने वाले हैं, उसके लिये काम करने वाले हैं और उसको कामयाब बनाने वाले हैं और जब ऐसी बात है तो यह ठीक नहीं मालूम होता कि जो आदमी अपने आप को एक उम्मीदवार की हैसियत में खड़ा करना चाहता है वह अपने प्रस्तावना पत्र में एक प्रस्तावक और एक समर्थक को हासिल करने में कोई कठिनाई महसूस करें। तो जहां हम कहते हैं कि उम्मीदवार सब की मर्ज़ी से या ज्यादा से ज्यादा लोगों की मर्ज़ी से होता है वहां उसके लिये कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और न कोई देर लगनी चाहिये कि वह एक प्रस्तावक और एक समर्थक हासिल कर ले तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि इस समर्थक को क्यों हटाया जा रहा है मैं यह हूं कि इसे रखना चाहियें .....

श्री आर० एस० दीवान (उस्मानाबाद) : क्यों रखना चाहिये ?

श्री राधा रमण : इसलिये रखना चाहिये कि कम से कम यह महसूस हो कि उम्मीदवार इलेक्शन के लिये इतना इच्छुक नहीं है बल्कि जो प्रस्तावक और समर्थक है वह ज्यादा इच्छुक है उस को भेजने के लिये। मेरी समझ में इन दोनों को रखने से कोई कठिनाई नहीं हो सकती। यह बात मेरी समझ में ज्यादा आती है कि अगर कोई नाम दे और उस के १० प्रस्तावक हों और १० समर्थक हों तो यह महसूस होता है कि वह आदमी अधिकारी है और लोग उसे चाहते हैं। तो मैं प्रवर समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात को सामने रखे और मेरे सुझाव पर विचार करें।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आप ने इस विधेयक में रखा है कि लोग जब इलक्शन हो चुकते हैं तो उस की रिटर्न फाइल करते हैं, उस में बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं। इस विषय में एक सीलिंग भी हमने रख दी कि इलेक्शन में इस से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिये कुछ लोगों का यह भी विचार है कि अगर इस सीलिंग को हटा दिया जाय और रिटर्न्स वगैरह भरने का कोई काम न हो, तो अच्छा है। मैं समझता हूं कि जो लोग चाहते हैं कि उम्मीदवार अपने काम और अपनी सेवाओं के बल पर इस सदन में आयें न कि धन के बल पर, तो वह इस प्रकार की सीलिंग मुकर्रर रखना पसन्द करेंगे। यह बात ठीक है कि सीलिंग रखने के बावजूद बहुत से लोग बे-ईमानी करेंगे और गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे। हमारे सामने ऐसा कोई मार्ग नहीं है, जिस पर चल कर हम बे-ईमानी करने वालों और झूठ बोलने वालों को रोक सकें। अगर कोई ऐसा करना चाहता है, तो वह तो हर हालत में करेगा। इस विषय में मेरा सुझाव यह है कि रिटर्न्स तो बेशक दाखिल किये जाते रहें, लेकिन आप ने जो बन्धन सीमित रकम को अलग-अलग मदों में खर्च करने का रखा हुआ है कि प्रकाशन पर इतना खर्च करता है और स्टाफ पर इतना खर्च करना है, वह आवश्यक नहीं होना चाहिये। आप एक आखिरी लिमिट मुकर्रर

कर दीजिये कि इस से ज्यादा रुपया खर्च न किया जाय, लेकिन लोगों को उस खर्च को अलग अलग खानों में भरने के लिये बहुत कठिनाई होती है, इसलिये उन को भरने का तरीका खत्म कर दीजिये । इस तरह जो दिक्कत बहुत से भाइयों को नज़र आती है, वह दूर हो जायेगी । धनी लोग, रुपये वाले लोग, तो हमेशा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और चुनावों में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर हम वास्तव में ऐसे लोगों को सहायता देना चाहते हैं, जो अपने कार्य और अपनी सेवाओं के बल पर इस सदन में आना चाहते हैं तो हम को इस प्रकार की कोई सीमा अवश्य रखनी चाहिये यह एक प्रकार का चैक है—यह एक प्रकार का दरवाज़ा है, जिस को अगर कोई उमीदवार पार करेगा, तो उस को खतरे का सामना करना पड़ेगा । लेकिन अलग अलग खानों में जो भर कर देना पड़ता है, जो तफसीलात देनी पड़ती है, उन की मैं ज़रूरत नही समझता हूं । अगर वह हट जाय, तो लोगों को सहूलियत ज़रूर हो जायेगी ।

पिछले चुनाओं में हमने इस बात की काफ़ी कोशिश की कि हर एक मत-दान करने वाला आदमी सिर्फ एक ही वोट डाले जिस का कि उसको हक़ मिला है । इस सम्बन्ध में हम ने कई तरीके भी अख्तियार किये । मसलन हम ने सियाही का इस्तेमाल किया और यह प्रबन्ध किया कि मतदाता पहले अपना नाम लिखाये और फिर परदे में वोट डाले, वग़ैरह वग़ैरह । इस तरह हम ने जाली वोट न डाले जाने का प्रयत्न किया । मगर पिछले चुनाव के तजुर्बे से हमें ऐसा महसूस हुआ है कि उन तरीकों को बदलना पड़ेगा । सब से पहले हमारे सामने सियाही का सवाल आता है । पहले आम चुनावों में सियाही ने बड़ा काम दिया, लेकिन दूसरे और तीसरे उप-चुनाव में यह सियाहियां बिल्कुल बेकार हो गई । आज इस प्रकार की सियाहियां निकल आई हैं, जिन को इस्तेमाल किया जाता है और कोई भेद नज़र नहीं आता है । प्रवर समिति को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

जो बेलट-पेपर दिये जाते हैं, वे ऐसे होते हैं कि उनके स्थान पर जाली बेलट पेपर इस्तेमाल नहीं किये जा सकते हैं, लेकिन बेलट-पेपर्स को ख़रीदने का बड़ा रिवाज चल रहा है । उम्मीदवार लोग बहुत से बेलट-पेपर्स खरीद लेते हैं और एक एक आदमी से पचास पचास बेलट-पेपर्स डलवाते हैं । इस का भी इन्तजाम किया जाना चाहिये क्योंकि इस के कारण बहुत से चुनाव सही और ठीक नहीं होते और उन के नतीजे हमारी उम्मीद और तवक्को के बिल्कुल खिलाफ होतेहैं ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । जो डबल-मेम्बर या मल्टीपल मेम्बर कांस्टीच्युएन्सीज़ होती हैं, उन में इलेक्शन के वक्त एक से अधिक बेलट-पेपर दिये जाते हैं । होता यह है कि न सिर्फ अनपढ़ बल्कि पढ़े लिखे लोग भी बजाय एक एक आदमी एक एक वोट डाले एक ही डिब्बे में दो तीन बेलट-पेपर डाल देते हैं । इस का नतीजा यह होता है कि उन का सिर्फ एक वोट सही माना जाता है और बाकी बेकार हो जाते हैं । इस बात का भी कोई जवाब होना चाहिये —कोई इलाज होना चाहिये । हमारे बहुत से भाई अपने वोट का सही इस्तमाल करना चाहते हैं, लेकिन तरीका न जानने की वजह से ऐसा नहीं कर सकते । प्रवर समिति को इस सम्बन्ध में कोई न कोई सुझाव रखने चाहियें ।

इस के अलावा मंत्री महोदय की तरफ से विधेयकों में यह सुझाव दिया गया है कि

[श्री राधा रमण]

इलैक्शन की टाइम-लिमिट को कम कर दिया जाय मैं इस का स्वागत करता हूं। यह इलैक्शन का पीरियड घबराहट का पीरियड होता है और इस में काफ़ी लोगों को दिन रात मुसीबत उठानी पड़ती है और बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और उस वक्त बराबर लड़ाई झगड़े का इमकान रहता है। अगर चुनावों के वक्त को कम कर दिया गया, तो मैं समझता हूं कि इस से इलैक्शन के काम में कोई कमी आने वाली नहीं है, बल्कि इस से हम को फ़ायदा होगा और वह यह कि खर्च कम हो जायेगा — कैन्डीडेट्स का भी और सरकार का भी— और जो झगड़े की बिना एक दो महीने बनी रहती है, वह जल्दी खत्म हो जायेगी और कैन्डीडेट्स के दरमियान और इलाके वालों के दरमियान अच्छी हवा बनी रहेगी।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) : लेकिन इस का परिणाम यह भी होगा कि जिन लोगों के पास मोटरें होंगी, वे जीत जायेंगे।

श्री राधा रमण : मोटरों की ज़रूरत तो होनी ही नहीं चाहिये। मोटरों का तो इस्तेमाल ही मना कर दिया गया है और जो लोग मोटरों का इस्तेमाल करते हैं, वे अपने को इस खतरे में डालते हैं कि उन का इलैक्शन रद्द कर दिया जाय।

एक बात मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि विधेयक के प्राविज़न के रूप में यह सजेस्शन दिया गया है कि ट्रिब्यूनल में तीन के बजाय दो मेम्बर रखे जायें और अगर उन दोनों का फैसला एकसा न हो, तो हाई कोर्ट का एक जज उस में फैसला करेगा। मेरी राय में यह तरीका कुछ बहुत ज्यादा अच्छा न होगा और ट्रिब्यूनल में तीन आदमियों का जो तरीका हम ने अभी तक कायम रखा है, उसी को चलाया जाय, तो ज्यादा अच्छा है। इस की वजह यह है कि मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि तीन मेम्बर रखने से ज्यादा देर लगती है और दो रखने से वह कम हो जायेगी। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा होगा कि तीन मेम्बरों का ट्रिब्यूनल रहे। हां, यह बात ज़रूर है कि हमें एक टारगेट मुकर्रर कर देना चाहिये कि इस के अन्दर अन्दर ट्रिब्यूनल अपना फैसला दे दे। कई पेटीशन्ज़ का फैसला होने में एक एक साल और नौ नौ महीने लग जाते हैं। सदर साहब, मैं अर्ज़ करूंगा कि हमारा एक टारगेट मुकर्रर होना चाहिये कि कोई पेटीशन एक महीन या दो महीने, जो भी हम रखना चाहें, से ज्यादा ट्रिब्यूनल के सामने पड़ा न रहे।

जो दो तीन बातें मैं ने यहां रखी हैं, मुझे आशा है कि प्रवर समिति उन पर विचार करेगी और दूसरे भाइयों ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर भी विचार करेगी और जो सुझाव इन के अलावा आयेंगे, उन का भी ख्याल रखा जायेगा। मुझे आशा है कि जब ये दोनों विधेयक उन से मंजूर हो कर हमारे पास आयेंगे, वे इतने मुकम्मल होंगे कि जितनी शानदार सफलता हम ने पिछली बार हासिल की थी, उस से भी शानदार सफलता हम अगले चुनावों में हासिल करेंगे।

श्री एम० पी० मिश्र : (मुंगेर उत्तर-पश्चिम) : हमारे देश के जो चुनाव के कानून हैं, वे बहुत ही कारगर साबित हुये हैं। उन के अधीन ही हिन्दुस्तान का पहिला आम चुनाव लड़ा गया और उस की शानदार सफलता सारी दुनिया में हमारे लिये नाम हासिल कर के आई। कहते हैं कि इतना बड़ा चुनाव, जिस में सत्रह करोड़ मतदाता हों, आज तक दुनिया में नहीं हुआ है और इतनी शान्ति और शान के साथ भी चुनाव

कहीं नहीं हुये । लोग समझते थे कि इस देश के लोग अनपढ़ हैं, इन को पहली दफ़ा बालिग मताधिकार मिला है और इस देश में तरह तरह के झगड़े हैं, विभेद हैं, लेकिन हमारे देश, यहां के लोक-राज्य हमारे चुनाव के कानून—पीपल्ज़ रिप्रेज़ेन्टेशन ऐक्ट—उस विधायकों को इस बात का श्रेय है कि यहां पर चुनाव इतनी शान्ति के साथ और इतने शानदार ढंग से लड़े गये कि जिस ने इस देश की इज्जत दुनिया में बहुत बढ़ाई । उसके बाद इस देश को, लोगों को, सरकार को और को चुनाव कमीशन को कुछ अनुभव हुये और उन अनुभवों की रोशनी में, इस कानून को फिर से सुधारने की कोशिश की जा रही है । और कोई चीज़ पक्की और पूरी तो होती नहीं । हो सकता है कि इस के बाद भी फिर इसमें कुछ सुधार करने पड़ें । जो संशोधन इस कानून में लाये जा रहे हैं उन का मैं आम तौर से स्वागत करता हूं खास तौर से इस बात का इस संशोधन में नामिनेशन पेपर को दाखिल करने और उस की जांच आदि के बारे में बहुत आसानी कर दी गई है । लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि नामिनेशन पेपर को लेकर कुछ झगड़े फिर भी बाकी रह जायेंगे जो कि चुनाव के बाद चलेंगे । इस कानून में रख दिया गया है कि चुनाव के बाद लोग उन झगड़ों को ले कर अदालत में जायें और उन को तै करावें । इस सदन को मालूम है कि इसी प्रकार का एक और बिल इस से पहले इस सदन में आया था । वह सिलेक्ट कमेटी के सामने भी गया था । उस का जो सुझाव था, मैं समझता हूं कि वह ज्यादा कारगर था । वह यह था कि नामिनेशन पेपर दाखिल हो जाय, उस की जांच हो जाय और जिस का नामिनेशन पेपर गिर जाय उसको मौका मिले कि वह एक दफा किसी आथारिटी के सामने जा कर उसका फैसला लेले ताकि चुनाव समाप्त होने के बाद फिर नामिनेशन पेपर को ले कर कोई झगड़ा न रहे । उस सुझाव के अनुसार यह था कि चुनाव के बाद जो झगड़े हों वे केवल करप्ट प्रैक्टिसेज़ (भ्रष्टाचारों) के सम्बन्ध में हों, नामिनेशन पेपर के सम्बन्ध में न हों । यह ठीक है कि आप ने नामिनेशन पेपर की जांच आदि को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन अगर उस पिछले कानून के संशोधन को इस कानून में मिला दिया जाता तो बहुत अच्छा होता ।

मैं इस बात को पसन्द करता हूं कि चुनाव का समय घटा दिया गया है, और इस बात से भी मुझे खुशी है कि चुनाव सारे देश में एक साथ करने की कोशिश हो रही है । लेकिन मेरा ख्याल है कि सरकार ने और इलैक्शन कमिश्नर ने एक बात पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिये था, और वह है चुनाव के खर्च की बात । कानून में ठीक रखा गया है कि असेम्बली के लिये ५००० और लोक सभा के लिये २५००० तक खर्च किया जाय । लेकिन इस संसद् को देश को यह मालूम है कि चुनाव के जमाने में किस तरह से थैलियां खोली गई थीं । हमारे सूबे में एक ज़मीदार ने लोक सभा के चुनाव के लिये दस लाख रुपया खर्च किया ।

श्री नन्द लाल शर्मा : इस से बहुत लोगों को फायदा हुआ होगा ।

श्री एम० पी० मिश्र : कुछ आप को हुआ या नहीं ?

बम्बई के कुछ सेठ खड़े हुये और उन के बारे में तरह तरह की कहानियां हैं । इस देश म राजा महाराजाओं और करोड़पतियों का मुकाबला मामूली और गरीब आदमियों से हुआ था और चुनाव का कानून ऐसा है कि इस में खर्च पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती । तो सरकार को इस बारे में सोचना

[श्री एम० पी० मिश्र]

होगा कि क्या चुनाव सस्ता नहीं हो सकता। जब एक मामूली आदमी के मुकाबले में दूसरा आदमी करोड़ों की थैली ले कर खड़ा होगा तो वह गरीब आदमी चाहे कितना भी जनता का प्यारा हो उस धनी आदमी के मुकाबले में नहीं ठहर सकेगा और हार जायेगा। इस देश में ऐसे भी उदाहरण हुये हैं कि दस लाख खर्च करने वाला हार गया, जैसाकि दरभंगा के महाराजा हार गये, और मामूली आदमी उस के मुकाबले में जीत गया। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं कि जनता के लाड़ले लोग, चूंकि वे गरीब थे, उन सेठों के मुकाबले में नहीं चुने जा सके जिन्होंने कि थैलियां खोल रखी थीं। तो हमें ऐसा कानून बनाना होगा कि जिस के अनुसार मामूली और गरीब आदमी जिन के पास ज्यादा पैसा खर्च करने को नहीं है वे भी एक बात की ओर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना दिया जाना चाहिये। वह है चुनाव के खर्चों का प्रश्न। चुनाव अब बेहद खर्चीला हो चला है और साधारण आदमी की पहुंच के बाहर जा रहा है और वह चीज़ लोक राज्य की भावना के खिलाफ है।

इलैक्शन कमिश्न की बात तो एक मजाक सी हो गई है। में समझता हूं कि इस ५०० सदस्यों की इस लोक सभा में कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जो खड़ा हो कर कह सके कि उस ने सही इलैक्शन रिटर्न दाखिल किया है। मैं जानता हूं कि कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं .....

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल---पूर्व व जिला मुरादाबाद---उत्तर-पूर्व): कुछ ने सही भी दिया है।

श्री एम० पी० मिश्र: जब आप का समय आवे तो आप कह लेना।

मैं जानता हूं कि ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिन का खर्चा निर्धारित रक़म से बहुत कम हुआ है। लेकिन जब उन को रिटर्न दाखिल करना पड़ा होगा तो उन को भी गलत रिटर्न दाखिल करना पड़ा होगा यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। इस कानून के अनुसार इस देश की सब से बड़ी सभा के सदस्यों तक को गलत रिटर्न दाखिल करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। यह बड़ी लज्जा की बात है मैं तो समझता हूं कि ऐसे कानून को जला देना चाहिये। इस से लोक सभा के सदस्यों की ईमानदारी कम होती है।

दूसरी बात और है। हमारे बाबू राम नारायण सिंह भी एक बहुत बड़े ज़मींदार के झंडे के नीचे चुनाव लड़ रहे थे।

बाबू राम नारायण सिंह: बिल्कुल गलत है।

श्री एम० पी० मिश्र: बिल्कुल सही बात है। आप बैठ जाइये।

मुझे एक बात और कहनी है। आप देश में लोक राज्य बनाना चाहते हैं, मामूली लोगों का राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन आप को मालूम है कि पार्टियों को भी चुनाव के लिये धन लेने को धनियों के पास जाना होता है। चुनाव में बड़ी बड़ी रकमें खर्च करनी पड़ती हैं। इसलिये पार्टियों को भी धनियों के पास जाना पड़ता है, क्योंकि गरीब आदमी तो पैसा दे नहीं सकते। जिन पार्टियों को देश के धनियों से पैसा नहीं मिलता वे विदेशियों के पास जाती हैं और उन को उन से पैसा मिलता है और उससे वे चुनाव लड़ती हैं। जिन पार्टियों को देश के धनियों और विदेशियों दोनों से पैसा नहीं मिलता वे रात को चोरी करती हैं डाके डालती हैं, गांव के गांव लूट लेती हैं। ऐसा

भी इस देश में होता है। बैंकों को लुटवा लिया जाता है।

श्री वी० जी० देशपांडे : आप को मालूम है कि बैंक कौन लूटता है ?

श्री एम० पी० मिश्र : क्या उन में से एक सदस्य आप भी हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं उन के नाम बतलाऊंगा।

श्री एम० पी० मिश्र : आप को रूस से आता है।

तो मेरा कहना यह है कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : यदि रूस ने पंचशील को स्वीकार कर लिया है तो इस का अर्थ किसी देश की आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना है, परन्तु इस का अर्थ किसी देश के विरुद्ध घृणित प्रचार न करना नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या रूस से आशय रूसी सरकार से है ? रूस का कोई भी व्यक्ति रुपया भेज सकता है।

अध्यक्ष महोदय : सभा में इस प्रकार के आरोप व्यक्तिगत और निश्चित ज्ञान के आधार पर लगाये जाने चाहियें। अनुमान के आधार पर किसी सदस्य पर कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि परस्पर आरोपों तथा प्रत्यारोपों से सभा की कार्य-वाही के संचालन में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

श्री एम० पी० मिश्र : सभापति जी, मैंने किसी खास पार्टी के बारे में नहीं कहा था।

सभापति महोदय : वे अपने मत के अनुसार सामान्य वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री० एम पी० मिश्र : लेकिन मैं यह दुहराना चाहता हूं कि चुनाव बहुत खर्चीला है। इसलिये उस चुनाव में लड़ने वाली पार्टियों को पैसे के लिये धनियों के पास जाना होता है। यह भी आप लोगों को मालूम है कि बाहर से भी इस काम के लिये पसा आता है। और ऐसा न सिर्फ इस देश में होता है बल्कि और देशों में भी ऐसा होता है कि बाहर से चुनावों के लिये पैसा आता है। वह पैसा इस तरीके से आता है कि सरकार उस को नहीं रोक सकती। इस सरकार ने अपनी राजधानी में तमाम देशों के दूतावासों को दूतावास खोलने की दावत दे रखी है। फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि इस पैसे को आने से रोका जाय। ऐसी हालत में सरकार उन को नहीं रोक सकती कि वे लोग हमारे चुनावों में हिस्सा लेकर उन को बरबाद न करें।

और जैसा मैं ने कहा एक तीसरा तरीका भी है कि जिन के ऊपर देशके थैली-दार, अर्थात् धनिक वर्ग मेहरबान न हों और विदेश के भी थैलीदार मेहरबान न हों, वह क्या करेंगे ? रात को डाके डालेंगे और रुपया एकत्रित कर के चुनाव लड़ेंगे। इसलिये मैं ने कहा है कि अगर इस देश में आप को गरीबों का चुनाव बनाना है और देश में एक समाजवादी लोक राज्य का ढांचा बनाना है तो चुनाव के खर्चे को कम करना होगा और यह सिर्फ कागजी खर्चा कम करने से नहीं होगा। चुनाव को हमें ऐसा बनाना होगा जिस में एक मामूली से मामूली हैसियत वाला आदमी चुनाव में खड़ा हो सके।

साथ ही साथ मैं एक बात और आखिर में कहना चाहता हूं, और वह यह है कि जैसा कि इस क़ानून में व्यवस्था है कि चुनाव के बीच और चुनाव के बाद तक यह संसद् या पार्लियामेंट बरखास्त या डिजाल्व रहेगी, मैं इस चीज का विरोध करता हूं। हमारा

[श्री एम० पी० मिश्र]

देश ब्रिटेन नहीं है कि हर बात में आप उस की नक़ल कर लें। वहां पर चुनाव केवल ४, ६ हफ्ते में खत्म हो जाते हैं और तत्काल ब्रिटिश हाउस आँफ कामन्स बुला ली जाती है लेकिन हमारे देश में चुनाव बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं और चुनाव खत्म होने में ४ महीने, कभी ६ महीने और कभी ८ महीने और साल भर भी लग सकता है, तो इतने काल तक हमारी संसद् या पार्लियामेंट न रहे और देश बिना पार्लियामेंट के चले और केअर टेकर गवर्नमेंट शासन भार चलाती रहे, मैं इस बात को नामुनासिब समझता हूं और मैं समझता हूं कि यह लोक राज्य के खिलाफ है। इस बीच में दुनिया में अगर कोई बड़ा वाक्या हो जाये, लड़ाई छिड़ जाये तो वह गवर्नमेंट किस से सलाह मशविरा करे, इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल में जो यह बात कही गई है कि जब चुनाव शुरू होगा तो उस के पहले पार्लियामेंट भंग हो जायेगी और चुनाव खत्म होने के बाद ही नई पार्लियामेंट बनेगी और काफ़ी समय तक देश का शासन बिना पार्लियामेंट के चलेगा, मैं समझता हूं कि यह गलत चीज़ है, बजा चीज़ है। संविधान में तो इतना ही है कि लोक-सभा को और पार्लियामेंट को दो चुनावों के बीच में पांच वर्ष रहना चाहिये और जब पांच वर्ष खत्म हो जाये तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि मौजूदा लोक-सभा के खत्म होने के पहले पहले चुनाव खत्म हो जायें ताकि एक नई लोक-सभा उस की जगह पर आ सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री वी० जी० देशपांडे : जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयकों के सम्बन्ध में यहां पर अतिरंजित और मनोरंजक सूचनायें सामने आई हैं। एक सूचना यहां यह भी आई कि मतदाताओं की फ़ेहरिस्तें न हों, दूसरी सूचना यह आई कि अभिलाषक न हों, अनुमोदक न हों, मैं कहूं कि प्रपोजर भी न हों और उम्मीदवार भी न हों। आगे चल कर इससे भी अधिक मनोरंजक बातें हमारे सामने आ सकती हैं, इससे भी अधिक मनोरंजक सूचना आ सकती है कि बिना मतदान के इस देश में प्रतिनिधि बनाये जायें, ऐसी सूचना आ सकती है कि चुनाव ही न हों। अभी कल जब मैं भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की एक किताब पढ़ रहा था उस में इस का जिक्र आया है कि प्राचीन काल में भारत में चुनाव किस प्रकार से किये जाते थे। दक्षिण में ताम्र पत्रों में दिया है कि चुनाव कैसे होते थे। चुनाव के योग्य व्यक्तियों के नाम एक जगह पर लिख दिये जाते थे और चिट्ठियां डालने के बाद एक बच्चे को वहां पर ले जाते थे और बच्चा जिस के नाम की चिट्ठी उठा लेता था, वही चुनाव में विजयी घोषित किया जाता था, वह प्रतिनिधि बना दिया जाता था। यह कोई हंसी वाली बात नहीं है। बर्नडशा ने प्रणयाराधन विवाह के विषय में लिखा है कि इग्लैण्ड में जो प्रणयाराधन विवाह होते हैं, उस के स्थान पर विवाह योग्य स्त्रियों और विवाह योग्य पुरुषों की ऐसी चिट्ठियां डाल दी जायें और दो-दो चिट्ठियां डाल कर अगर विवाह हो जाये तो वे कहते हैं कि विवाह सम्बन्ध का प्रमाण भी हो जायेगा और यह लाटरी के विवाह उतने ही सुखमय होंग जितने कि प्रणयाराधन विवाह होते हैं। इसी तरह यह योग्य व्यक्तियों की फ़ेहरिस्त लाने की बात कही जाती है।

अब मैं इन मनोरंजक और अतिरंजित बातों को छोड़ कर जो चुनाव होने वाले हैं और उसके लिये जो मंत्री महोदय यहां पर जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक लाये हैं, उन के सम्बन्ध में हमारे श्री एन० सी० चटर्जी

ने जो संशोधन सुझाया है, उस का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि मैं इस में बहुत सी बातें ऐसी देखता हूं जिन में कि सुधार किया जाना आवश्यक है। डिस्क्वालीफ़िकेशन के विषय में और चुनाव चिन्हों के विषय में और कई अन्य ऐसे विषय हैं कि जिन के सम्बन्ध में यहां बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है और मैं समझता हूं कि यह जो पिछले चुनाव के अनुभव के पश्चात्, तीन, साढ़े तीन साल के अनुभव के पश्चात् हम जो उस कानून में संशोधन करने जा रहे हैं तो उस की सब धाराओं में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिये, यह बात मैं मानता हूं।

एक बात और है.....

श्री पाटस्कर : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कल जब श्री एन० सी० चटर्जी प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके तो उस के पश्चात् उन द्वारा और पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा हस्ताक्षरित एक सूची मुझे दी गई, जिस में उन धाराओं का उल्लेख किया गया है, जिन पर प्रवर समिति ने चर्चा करनी है। यदि किसी और धारा के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है तो मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं। अतः माननीय सदस्य को उस पर समय व्यय नहीं करना चाहिये।

श्री वी० जी० देशपांडे : मंत्री महोदय ने यह जो सूचना मान्य की है, मैं उस के लिये उन को धन्यवाद देता हूं। जिस विषय पर यहां काफ़ी चर्चा हुई, उस पर मैं बहुत थोड़े में अपने विचार प्रकट करूंगा। उस के बाद बाकी विषयों पर भी मैं आने वाला हूं। एक विषय पर जिस के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा नहीं हुई है और जोकि इस देश की राजनैतिक पार्टियों से सम्बन्ध रखता है, मैं उस के बारे में भी अर्ज करूंगा और वह है चुनाव चिन्हों का मामला। बात यह है कि जो चुनाव चिन्ह पार्टियों को दिये जाते हैं, उन के बारे में नियम करने का अधिकार मैं समझता हूं हम ने ५ नवम्बर के रूल में एलेक्शन कमिशन को दिया है। मेरी समझ में एलेक्शन कमिशन ने इस अधिकार का अतिक्रमण किया है। एलेक्शन कमिशन ने इस देश में चार दलों को अखिल भारतीय दल मान कर चुनाव चिन्ह देने के विषय में उन को मान्य कर लिया है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि जिन दलों को मान्यता नहीं मिली, उन के साथ अन्याय हुआ है, इस सम्बन्ध में मैं जब एलेक्शन कमिश्नर के पास गया तो उन्हों ने कहा कि ऐसे तो बहुत से दल हमारे पास आते हैं और अगर हम हर एक दल के वास्ते अलग अलग चुनाव चिन्ह रक्षित करेंगे तो यह स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ बड़ा अन्याय होगा। मैं उन की इस बात को थोड़ी देर के लिये मान भी लूं, लेकिन हमारे विधान में या कानून में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव चिन्ह प्रदान करने के लिये बड़ी पार्टी होनी चाहिये, छोटी पार्टी न हो और फिर आप तो इस देश में प्रजातन्त्रवादी लोकराज्य की स्थापना के लिये वचनबद्ध हैं जिस में एक आदमी भी सब के खिलाफ अपनी राय दे सकता है। इस सम्बन्ध में मैं आपको अपने अनुभव की बात बताऊंगा कि विन्ध्या प्रदेश में सेवड़ा नामक स्थान पर जोकि डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी है वहां पर दो कांग्रेस के उम्मीदवार, दो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार और दो हिन्दू सभा के उम्मीदवार खड़े हुये कांग्रेस के कास्ट हिन्दू उम्मीदवार को और डिप्रेस्ड क्लास के उम्मीदवार को। दोनों को बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह मिला, शोसलिस्ट पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को उनका चुनाव चिन्ह था, सो मिला, परन्तु हिन्दू सभा बाकी प्रान्तों में तो मान्य

[श्री वी० जी० देशपांडे]

संस्था है लेकिन वहां पर नहीं है और इस लिये वहां पर जो हिन्दू सभा की तरफ से कास्ट उम्मीदवार था उस को घुड़सवार का चिन्ह दिया गया और हिन्दू सभा की तरफ से जो दलित जातियों की सीट के लिये उम्मीदवार थे, उन्हों ने जब मांग की कि हम को भी चक्र अन्दर घुड़सवार का चिन्ह दिया जाये तो उन्होंने कहा कि कायदे के मुताबिक आप को चुनाव चिन्ह नहीं मिल सकता और स्वतंत्र के नाते उन को धनुषबाण का चिन्ह दिया गया और जब चुनाव का नतीजा निकला तो हमने देखा कि कांग्रेस के सवर्ण उम्मीदवार को जितने मत मिले उतने ही करीब करीब उस के डिप्रेस्ड क्लास के उम्मीदवार को मिले, सोशलिस्ट पार्टी में भी जितने वोट सवर्ण हिन्दू को मिले उतने ही उस के डिप्रेस्ड क्लास के उम्मीदवार को मिले, मगर हिन्दू सभा के उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह अलग अलग होने के कारण ऐसा न हो सका । उसका सवर्ण हिन्दू उम्मीदवार तो चुन कर आ गया लेकिन जो उस का दलित वर्ग का उम्मीदवार था वह चुनाव हार गया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो डिप्रेस्ड क्लास का उम्मीदवार था वह चुन कर आया । इस के बाबत मैंने एलेक्शन कमिशन को लिखा तो उन्हों ने कहा कि आप की शिकायत तो ठीक है लेकिन अगर हम ऐसा न करें तो हमारे सामन बेशुमार पार्टियां आयेंगी, और हम समझते हैं कि हमें ज्यादा पार्टियों को आगे आने के लिये प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । मैंने उन को पूछा कि आप कौन होत हैं उत्तेजना देने वाले या नहीं देने वाले । विधान ने यदि लोकराज्य के अनुसार सब को खड़ा होने का अधिकार दिया है तो इस प्रकार का अन्याय आप नहीं कर सकते । और यही बात पार्लियामेंट के चुनाव और राज्य की विधान सभाओं के चुनाव में आई कि यदि आप का मान्य दल होगा तो उन दोनों को एक ही चुनाव चिन्ह मिलेगा और उन को दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सुविधा होगी और मैं समझता हूं कि ऐसा नियम रख कर आप पार्टी विशेष के साथ पक्षपात करेंगे जो कि मैं समझता हूं वांछनीय नहीं है । मैं चाहता हूं कि इस बिल में चुनाव कमिश्नर के हाथ में यह अधिकार न रक्खा जाये क्योंकि उस का दुरुपयोग हुआ है और कानून के द्वारा इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाये ताकि इस प्रकार का अन्याय, पक्षपात या भेदभाव करने का अवसर एलेक्शन कमिशन को न मिले ।

इस के अलावा हम ने इस में एक दूसरी बात देखी है जिस का कि जिक्र बाकी लोगों ने किया है । जब आप आय-व्ययक पत्रक वहां सम्मिलित करते हैं तो यह अर्थ होगा कि एलेक्शन कमिशन जिन को मान्यता देगा उन्हीं दलों को उस से लाभ पहुंचेगा । यानी अगर एलेक्शन कमिश्नर ने चार राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह के लिये मान्यता दी है, हालांकि मुझे तो उन की यह बात ही मान्य नहीं कि जिन को ३ प्रतिशत मत मिले उन्हें ही मान्यता देनी चाहिये, कितने मत मिलते हैं इस का कोई सवाल ही नहीं है, कल अगर एक आध और दल आ जाते हैं और अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं तो उन को इस का अधिकार मिलना चाहिये, तो आय-व्ययक पत्रक का मतलब यह होगा कि जो शक्ति वाले दल हैं उन दलों ने जो खर्च किया वह उस में शामिल नहीं हो सकेगा । अगर किसी दल के पास बैंकों से लाया हुआ बहुत सा रुपया है तो वह उस को मनमाने तौर पर खर्च कर सकता है और उस का कोई हिसाब नहीं होगा । जो आज देश में सब से बड़ी पार्टी है उस के उम्मीदवार लाखों रुपये खर्च कर सकते हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ दक्षिण) : अगर कोई बैंक से रुपया ले आयेगा तो उसे जेल हो जायेगी ।

श्री वी० जी० देशपांडे : बात यह है कि हर एक बड़े बड़े दल खर्च कर सकते हैं, छोटे दल के लोग और स्वतन्त्र व्यक्ति उतना खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन दलों के निश्चय का भी अधिकार आप एलेक्शन कमिशन को दे रहे हैं । इस के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत से लोग बोल चुके हैं ।

(**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं)

एक विशेष विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । आज इस देश में आप लोगों ने देखा होगा कि आप का मत कुछ भी हो, आप की भावनायें कुछ भी हों, और आप ने अच्छी वृत्ति कितनी रक्खी है, लेकिन जैसा कहा जाता है :

"सीज़र की पत्नी पर सन्देह नहीं होना चाहिये ।"

सीज़र की जो पत्नी है उस के बारे में जरा भी शक नहीं आना चाहिये । आज इस देश में जो विरोधी दल है वह आप पर आक्षेप करते हैं, आप पर इल्जाम लगाते हैं कि जो चुनाव हुये वह सरकारी अधिकार से और प्रभाव से वंचित नहीं हैं । सरकार का प्रभाव चुनाव में रहा है और चुनाव के कुछ ही बाद मैं ने एलेक्शन कमिशन से इस विषय में पत्र व्यवहार किया । हमारे भेलसा में उपचुनाव हुआ । मैं ने नाम लिख कर दिया कि यह यह अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्हों ने अपना प्रभाव चुनाव में डाला । एलेक्शन कमिशन ने लिखा कि आप मिनिस्टर को लिखिये । बात यह है कि रिटर्निंग आफिसर और ऐसिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर सब मिनिस्ट्री के अन्डर काम करते हैं । यह चीज ठीक है कि सेपरेशन आफ जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव की तरह से एलेक्शन की पूरी मैशीनरी, पटवारी से ले कर एलेक्टोरल आफिसर तक सब के सब अलग नहीं हो सकते, परन्तु मैं चाहता हूं कि एक एक प्रान्त में कम से कम दो दो, चार, चार अधिकारी ऐसे जरूर हों जो प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत न हो कर एलेक्शन कमीशन से प्रत्यक्ष सम्बन्धित हों । वे सीधे निर्वाचन आयोग के प्रति उत्तरदायी होने चाहियें । जब तक यह नहीं होता है तब तक कभी भी आप के एलेक्शन ईमानदारी से नहीं हो सकते हैं । मुझे अनुभव है, मैं ने परसों ही अपनी आंखों से एक चुनाव में देखा कि एक लड़ाई हुई और कुछ सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं । वह कहते थे कि मैं कांग्रेस सरकार में काम करता हूं, अगर आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं तो लड़ाई जरूर करूंगा । कुछ कांग्रेस वालों ने उन को छुड़ाया । मैं ने नाम लेकर रिटर्निंग आफिसर को बताया । दूसरी शिकायत आई कि एक आदमी ने पुलिस में जा कर बताया कि अन्दर जो अफसर है वह कहता है कि बैलों की जोड़ी वाले बक्स में वोट डालो । मैं ने जब पुलिस को बताया तो वह कहने लगे कि यह कैसे हो सकता है ? सब-इन्सपेक्टर साहब आये तो एक औरत ने बताया कि जो रिटर्निंग आफिसर है उस ने कहा कि इस डिब्बे में वोट डालो । उस के बाद यह शिकायत ले कर मैं रिटर्निंग आफिसर के पास गया और लिख कर दिया, एलेक्शन कमिशन को भी दिया । उसने बिना जांच किये हुये ही रिपोर्ट लिख दी कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं । जब पुलिस इंस्पेक्टर के सामने यह चीज़ हुई तब भी रिपोर्ट में यह लिखा-गया । आप तो जानते हैं कि उस का प्रमोशन मिनिस्टर साहब की खुशी पर होगा । जो साहब चुनाव के लिये खड़े थे वह बाद में चीफ मिनिस्टर होने वाले थे । कहते हैं कि ६ साल के लिये एलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उन को डिस्क्वालिफाई कर दिया

[श्री वी० जी० देशपाण्डे]

है। उड़ीसा के मंत्री के लिये आप ने सुना होगा वह ६ साल के लिये डिस्क्वालिफाई कर दिये गये हैं। वह अब किसी कान्स्टिटुएन्सी से इतने समय के लिये नहीं खड़े हो सकते। आप यह न कहें कि मिनिस्टर का स्वभाव आदर्श होता है। यह बातें होती हैं, मिनिस्टर जाते हैं तो कितना इन्तजाम उन के लिये किया जाता है। पन्त जी जाते हैं, काटजू साहब जाते हैं तो २००, २०० पुलिस उन के स्वागत के लिये खड़ी रहती हैं, डिप्टी कमिश्नर उन के साथ जाते हैं, उन की सिक्योरिटी का अरेन्जमेन्ट होता है, ऐसी कौन सी व्याधि आई है कि देश के भीतर भी उन की इतनी रक्षा की आवश्यकता है और वह लोकप्रिय नेता बिना पुलिस लिये हुये जनता में नहीं जा सकते ? मैं नहीं समझता कि ऐसी बात क्यों होती है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जाने के लिये सरकारी खर्चे से आते हैं और वहां से सरकारी खर्चे पर ही उपचुनाव के लिये व्याख्यान देने जाते हैं। मध्य प्रदेश की विधान सभा में प्रश्नोत्तर में यह बात आई है। सरकारी पैसे से यह टूर किये जाते हैं, जब इस प्रकार के आक्षेप हो रहे हैं तो इस प्रकार की बात कहना कि इन ४ या ६ सालों में कांग्रेस के मंत्रियों ने ऐसा नहीं किया यह ठीक नहीं है। आप को चाहिये कि आप कानून में संशोधन करें और उनको ऐसा करने से रोकें। निर्वाचन के स्थान पर जब कोई माननीय मंत्री जाता है तो वह व्यक्तिगत दृष्टि से जाता है, उस को वहां एक साधारण नागरिक के नाते जाना चाहिये, कहीं भी चुनाव में उस को सरकारी मंत्री होने के नाते नहीं जाना चाहिये, आप को इस प्रकार का कानून बनाना चाहिये।

अब मैं आप को दूसरी बात बताना चाहता हूं। यह किसी पर भी आक्षेप करने वाली बात नहीं है, आप के निर्वाचन की जो करप्ट प्रैक्टिसेज हैं वह तीन प्रकार की हैं; मेजर करप्ट प्रैक्टिसेज, माइनर करप्ट प्रैक्टिसेज और इल्लीगल प्रक्टिसेज। इल्लीगल प्रैक्टिसेज के लिये जो धारा १२५ है उस के तीसरे सैक्शन में आप देखेंगे कि यह है :

> "कोई परिपत्र, फट्टा, या विज्ञापन जारी करना, जिस में निर्वाचन का उल्लेख हो और जिस के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो।"

मैंने देखा है कि कभी कभी मुद्रणालय की गलती के कारण नीचे जो नाम की लाइन होती है वह कहीं रह गई तो उसी के कारण किसी भी आदमी का पूरा एलेक्शन खत्म हो सकता है। मैंने पोलिंग का कानून अच्छी तरह से देखा तो वहां एलेक्शन ट्राइब्यूनल को भी अधिकार नहीं, एलेक्शन कमिशन को भी अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह इस डिस्क्वालिफिकेशन को निकाल सके। इस कानून में जो आप ने १४० ए० की नई धारा निकाली है उसके अनुसार एलेक्शन कमिशन को आप ने अधिकार दे दिया है कि :

> "निर्वाचन आयोग अभिलिखित कारणों से इस अध्याय अधीन अनर्हता को दूर कर सकता है।"

मैं आशा करता हूं कि इस पावर के द्वारा इस प्रकार की जो गलती होती है उस का भी सुधार किया जायेगा। परन्तु इसी के साथ साथ मैं दूसरी चीज़ को देखता हूं कि आप ने यह कानून रखा है कि :

> "भाग क—अध्याय १—धारा १२३ अथवा धारा १२४ में, उल्लिखित भ्रष्टाचार, धारा १२५ में उल्लिखित अवैध व्यवहार।"

इस प्रकार की बड़ी भारी शक्ति को एलेक्शन कमिशन के हाथ में बिना किसी नियंत्रण या नियम के दे दिया है। मैं नहीं कह सकता कि यह अच्छा है या नहीं। आप ने रखा है कि —:

> "उन कारणों से जो लिखित रूप में दिये जाने चाहियें।"

यानी अगर लिखित कारण दे दे अर्थात् किसी पर कोई आरोप हो रिश्वत देन का, ब्राइबरी, करप्शन, इन्टिमिडेशन, कोअर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएन्स का तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं इस अधिकार को बिना किसी नियंत्रण के देने के विरुद्ध हूं।

इन के अलावा और भी बहुत से प्वाइंट्स हैं जोकि मैं लिखित दे दूंगा।

श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) : यह कहा गया है कि ये दो संशोधक विधेयक पिछले निर्वाचन में प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर लाये गये हैं। इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का स्वागत करते हुए मेरा निवेदन है कि यह विधेयक व्यापक नहीं है। पिछले निर्वाचनों में सामन आन वाली कई समस्यायें इस में नहीं आई हैं।

इस में १९५० और १९५१ के दो पुराने अधिनियमों पर विचार किये जाने का भी कोई उपबन्ध नहीं है। अतः मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों से सहमत हूं।

यद्यपि वर्तमान विधि में भी ऐसे उपबन्ध हैं जिन के अन्तर्गत अधिकतम सीमा तक निष्पक्ष निर्वाचन किये जा सकते हैं किन्तु व्यवहार में कुछ और ही होता है। १९५१-५२ में हुए आन्ध्र के निर्वाचन इस का उदाहरण हैं। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिये रखे गये उपबन्धों को समय आने पर रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। वर्तमान विधि में यह उपबन्ध है कि उम्मीदवार मतदाताओं को लाने ले जाने के लिये परिवहन के साधन नहीं दे सकता है, किन्तु आन्ध्र के निर्वाचनों में बहुत से राजाओं और लखपती उम्मीदवारों ने ट्रक, लारियां और परिवहन के सब प्रकार के साधनों का प्रयोग किया। और यह सब कुछ पुलिस के उत्तरदायी अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। हम ने अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया परन्तु उन्हों न कोई ध्यान नहीं दिया। एसी परिस्थिति में विधि बनान से क्या लाभ है ?

खण्ड १२३ में भिन्न राज्यों के चुनावों के लिये व्यय की अधिकतम सीमा ४,००० और ८,००० रुपये के मध्य निर्धारित की गई है। किन्तु आन्ध्र में तो २५,००० से ५,००,००० रुपय तक व्यय हुआ है। क्या यह सब गुप्त रूप से हुआ है ? उन्होंने खुले आम गलियों में धन बाँटा है। कुछ स्थानों पर प्रत्येक मतदाता को रुपय दिये गये हैं। इस कार्य में उत्तरदायी नेताओं ने भी भाग लिया। आज शासक वर्ग यह सब कुछ जानते हुए भी जानबूझ कर इस से आंखें मून्द रहा है। अतः मुख्य बात यह है कि क्या आप विधि को लागू करना चाहते हैं अथवा केवल मुख्य भ्रष्टाचारों को वैध बनाना चाहते हैं।

इस में अवांछित दबाव को रोकने के लिये कुछ प्रतिबन्ध भी हैं। मतदाताओं को गुण्डों और बदमाशों से डराकर मतदान करने से रोका जाता है। किन्तु जब उस की ओर पुलिस के अधिकारियों का ध्यान दिलाया जाता है तो वह उस में कोई रुचि नहीं लेते हैं। कुछ उम्मीदवार मतदाताओं को पैसे दे कर मतपत्र वापस मंगवा लेते हैं। कई मतदान केन्द्रों में ऐसे भ्रष्टाचार हुये हैं।

मतदान की गोपनीयता के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि मतदाता की क्रमांक संख्या

[श्री गोपाल राव]

के आगे निर्वाचन अधिकारी जो मतपत्र की क्रमसंख्या लिखता रहता है उससे बड़ी गड़बड़ी मचती है। प्रत्येक व्यक्ति को पता लग जाता है कि किस ने किसको मत दिया है। अतः उस में कुछ भी गुप्त नहीं रहता है। इस प्रकार कई निर्धन व्यक्ति स्वतंत्रता से मत नहीं दे सके हैं। कुछ राज्यों में यह प्रवृत्ति हो गई है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित जनतन्त्रात्मक निर्वाचनों को ठीक ठीक हुआ नहीं देखना चाहते हैं।

अब १९५१ के मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर एक दूसरी धारा रखने का प्रस्ताव है। मैं इस का घोर विरोध करता हूं। पहली विधि के अनुसार नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा निर्वाचन प्रारम्भ होने की तिथि में ३० दिन का अन्तर होता था। परन्तु अब इसे घटा कर २० दिन किया जा रहा है। क्या ३० दिन से कम समय में आठ लाख व्यक्तियों के क्षेत्र में घूमा जा सकता है? इस से भी धनाढ्य व्यक्तियों को ही लाभ होगा। उन के पास साधन हैं। वे उन का उपयोग कर सकते हैं। किन्तु सामान्य व्यक्ति के लिये ऐसा करना बहुत कठिन होगा।

श्री बीरबल सिंह (जिला जौनपुर-पूर्व): १९५० और १९५१ के अधिनियमों में संशोधन करने के लिये जो दो विधेयक इस हेतु इस सदन के सामने पेश किये गये हैं कि उन को प्रवर समिति के सम्मुख विचार के लिये उपस्थित किया जाये, उन का मैं स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों को नई बातें प्रस्तुत करनी चाहियें। केवल दस मिनट बाकी रह गये हैं।

श्री बीरबल सिंह: मैं केवल दो तीन बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९५० का जो अधिनियम है, उस में निर्वाचक सूची के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। हमारे देश में कोई बीस करोड़ निर्वाचक होंगे। उन की सूची तैयार करना बहुत ही कठिन काम है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों न बतलाया है, सूची में बहुत सी त्रुटियां रह जाती हैं। कहीं पर पुरुष की जगह पर स्त्री का नाम लिख दिया जाता है और कहीं लड़के की जगह पर पिता का नाम लिख दिया जाता है। निर्वाचक सूची को गांव के लेखापाल या पटवारी तैयार करते हैं। तब वह कानूनगो के पास जाती है और प्रतिलिपि तैयार करने में कुछ गलती हो जाती है। फिर वह सूची सब डिविजनल आफिसर के पास जाती है और उस में और गलतियां हो जाती हैं। इस के बाद वह प्रैस में छपने के लिये जाती है और कुछ गलतियां छपने में हो जाती हैं। इस प्रकार की गलतियां होना अनिवार्य होता है। अगर हमारे देश के राजनीतिक दल इस विषय में कुछ दिलचस्पी लें और निर्वाचक सूची में जो गलतियां रह जाती हैं, उन को सुधारने का प्रयत्न करें, तो वह सूची बहुत हद तक ठीक हो सकती है।

इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों की विधान सभाओं और लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये एक ही निर्वाचक सूची बनाई जायेगी और अलग अलग सूचियां नहीं होंगी। इस से व्यय में बहुत कुछ बचत होगी। यह जो नियम रखा गया है, वह बहुत अच्छा है और उस को स्वीकार करना चाहिये।

१९५१ के अधिनियम में जो संशोधन किये गये हैं, उनसे सम्बन्धित दो तीन बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। निर्वाचन के व्यय के सम्बन्ध में मूल अधिनियम भाग ५ के अध्याय ८ की दफ़ा ७६, ७७ और ७८ में संशोधन किया गया है और

व्यय का हिसाब दाखिल करने की रीति में कुछ सरलता लाई गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस से काम नहीं चलेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि व्यय के सम्बन्ध में विधान सभा के लिये आठ हज़ार और बारह हज़ार और लोक सभा के लिये पच्चीस हज़ार और पैंतीस हज़ार की सीमा रखी गई है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जिन के पास अधिक पैसा होता है, वे बहुत अधिक खर्च करते हैं। वे लोग दो दो लाख और तीस तीन लाख रुपया खर्च करते हैं और हिसाब दाखिल करते वक्त उस खर्च को कम कर के दिखा देते हैं। जिस प्रकार हमारे देश में जो आय-कर देने वाले हैं, उन में से बहुत से दो दो बहियां रखते हैं—एक तो इनकम-टैक्स आफिसर के सामने पेश करने के लिये और एक अलग। उसी तरह जिन लोगों के पास पैसा है और जो इलैक्शन में ज्यादा खर्च करते हैं, वे हिसाब दाखिल करने के विशेषज्ञ रख लेते हैं और ये विशेषज्ञ इस तरह हिसाब दाखिल करते हैं कि खर्च चाहे दो लाख किया हो, लेकिन दिखायेंगे पच्चीस हज़ार या पैंतीस हज़ार के नीचे ही। इस दशा में मारे जाते हैं वे गरीब, जिन्हों ने कम खर्च किया है। हाल ही में एक फैसला हुआ है, जिस में एक उम्मीदवार का चुनाव इस बिना पर रद्द हो गया है कि उस ने अपने हिसाब में वह खर्चा नहीं दिखलाया, जो उस ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार के लिये बनने दिया था। जो गरीब लोग, खर्च तो कम करते हैं, लेकिन ठीक तरह से हिसाब नहीं रख पाते, वे मारे जाते हैं और धनी लोग, जो बहुत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन हिसाब दाखिल करते वक्त अपना खर्च निश्चित सीमा के अन्दर ही दिखाते हैं, वे बच जाते हैं। मैं तो नहीं जानता कि किसी भी आदमी ने जो सीमा रखी गई है, उससे अधिक का हिसाब दिया हो या सीमा से अधिक खर्च करने की वजह से किसी का चुनाव रद्द हुआ हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि हिसाब दाखिल करने का नियम बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि लोग आम तौर पर गलत तरीके से ही हिसाब देते हैं। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन या मेम्बर बनने के लिये जो लोग खड़े होते हैं, उन को कोई हिसाब दाखिल नहीं करना पड़ता है और इलैक्शन में कोई त्रुटि नहीं होती है। मेरा सुझाव है कि जो नियम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और मेम्बरों के लिये रखा गया है, वही नियम विधान सभा और लोग सभा के सदस्यों के लिये भी रख दिया जाये। इससे लोगों का नैतिक स्तर भी ऊंचा होगा और चुनाव में कोई विशेष त्रुटि भी नहीं होगी। जो लोग ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, वे तो करेंगे ही और जो कम खर्च करते हैं, उन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उचित है कि हिसाब दाखिल करने के इस नियम को खत्म कर दिया जाये।

हमारे निर्वाचन आयोग की सिफ़ारिश है कि ट्राब्यूनल में तीन के स्थान पर दो सदस्य रखे जायें, जोकि ज़िला जज की हैसियत के हों। पहले यह ख्याल था कि अगर तीन जज होंगे, तो अपील की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अनुभव से देखा गया कि अपील होती ही है। मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिये कि एक ही जज हो अगर हाई कोर्ट का जज हो, तो उस की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, तो उस की अपील हाई कोर्ट में हो।

इन शब्दों के साथ मैं इन विधेयकों का स्वागत करता हूं।

श्री भक्त दर्शन : ये जो जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं, सारे सदन ने उन का स्वागत किया है और मैं भी उन का हृदय से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मुझे यह देख कर बहुत आश्चर्य और हुआ कि विरोधी दलों के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस अवसर से लाभ उठाकर पिछले चुनाओं के गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयत्न किया और ज्ञात होता है कि आगे के चुनावों की छाया भी अभी से उन पर पड़ने लगी है इसी कारण मैं समझता हूं कि बहुत सी ऐसी बातें यहां पर कही गईं जो एक प्रकार से अनावश्यक थीं।

जहां तक पिछले चुनावों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सारा संसार इस बात से सहमत है कि इस कदर निष्पक्ष चुनाव शायद संसार भर के किसी भी प्रजातंत्रीय देश में नहीं हुये हैं। इसके दो प्रमाण हमारे सामने हैं। हमारे चुनाव आयोग की प्रशंसा न केवल हमारे देश में ही हुई है, बल्कि विदेश के लोगों ने भी उस के कार्य से प्रभावित हो कर उस की मांग कर के उस की प्रतिष्ठा को चार चान्द लगा दिये हैं।

इस के अतिरिक्त बहुत से सदस्यों को याद होगा कि जब प्रारम्भ में इस प्रकार का विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया था, तो उस पर बोलते हुये माननीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने स्वीकार किया था कि हम लोगों को जो यहां पर अल्प संख्या में आये हैं, यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि जनमत हमारे विरुद्ध था, इसलिये हम यहां पर अल्प संख्या में आये हैं और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लड़े गये हैं।

मैं इन विधेयकों के सम्बन्ध में दो तीन बातों की ओर माननीय मंत्री महोदय और प्रवर समिति का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो पहला विधेयक है वह सन् १९५० के विधेयक को संशोधित करने के बारे में है। मैं नहीं समझता कि इस में यह क्यों अनिवार्य रखा जा रहा है कि सन् ५६ में मतदाता सूचियों में संशोधन नहीं किया जायेगा। इस सदन के सदस्यों को मालूम है कि अभी तक यह निश्चय नहीं है कि अगले चुनाव सन् ५७ की फरवरी में हो सकेंगे या नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट इस महीने के अन्त में प्रकाशित होने वाली है और यह निश्चित है कि उस के द्वारा कुछ प्रान्तों की सीमाओं में हेरफेर होने वाला है। इसलिये यह सम्भव है कि एक दो वर्ष के लिये चुनाव स्थगित कर दिये जायें। उस अवस्था में मतदाता सूचियां क्यों न नये सिरे से तैयार की जायें। फिर वे नये सिरे से तो तैयार नहीं की जायेंगी, उन में केवल संशोधन किया जायेगा। इस लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह प्रतिबन्ध न रखा जाये कि सन् ५६ में सूचियों में संशोधन नहीं किया जायेगा।

दूसरी बात जिस की ओर मैं प्रवर समिति और मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि ४२ दिन से चुनाव का कार्यक्रम ३० दिन कर दिया जा रहा है, इस के मंशा का तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इस में बहुत कठिनाइयां हो सकती हैं। कल्पना कीजिये उन पहाड़ी स्थानों की, जिन की सीमा तिब्बत से मिलती है और राजपूताने के रेगिस्तानों की और आसाम के जंगलों की जहां कि पन्द्रह पन्द्रह दिन में तो डाक ही पहुंचती है। आप कल्पना करें कि क्या ऐसे स्थानों में यह सम्भव होगा कि बीस दिन में चुनाव सम्पन्न हो सकें। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नौमिनशन पेपर्स को वापस लेने और

उन की जांच आदि के बारे में आप संशोधन कर लीजिये, लेकिन नाम वापस लेने के बाद से ले कर मतदान होने तक के लिये बीस दिन का समय बहुत कम है । इस से उम्मीदवारों को, जनता को और सरकारी कर्मचारियों सब को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा ।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह बात मेरे मित्र श्री बी० डी० शास्त्री ने भी कही थी । वह यह कि अभी तक यह नियम है कि एक निश्चित तारीख तक ही उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है । उस के बाद अगर वह नाम वापस लेता है तो उस की जमानत जब्त हो जाती है । लेकिन फिर भी उस की मत पेटियां चुनाव स्थलों पर पहुंच जाती हैं । मेरे एक कांग्रेसी मित्र गलतफहमी के कारण अपना नाम समय के अन्दर वापस नहीं ले सके, लेकिन उन की मत-पेटियां मतदान स्थलों पर पहुंच गईं और उन को भी चार हजार मत मिल गये । इस से पता चलता है कि हमारे मतदाता कितने बुद्धिमान हैं ।

दूसरी बात जो मुझे विशेष रूप से कहनी है वह यह है कि नामिनेशन पेपर को रिजेक्ट करने की अपील का अधिकार जो दिया गया है वह इलेक्शन पिटीशन के द्वारा दिया गया है । मैं समझता हूं कि ये निर्वाचकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हैं । इस में दोबारा खर्च करना पड़ेगा, दोबारा चुनाव होगा और जनता को दोबारा परेशान करना होगा । मैं समझता हूं कि जैसा पहले विधेयक में था वह अच्छा है कि नामिनेशन पेपर्स के सम्बन्ध में जो भी विवाद हो उस को चुनाव से पहले ही खत्म कर दिया जाय । मैं चाहता हूं कि इस पर मंत्री महोदय और प्रवर समिति विशेष रूसे ध्यान दें ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं चटर्जी साहब के संशोधन का समर्थन करता हूं कि जो भी सवाल प्रवर समिति के सामने आवें वह उन पर विचार कर सके । साथ ही मैं श्री राधा रमण जी के सुझाव का भी समर्थन करता हूं जिस में यह कहा गया है कि सब को मिला कर एक विधेयक बनाया जाय ताकि जनता के सामने एक ही शब्दावली जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं इन विधेयकों का स्वागत करता हूं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : जो विधेयक सदन के सामने पेश हुआ है उस का मैं कई दृष्टियों से स्वागत करता हूं ।

यह सही है कि हम लोगों ने बहुत बड़े पमाने पर चुनाव करवाये हैं । उस के पहले हमें यह अनुभव नहीं था कि बालिग मताधिकार के अनुसार १७ करोड़ मत-दाताओं के वोट किस प्रकार डलवाये जा सकेंगे । लेकिन यह काम बहुत खूबी के साथ किया गया । साथ ही साथ कुछ खामियां भी हमारे सामने आईं जिनको दूर करने के लिये यह बिल पेश किया गया है । लेकिन मैं समझता हूं कि जो जरूरी बातें इस बिल में होनी चाहियें वे सब इस में नहीं हैं और जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिये यह बिल लाया गया है उस को यह पूरा नहीं कर रहा है ।

इस बिल में यह कहा गया है कि यह जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं किया जायेगा । मैं समझता हूं कि जम्मू और काश्मीर अब हमारे देश के अंग बन चुके हैं । हम ने उस को मंजूरी दे दी है और वह प्रदश हमारे साथ हो गया है । इसलिये जम्मू और काश्मीर को अलग रखने का और उस पर यह कानून लागू न करने का मैं कोई अर्थ नहीं समझता । इसलिये मैं चाहता

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

हूं कि इस विषयक क्लाज़ को इस बिल में से निकाल दिया जाये और इस को जम्मू और काश्मीर पर भी लागू किया जाये । यद्यपि वहां एक तरह का प्लेबिसाइट हो चुका है और वहां की विधान निर्मात्री सभा ने फैसला कर दिया है कि यह प्रदेश हमारे देश के साथ रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कभी कभी इस पर शंका प्रकट की जाती है कि यह काम ठीक रूप से नहीं हुआ है । यदि इस कानून के अनुसार वहां चुनाव होंगे तो फिर इस विषय में कोई शंका करने के लिये स्थान ही नहीं रह जायेगा । मैं समझता हूं कि वह सच्चा प्लेबिसाइट समझा जायेगा और वह निर्विवाद होगा । इसलिये यह जरूरी है कि यह कानून जम्मू और काश्मीर पर भी लागू हो ।

दूसरी बात यह कही गई है कि जहां तक हो सके चुनाव के सिलसिले में मुकदमेबाजी कम की जाये । इसी बात को ध्यान में रख कर इस कानून में तरमीम की गई है लेकिन अभी इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये इस में और भी तरमीम करने की आवश्यकता है ताकि यह ज्यादा से ज्यादा सहल हो सके ।

इस के अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मतदाताओं की सूची छापी जाये वह इस तरह से छापी जाये कि हर एक पोलिंग बूथ के लिये उस के अलग अलग हिस्से किये जा सकें । अभी जो हम को सूची दी जाती है वह दोनों तरफ छपी रहती है । हम उस के एक हिस्से को अलग कर के अपने पोलिंग एजेंट को नहीं दे सकते । इस कारण हम को बहुत कठिनाई होती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सूची को छापने में यह सावधानी रखी जाये कि उस को अलग अलग हिस्सों में दिया जा सके और दो पोलिंग बूथ के मतदाताओं की सूची का प्रकाशन एक ही पन्नों में न हो ।

दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि नामिनेशन के सिलसिले में प्रोपोज़र को भी न रखा जाय । जो आदमी खड़ा होना चाहता है वह स्वयं अपना नामिनेशन पेपर दाखिल कर सके, या यदि वह किसी कारण से गैर हाजिर हो तो कोई प्रस्तावक उस के बदले में दाखिल करे । लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि एक प्रस्तावक का होना जरूरी हो । इस पक्ष में यह दलीलें दी गई हैं कि इस से यह प्रकट होगा कि वह उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र में लोकप्रिय है । लेकिन इस दलील में कुछ बल नहीं है । जहां तीन लाख वोटर हों वहां पर एक या दो समर्थक किसी को भी आसानी से मिल सकते हैं ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि अगर आप मुकदमेबाजी बन्द करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की तरह यहां भी यह नियम बना दिया जाये कि मुकदमे में वकील न जाये । मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के कानून में भी यह तरमीम कर दी जाये कि जब तक दोनों दल वाले इस बात के लिये राजी न हों कि वकील रखे जायें तब तक वकील को इजाज़त न दी जाये । मेरा अपना ख्याल यह है कि वकील ही ज्यादातर मुकदमों को बढ़ाते हैं और वकील के ही बल पर ज्यादा पैसे वाले इस तरह के मुकदमे लाते हैं, और उन की ही वजह से मुकदमों में इतने दिन लगते हैं । हमारे वकील भाई हमें माफ करेंगे लेकिन हमारा तजुर्बा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के सामने रहा है कि एक तरफ मजदूर खड़े होते हैं और दूसरी तरफ एम्पलायर होते हैं और कोई वकील नहीं होता । हम देखते हैं कि वहां पर हम को अच्छा न्याय मिलता है बनिस्बत अदालतों के जहां कि वकील होते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : लेकिन अगर दूसरी पार्टी की तरफ से वकील हों तो आप क्या करेंगे ?

ठाकुर युगल किशोर सिंह : यही तो मैं कह रहा हूं कि जब तक दोनों पार्टियां रजामन्द न हों तब तक वकील न रखे जायें ।

पंडित डी० एन० तिवारी : लेकिन अगर दूसरी पार्टी खुद ही वकील हो तो ?

ठाकुर युगल किशोर सिंह : उस हालत में तो एक पार्टी को नुकसान रहेगा ही । हमारे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का यह तजुर्बा है कि अगर एम्पलाय चाहता है कि वह वकील रखे और वह दूसरी तरफ के वकील का खर्चा भी बरदाश्त करने को तैयार हो तो खुद भी वकील रख सकता है । इस कानून में भी ऐसा प्रावीज़न होना चाहिये कि अगर एक पार्टी चाहती हैं कि वह वकील रखे तो वह दूसरी पार्टी के लिये भी वकील को उतनी ही फीस देने को तैयार हो तो वकील रखने की अनुमति दे दी जाये ।

जहां तक एलेक्शन एक्सपेंसेज़ का सवाल है, आप कैसा भी कानून बनावें, यह सम्भव नहीं होगा कि आप ठीक ठीक जान सकें कि कितना खर्चा हुआ है और न सभी कोई सारे खर्च का ठीक ठीक हिसाब ही रख सकते हैं । अतः मेरा यह सुझाव है कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कितना खर्च हुआ है तो आप इस कानून में यह प्रावीज़न कर दें कि उम्मीदवार यह सर्टिफिकेट दे दे कि उस ने कितना खर्च किया है । उस के लिये यह जरूरी नहीं होना चाहिये कि वह एक एक खर्च का वाउचर दाखिल करे । आप का उम्मीदवार बिना पढ़ा लिखा आदमी भी हो सकता है । लेकिन जैसा हिसाब आप चाहते हैं उस के लिये तो एक एकाउंटेंट चाहिये जोकि उस को अलग अलग लेजर में रखे और ठीक से हिसाब बना कर पेश करे । इस प्रकार का हिसाब दाखिल करने में उम्मीदवारों को बहुत दिक्कत होती है । इसलिये इस कानून में यह प्रावीज़न होना चाहिये कि उम्मीदवार से यह सर्टिफिकेट मांग लिया जाये कि उस ने चुनाव में कितना खर्च किया है ।

एलेक्शन पेटिशंस के बाबत मुझे यह कहना है कि वे चुनाव के नतीजे के एक हफ्ते के अन्दर दाखिल हो जानी चाहियें और उस में जितनी बातें और जितना पार्टिकुलर्स हैं सब भर दिये जाने चाहियें और एक पेटिशन के बाद दुबारा करने की इजाज़त नहीं रहनी चाहिये क्योंकि ज्यों ज्यों दिन बढ़ते जाते हैं संशोधन पेश करने की गुंजायश बढ़ती है, लम्बे चौड़े मामले होते जाते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि पहला एलेक्शन पेटिशन आखिरी समझा जाये और साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि दो महीने से अधिक एलेक्शन पेटिशन के डिस्पोज़ल में नहीं लगना चाहिये, दो महीने के अन्दर एलेक्शन पेटिशन खत्म हो जानी चाहिये ।

करप्शन (भ्रष्टाचार) का जहां तक सवाल है, उस के बारे में यह जो कहा गया है कि अगर कोई घूस देता हुआ पकड़ा जायेगा तो वह डिस्क्वालीफ़ाई हो जायेगा, तो मेरा कहना है कि उस को डिस्क्वालीफ़ाई कराने के लिये दो आदमियों का मिल जाना कोई मुश्किल बात नहीं है जो इस तरह से कह दें कि हम को रुपये का लोभ दिखलाया गया है । अगर वे दोनों आदमी क्रौस एग्ज़ामिनेशन में नहीं टूटे तो उस का एलेक्शन ही सारा इनवैलिड ही नहीं हो जायेगा बल्कि वह ६ साल के लिये डिस्क्वालीफ़ाई भी हो सकता है । मेरा कहना है कि अगर आप वाक़ई फ्री एंड फेयर एलेक्शन्स चाहते हैं और करप्शन को दूर किया चाहते हैं,

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

तो आप ऐसी बातें न रखिये जिस में करप्शन के नाम पर मुकदमेबाजी हो ।

पर्चे के बारे में मैं चाहता हूं कि कानून में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये कि ऐसा आदमी जोकि हमारा नहीं है लेकिन हमारे नाम से नोटिस छपवा देगा और फिर नोटिस के बल पर उन को बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी, इस के लिये मैं चाहता हूं कि जो नोटिस छपे, उस की एक कापी रिटर्निंग अफ़सर के पास भेज दी जाये और वही कापी असली समझी जाये और अगर कोई और तरह का नोटिस बांटता हुआ पाया जाये तो वह पेनेल आफ़ेंस समझा जाये । मैं समझता हूं कि इस में यह सुधार किया जाये ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ मध्य) : यह जो चुनाव का कानून बना है वह वास्तव में बड़ा महत्व रखता है फिर भी पिछले चुनाव से जब हमने ऐसा अनुभव किया कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं और जिन की वजह से हमें दिक्कतें पेश आईं, तो उन को सुधारने के लिये और उन दिक्कतों को हटाने के लिये सरकार यह संशोधन बिल लाई है और इसी लिये यह संशोधन बिल यहां पर सदन के सामने रक्खे गये हैं ।

सब से पहले तो मैं आप से यह कहना चाहती हूं कि हम स्त्रियों की संख्या आज इस देश में पुरुषों से कहीं अधिक है परन्तु जो उन के नाम वोटर्स लिस्ट में लिखे जाते हैं वह बहुत कम हैं बनिस्बत पुरुषों के और उस का कारण यह है कि हमारे यहां की स्त्रियां अपने पतियों के नाम नहीं लिखातीं हैं और ऐसा देखने में आया है कि जब उन के पास लोग जाते हैं उन का नाम लिखने के लिये और उन से उन के पति का नाम पूछा जाता है तो वह अपने पति का नाम नहीं बतलाती हैं, अब इतना सब्र तो उन आदमियों को जो नाम लिखने जाते हैं होता नहीं कि वे ठहरें और किसी दूसरे व्यक्ति से उस बहन के पति का नाम दरियाफ्त करें और नतीजा यह होता है कि गांव के गांव और मुहल्ले के मुहल्ले भर की स्त्रियों के नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं लिखे जाते हैं और छोड़ दिये जाते हैं । इसलिए हम यह जो कानून बना रहे हैं इसमें ऐसा कर दें कि अगर स्त्रियां पति के नाम की जगह पर अपने लड़कों का नाम बता दें तो उन के नाम वोटर्स लिस्ट पर लिख लिए जायें तो बहुत मुनासिब होगा ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : लड़के अगर नाबालिग हों, छोटे हों तो ?

श्रीमती शिवराजवती नहरू : छोटे लड़के का नाम क्यों लिखायें, बड़े लड़के का नाम लिखा देंगी । दूसरे मैं तो यह कहूंगी कि जो उन के घर के पुरुष लोग हैं और जो अपने सारे नाम जा कर लिखवा देते हैं उन पर यह भार डाला जाये कि वे अपने घर की औरतों के नाम भी लिखवायें और ऐसा न करने पर उन पर कुछ जुर्माना किया जाये क्योंकि वे अक्सर ऐसा कहते सुने जाते हैं कि हमारे पास चुनाव अफसर आये और सब नाम लिख लिये, स्त्रियों के नाम लिखाने की क्या जरूरत है । ऐसे पुरुषों के ऊपर कुछ जुर्माना किया जायें कि जो अपनी औरतों के नाम नहीं लिखवाते हैं, उन को चाहिये कि वे चुनाव लिस्टों में अपने घर की सब स्त्रियों के नाम लिखवायें ताकि, जो भी स्त्री वोट देने की अधिकारी हो उस को वोट का हक़ मिले और उस का अधिकार जाया न होने पाये । आज औरतें अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करने की

इच्छुक हैं और हम ने देखा है कि वह बड़े चाव लाइन लगा कर वोट देने के लिये जाती हैं, सैकड़ों औरतें पोलिंग बूथ पर वोट देने के लिये लाइन लगा कर खड़ी होती हैं लेकिन जब केवल ५ या ७ औरतों का ही नाम वोटर्स लिस्ट में निकलता है तो उन को बड़ी निराशा होती है क्योंकि खाली हाथ बिना वोट का हक़ इस्तेमाल किये हुए उनको अपने-अपने घरों को लौटना पड़ता है। उनको इस बात का सख्त अफसोस होता है कि हम ने अपना वोट क्यों नहीं दिया। इस बात के लिये ज़रूर कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिये ताकि सारी स्त्रियों के नाम वोटर्स लिस्ट पर आ जायें।

दूसरी बात यह है कि इस बात का कोई प्रबन्ध होना चाहिये कि जो मरे हुए लोगों के नाम लिखाये जाते हैं और जो गलत वोट दिये जाते हैं, वे न दिये जा सकें। देखने में आया है कि ऐसा हुआ है कि किसी अज़ीज का नाम याद रख लिया और कह दिया कि हम उसकी स्त्री हैं या बहन हैं और बाज़ वक्त यह होता है कि आप की एक बहन है या एक लड़की है, और एक लड़की ससुराल में है, अब वह ससुराल वाली लड़की यहां नहीं आ सकती है जिस का कि यहां पर वोट है, तो जो लड़की यहां पर मौजूद है वह उस ससुराल वाली लड़की के नाम से अपना वोट दे आती है, लिस्ट में वह सब नाम वग़ैरह देख लेती है और वोट दे देती है, तो इस को रोकने के लिये कोई इन्तजाम होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारें जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उन के साथ में कुछ डमीज़ होते हैं और प्रस्तावक होते हैं और आप सब जानते हैं कि वोटर्स लिस्ट में उन सब के नाम देखने में कितना झगड़ा होता है और उस के लिये हमें वकील साहबान की ज़रूरत दरपेश आ जाती है कि जो हमें बतलायें कि कहीं पर ज़रा सी भी त्रुटि न रह जाये, क्योंकि अगर कहीं ज़रा सी भी गड़बड़ी हो जाये तो सब मामला खत्म हो जाता है और नाम उलट पुलट हो जाता है। उसमें कुछ ऐसी सहूलियत करनी चाहिये कि हम वकीलों के पंजे में न फंसें। अपने नाम के साथ डमीज़ के इतने सारे नाम और समर्थकों के इतने सारे नाम लिखाय जाते हैं कि अगर कहीं अपना नाम कट जाये तो दूसरा अपना भाई मौजूद रहे, और ऐसा न हो कि दूसरा डमी भी गायब रह जाये, बाज़ वक्त किसी का नाम वोटर्स लिस्ट में गलत छप जाता है जैसे रामलाल का—रामदीन—राम लगन छप गया तब इस ज़रा सी गलती के कारण उम्मीदवार का नाम रद्द हो जाता है। उस समय ऐसी कठिनाई होती है जिस की सीमा नहीं। जहां तक एलेक्शन रिटर्न दाखिल करने की बात है उस में मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर कोई शख्स बेईमानी न भी करना चाहता हो तब भी वह ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है एलेक्शन में जिस प्रकार से खर्चा होता है उसका सही-सही और पाई पाई हिसाब देना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। एक खर्चा हो तो हिसाब रक्खा जाये। न जाने कितने टेलीफोन किये जाते हैं, न जाने कितने लाऊडस्पीक्र्स लगाये जाते हैं और दूसरे कितने ही किस्म के मिसलेनियस किस्म के अखराजात होते हैं जिनका कि बिल्कुल सही-सही हिसाब बतलाना नामुमकिन बात है और हर एक शख्स के लिए इतनी सारी चीजें याद रखना और उनका हिसाब बतलाना जब तक कि प्रत्येक खर्च को हर समय हर व्यक्ति लिखता न रहे, करीब-करीब नामुमकिन है क्योंकि खर्चे भी एक व्यक्ति नहीं करता अनेक हाथों से होता है और उस हालत में

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

हांलाकि वह बेईमानी नहीं करना चाहता है लेकिन मजबूर होकर उसको एलेक्शन रिटर्नस देने पड़ते हैं और वह सब हिसाब अन्दाजे से देता ह ।

अब मेरा समय खत्म हो रहा है । मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे एक भाई ने कहा था कि मंत्रियों को इस चुनाव में सहयोग नहीं देना चाहिये, उनका ऐसा फ़रमाना किसी हद तक सही है, लेकिन वह खाली मंत्री ही तो नहीं हैं, वह पार्टी के लीडर भी हैं और हमारे कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही में यह नहीं समझती कि वह लोग जो सहयोग देते हैं, उस सहयोग का जनता के ऊपर कोई खास असर या दबाव पड़ता है । मेरें उन भाई का यह समझना बिल्कुल गलत बात है कि जनता के उपर मंत्रियों के जाने से या पुलिस वालों को दिखाने से कोई असर हो जाता है । जनता बिलकुल एक आज़ाद खयाल से जो वह ठीक समझती है वह करती है और अपनी राय प्रकट करती है । जिस ज़माने में यहां पर अंग्रेज़ी राज्य था और जिसके पीछे कि सारी हूकूमत की मशीनरी थी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और दूसरे सरकारी अफसरान उस की मदद पर थे लेकिन हमने देखा कि जनता को जब अपनी राय प्रकट करने का मौका मिला तो उस ने किसी का दबाव नहीं माना और आज़ादी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया और अंग्रेजी हुकूमत का इस देश से तख्ता पलट दिया । इसलिये मैं कहती हूं कि जनता की जो भावना है और विचार है उस को कोई मिनिस्टर या पुलिस अफसर पलट नहीं सकते हैं . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : मुझे बहुत कम समय दिया गया । मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खैर लाचारी है, क्योंकि मुझे अब आगे बोलने नहीं दिया जा रहा है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फ़रपुर मध्य) : यहां पर औरतें बहुत कम हैं, इन को कुछ ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिये था ।

श्री विभूति मिश्र : इस समय हमारे ला मिनिस्टर साहब ने जो बिल प्रस्तुत किया है उस के लिये मैं उन को हार्दिक बधाई देता हूँ ।

दूसरी बात यह है कि गत चुनाव को जिस खूबी के साथ एलेक्शन कमिशन ने किया और प्रान्त तथा जिले के हाकिमों ने जिस तरह से मदद की और ईमानदारी और सच्चाई से काम किया उस के लिये वह भी बधाई के पात्र हैं ।

मुझे इस सम्बन्ध में कुछ सजेशन्स (सुझाव) देने हैं । जो बूथ का अरेन्जमेन्ट होता है वह इस लिये होता है कि वह नजदीक बनाये जायें चूंकि सभी लोग सहूलियत से वोट देने के वास्ते दूर की जगहों पर नहीं जा सकते हैं । गत चुनाव में मैं ने देखा कि बूथों का प्रबन्ध ठीक नहीं था । मेरे ही गांव के लोगों को तीन मील जा कर वोट देना पड़ता था जबकि मेरे ही गांव के नजदीक दूसरे गांव का बूथ था और मेरे गांव के लोगों के लिये ज्यादा सहूलियत का था । इस लिये बूथ के मामले में और ध्यान देना चाहिये और इस का खयाल रक्खा जाना चाहिये कि वह लोगों के लिये नजदीक हो ।

इस के बाद यह चीज है कि जो पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं और डबल मेम्बर कांस्टि-

टुएन्सी के आदमी हैं उन के लिये बहुत ज्यादा बूथ थे और वह उन का अरेन्जमेन्ट नहीं कर सकते थे । मेरा घर चम्पारन में है, सारन मेरे घर से काफी दूर है, फिर मुजफ्फर-पुर में मेरा रिटर्निंग आफिसर था । कांस्टि-टुएन्सी जा कर फिर रिटर्निंग आफिसर के पास चुनाव के किसी काम से जाने और पुनः पोलिंग बूथ पर जाने में बड़ा समय लगता था । इस के लिये कोई सरल तरीका निकाला जाना चाहिये ताकि लोगों को सहूलियत हो ।

इस के बाद जो सबसे मुख्य बात है वह है एलेक्शन एक्स्पेन्सेज के बारे में । सरकार ने चुनाव के लिये सिंगल मेम्बर कांस्टिटुएन्सी के लिये २५,००० रु० का खर्च रक्खा है और डबल मेम्बर कांस्टि-टुएन्सी के लिये ३५,००० ० का । अगर इस तरह से अधिक खर्च रक्खा जायेगा तो बड़े बड़े पूंजीपति और जमीदार को छोड़ कर हमारे देश के किसी मामूली आदमी को चुनाव लड़ने की गुंजाइश नहीं होगी । इसलिये मेरा खयाल है कि एलेक्शन का खर्च बहुत कम कर के रक्खा जाये । सिंगल मेम्बर कांस्टिटुएन्सी के लिये ५,०००.रु० कर दिया जाये और डबल मेम्बर कांस्टि-टुएन्सी के लिये ८,००० कर दिया जाय । ऐसा करने पर ही पता चलेगा कि कौन सच्चा कार्यकर्ता है और कौन नहीं । कौन लोगों का हितैषी कार्यकर्ता है और गांव में जा कर लोगों की सेवा करता है । अगर खर्चा ज्यादा रक्खा जायेगा तो बड़े-बड़े पूँजीपति, वकील बैरिस्टर जोकि लाखों रुपये कमाते हैं, मोटर पर चारों तरफ घमते हैं उन्हीं को चुनाव में कामयाबी मिलेगी । इसलिये एलेक्शन का खर्च सरकार को घटाना चाहिये । जब आप ने बालिग मताधिकार कर दिया है तो सोचिये कि जिस के पास झोंपड़ी नहीं है, जो मजदूर है, वह चुन कर आये ऐसी स्थिति आप को लानी चाहिये । अगर वह पापुलर है तो वह चुन कर आ जायेगा, पर ऐसा तो तभी हो सकता है जबकि एलेक्शन का खर्च कम किया जाये । अगर ऐसा नहीं हो सकेगा तो एलेक्शन कभी ठीक से नहीं होगा और जिस एलेक्शन को डिमाक्रेसी का एलेक्शन कहा जाता है वह पूंजीपतियों का एलेक्शन हो जायेगा ।

एलेक्शन एक्सपेन्सेज के बारे में दूसरी बात, जिस के बारे में बहुत से और लोगों ने भी कहा है कि बड़ा गोलमाल होता है यह है कि मान लीजिये मेरे साथ कोई आदमी आता है और मैं उस को हमेशा खाना खिलाता हूँ तो अगर उसी तरह से मैं उस को चुनाव क समय भी खाना खिला दूं तो क्या वह चुनाव के खर्च में कर दिया जायेगा ? हिन्दुस्तान में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमेशा आदमी खर्च किया करता है, लेकिन अगर वही चीज़े एलेक्शन के जमाने में की जायें तो वह एलेक्शन के एक्सपेन्सेज में आ जाती हैं । मान लीजिये मैं किसी को अपनी साइकिल पर बिठा लेता हूँ तो वह एलेक्शन के जमाने में इल्लीगल प्रैक्टिसेज में आ जाता है । इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा प्रवर समिति से यह कहना है कि वह पूरी जांच पड़ताल करे, और इस का भी खयाल करे कि देश में क्या रीति रिवाज है, हिन्दुस्तान के गांवों में क्या तरीका है, किस तरह से मोहब्बत से लोग रहते हैं और उन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब बातों का खयाल कर एलेक्शन एक्स्पेन्सेज का सिम्प्लिफिकेशन होना चाहिये ताकि इस से बेचारे गरीब लोगों को कोई दिक्कत न पैदा हो ।

इस के बाद, सभानेत्री महोदया, आप को भी अनुभव होगा कि जो हमारी औरत वोटर्स होती हैं वह अपना नाम नहीं बताना

[श्री विभूति मिश्र]

चाहतीं, इसलिये एलेक्टोरल रोल में उन का नाम नहीं होता, पति का नाम लिखा होता है । ऐसा होने पर उस स्त्री को मत देने से बंचित कर दिया जाता है । इस सम्बन्ध में भी एलेक्शन ला में सुधार होना चाहिए और ऐसी स्त्रियों को भी वोट देने का अख्त्यार होना चाहिये । साथ ही देश में बहुत सी स्त्रियां पर्दा भी करती हैं, उन को अपना नाम बताने में दिक्कत होती है, सभी औरतें दिल्ली में नहीं रहती हैं, वह देहात में रहती हैं इसलिये औरतों को इस की सहूलियत होनी चाहिये कि अगर उन के पति का नाम लिखा हुआ हो तो उन को वोट देने का अधिकार होना चाहिये । वहां उस का पोलिंग एजेन्ट रहे और वह सारा प्रबन्ध करे ।

एलेक्शन की इल्लीगल प्रैक्टिसेज़ के बारे में भी सुधार होना चाहिये । क्योंकि अगर किसी बात के लिये कोई मेरे साथ सवारी पर चढ़ कर चला गया, उस का चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं है, और किसी ने एलेक्शन पिटीशन मेरे खिलाफ दाखिल कर दी कि इस ने इल्लीगल प्रैक्टिस की है, अगर कोई आदमी मुझे अपनी साइकिल पर बिठा लेता है तो कह दिया गया कि यह तो इल्लीगल प्रैक्टिस है, और में डिस्क्वालिफाई हो जाता हूं । इसलिये इस के सम्बन्ध में भी प्रवर समिति को पूरा विचार करना चाहिये कि कौन इल्लीगल प्रैक्टिस है, कौन मेजर करप्शन है और कौन माइनर करप्शन है । बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब यह बिल प्रवर समिति को जा ही रहा है तो उस को हम लोगों को बुला-बुला कर पूछना चाहिये क्योंकि यहां पर सारी बातें बताने के लिये हमारे पास कोई तरीका नहीं है ।

जो लोग भी डबल मेम्बर कांस्टिटुएन्सी से आये हैं, उन को पता होगा कि चुनाव का समय ३० दिन से घटा कर २० दिन कर दिया गया है । सारन चम्पारन की डबल मेम्बर कांस्टिटएन्सी है । मैं बताता हूं कि मैं पिछले चुनाव में ३० दिन के अन्दर तो सब जगह जा ही नहीं सका २० दिन के अन्दर कैसे जा सकूंगा ? हिन्दुस्तान विलायत नहीं है । विलायत में कांस्टिटुएन्सी होती है ५० हज़ार आदमियों की जबकि हिन्दुस्तान में डबल मेम्बर कांस्टिटुएन्सी होती है १७ लाख की । आप ही बताइये कि २० दिन में में १७ लाख आदमियों की कांस्टिटुएन्सी में कैसे जा सकूंगा ? मैं समझता हूं कि जब एलेक्शन कमिशन ने या किसी वकील ने यह बिल बनाया तो इस बात को उस ने अनुभव नहीं किया था कि कैसे २० दिन के अन्दर कोई डबल मेम्बर कांस्टिटएन्सी में घूम आयेगा । जिन के पास हवागाड़ी है जिन के पास साधन है, वह तो शायद ऐसा कर भी सकें, लेकिन मेरे जैसा आदमी जिस के पास साइकिल के अलावा कोई उपाय नहीं है आने जाने का, वह क्या करे ? मेरे पास कोई टमटम भी नहीं थी । मैं ने सारा दिन साइकिल पर ही चल कर चुनाव क्षेत्र का भ्रमण किया । ऐसी हालत में इस समय ३० दिन से २० दिन नहीं करना चाहिये ।

अगर डबल मेम्बर कांस्टिटुएन्सी में कोई मुकदमा हो गया तो जेनरल और हरिजन सीट के लिये कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये । अगर जेनरल सीट पर कोई मुकदमा हो गया तो हरिजन को हरिजन देना चाहिये और अगर सुरक्षित सीट के लिये हो गया तो जेनरल सीट वाले को जगह देनी चाहिये ।

चुनाव जब होता है तो बहुत सी पार्टियां आ जाती हैं, कोई गाय का चित्र ला कर खड़ा कर देता है कोई किसी का। मैं इस के विरुद्ध हूं। सरकार को चाहिये कि एलेक्शन के वक्त पर छापेखानों पर भी थोड़ा नियंत्रण रक्खे। जो भी गड़बड़ करता है उस को ठीक करना चाहिये। अखबारों में बहुत बुरी बुरी बातें छपती हैं, सरकार को चाहिये कि जब तक चुनाव चलता रहे तब तक कोई भद्दा नोटिस न निकलने दे। छापेखाने वाले सिद्धान्त का प्रचार कर सकते हैं लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई चीज न लिखी जाये जिस से लोगों के अन्दर बुरी भावना फैले।

श्री कानावड़े पाटिल (अहमदनगर—उत्तर) : इस विधेयक के ऐसे समय प्रस्तुत करने के लिये और वह भी जबकि आगामी चुनाव समीप ही आ रहे हैं, मैं माननीय विधि कार्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि प्रवर समिति इस पर हुई चर्चा के दौरान में उठाये गये सभी प्रश्नों का ध्यान रखेगी और इसे यथासम्भव सरल और पूर्ण बनाने का प्रयत्न करेगी।

मैं इन आक्षेपों का खंडन करता हूं कि पिछले निर्वाचन में अनुचित कार्यवाहियां की गई थीं। पिछले निर्वाचन अत्यन्त ही निष्पक्षता से हुए हैं। निर्वाचन-आयोग ने सभी विषयों का बड़ी दक्षता से निपटारा किया है। उस का कार्य प्रशंसनीय रहा है। इस विषय पर मैं विरोधी पक्ष के तर्कों से सहमत नहीं हूं।

मैं एक बहुत छोटा सा सुझाव सभा के सामने रखूंगा। यदि नामनिर्देशन-पत्रों के परिनिरीक्षण के समय विधिवत कोई नाम अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उस समय निर्वाचन-अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध तुरन्त ही उच्च न्यायालय में अपील करने का उपबन्ध इस विधेयक में होना चाहिये। उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों का निर्णय सात दिन के अन्दर कर देना चहिये और उस का निर्णय अन्तिम होना चाहिये।

श्री कामत : आप उच्चन्यायालय को सात दिन के अन्दर निर्णय देने के लिये कैसे बाध्य कर सकते हैं?

श्री कानावड़े पाटिल : यदि चुनाव के उपरान्त कोई व्यक्ति सफल उम्मेदवार के विरुद्ध किसी निर्वाचन न्यायाधिकरण के समक्ष कोई वाद प्रस्तुत करता ह तब भी उसे उपयक्त विषय को आधार बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस से जनता के समय, शक्ति और धन का नाश ही होगा।

चुनाव में गाड़ियों इत्यादि के प्रयोग के विषय में मेरा कहना है कि यदि कोई मतदान केन्द्र तीन चार मील दूर हो तो मतदाताओं को वहां तक क्यों पैदल जाने के लिये कहा जाये? मैं इस सुझाव को कि चुनाव में गाड़ियों इत्यादि का प्रयोग न किया जाये, ठीक नहीं समझता। मैं तो कहता हूं कि हमारे पड़ोसियों को भी हमारी गाड़ियों इत्यादि को प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिये।

जहां तक निर्वाचन व्यय विवरण भेजने का सम्बन्ध है हमें उस के विषय में अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यदि हमें किसी निश्चित अवधि में निर्वाचन-अधिकारी को अपना विवरण न भेजना पड़े तो अच्छा ही होगा। यह विवरण केवल उन्हीं सफल उम्मेदवारों को भेजना चाहिये जिनके सद्भाव पर सन्देह हो और जिन के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया हो। आज कोई उम्मेदवार यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में विधि द्वारा स्वीकृत राशि से

[श्री कानावड़े पाटिल]

अधिक धन व्यय करता है तो उस से उसे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि आज मतदाता बड़े चतुर हो गये हैं। वे रुपये द्वारा बहका नहीं जा सकते हैं। वे रुपया चाहे ले लें परन्तु मत अपनी इच्छा से ही देते हैं जैसा कि पिछले निर्वाचनों में हुआ है।

निर्वाचन की समाप्ति और मतों की गणना के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जैसे ही चुनाव समाप्त हो उसी समय तुरन्त गणना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिये। मैं ने देखा है कि निर्वाचन के तीन चार सप्ताह के उपरान्त गणना की जाती है। इस से कई प्रकार की गड़बड़ हो जाने का डर रहता है। अतः यदि गिनती शीघ्र ही प्रारम्भ कर दी जाये तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो सकती है।

नाम निर्देशन पत्रों की जांच किये जाना और चुनाव की तिथि में कम से कम पांच सप्ताह का अन्तर होना चाहिये। इस से कम समय अपर्याप्त रहेगा। विशेष कर पर्वतीय क्षेत्रों में तो इस से कम समय में कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि कम से कम पांच सप्ताह का समय अवश्य दिया जाना चाहिये।

अब मैं निर्वाचक नामावलि के प्रश्न को लेता हूं। नामावलि तैयार करने वाले कर्मचारी जान बूझ कर कुछ एक ऐसे प्रमुख व्यक्तियों के नाम लिखने से छोड़ देते हैं जिन के सम्बन्ध में चुनाव में खड़े होने की सम्भावना होती है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की शरारत को रोकने का पूर्ण प्रयत्न किया जाये।

यह सुझाव दिया गया है कि निर्वाचनों को अनिवार्य निर्वाचन बना दिया जाये। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक स्वतंत्र निर्वाचन निकाय की स्थापना की जाये। मैं इस के पक्ष में भी नहीं हूं, क्योंकि इस से खर्च बहुत बढ़ जायेंगे।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : मैं यह अनुभव करता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि हम अपने गत अनुभवों से लाभ उठाते हुए वर्तमान विधि की पूर्ण रूप से जांच करें और इस की त्रुटियों को दूर कर के एक सुन्दर और निर्दोष विधि की रचना करें।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, मैं विधि मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह जान बूझ कर किये गये भ्रष्टाचारों और अनजाने में ही किये गये भ्रष्टाचारों के बीच एक विभाजन रेखा बनायें। कई भ्रष्टाचार-पूर्ण कार्य इस प्रकार से किये जाते हैं कि यद्यपि कर्ता उसे जान बूझ कर करता है तथापि सरकार उस के प्रति कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। उदाहरणार्थ कोई उम्मेदवार गांव में जा कर हरिजनों से कहता है कि तुम मुझे अपने मत दो मैं तुम्हारे लिये गांव में एक कुआं बनवा दूंगा। परन्तु यह है तो घूसखोरी है, यहां सरकार कुछ नहीं कर सकती है।

इसी प्रकार से बहुत से उम्मेदवार धर्म के नाम पर लोगों को मत देने के लिये प्रेरित करते हैं। वे धार्मिक भावना को भड़का कर धर्म का अनुचित लाभ उठाते हैं। कुछ गौरक्षा का प्रचार करते हैं और उस के लिये दान देते हैं। यह तो वास्तव में भ्रष्टाचार हैं परन्तु सरकार उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के भ्रष्टाचारों के प्रति भी कोई कार्यवाही करे।

एक यह सुझाव दिया गया है कि निर्वाचन-न्यायाधिकरण के पास किसी भी मामले के

जाने से पहले वह एक अन्तःस्थायी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये जोकि छोटे छोटे मामलों के बारे में तुरन्त ही निणय कर दें, और जो मुख्य और अत्यधिक उलझनपूण मामले हैं केवल वे ही निर्वाचन न्यायाधिकरण के पास जायें । अन्यथा व्यर्थ में ही इतने समय और धन का नाश होगा । अतः एक अन्तःस्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की अत्यधिक आवश्यकता है ।

निर्वाचन न्यायाधिकरण में केवल एक ही पदाधिकारी होना चाहिये, और वह एक जिला न्यायाधीश होना चाहिये और अपील उच्च न्यायालय में की जाये ।

अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने के लिये जो ४२ दिन का समय निश्चित किया गया है, वह बिल्कुल ठीक है । इस प्रचार कार्य के लिये इतना समय कोई बहुत अधिक नहीं है ।

निर्वाचन के सम्बन्ध में किये जाने वाले व्यय के विवरण प्रस्तुत किये जाने के लिये एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये । आप ने एक व्यक्ति के द्वारा किये जाने वाले व्यय पर तो सीमा लगा दी है परन्तु किसी पार्टी के द्वारा किये जाने वाले व्यय पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की है । मैं चाहता हूं कि इस विषमता को दूर कर दिया जाये । ीक ठीक और न्यायपूर्ण निर्वाचनों के लिये हमें पार्टियों द्वारा किये जाने वाले खर्चों पर भी अधिकतम सीमा लगानी ही हो ी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : गत चुनावों में हम को जो अनुभव प्राप्त हु हैं, उन से हम को लाभ उठाना चाहिये । ला मिनिस्टर साहब ने जो दो बिल यहां पर रखे हैं, उस के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि उनमें कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, जिन को अगर साफ़ नहीं किया गया तो उन की जो मन्शा है, वह पूरी नहीं हो कती ।

पहली बात यह है कि वोटर की ऐज (आयु) २१ वर्ष रखी गई है । मेरे विचार में वह अधिक है । हम लोगों ने देखा है कि हिन्दू मेरिज बिल में और शादी सम्बन्धी दूसरे बिलों में १८ वर्ष के लड़के लड़कियों को शादी करने का राइट दिया गया है । जब १८ वर्ष का लड़का इतनी जिम्मेदारी का काम कर सकता है और धन नहैरिट कर सकता है, तो फिर यहां पर २१ वर्ष की एज रखने की क्या ज़रूरत है । अगर इस विषय में कांस्टी यूशन में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, तो वह कर दीजिये, लेकिन वोटर की उम्र १८ वर्ष ही रखिये । अगर आप १८ वर्ष की उम्र रख दग, तो आप को इतने इलैबोरेट अरेन्जमेंट्स नहीं करने पड़ेंग जितना वोटर्स लिस्ट बनाने में आज किया जाता है ताकि उस की आवश्यकता नहीं होगी । गांव में पोलिंग बूथ बना दिया जाये और पोलिंग आफिसर उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दे दे, जोकि १८ वर्ष का मालूम हो और जिस की मसें भीगती हों । सी तरह स्त्रियों के भी बहुत से चिह्न हैं, जिन से उन की आयु जानी जा सकती है । मैं चाहता हूं कि आप उम्र को १८ वर्ष कर दीजिय और हर साल वोटर्ज लिस्ट बनाने का जो कार्य करना पड़ता है, उस को खत्म कर दीजिये । आप प्रवर समिति में इस बात पर ग़ौर कीजिये और यदि आप समझें कि कोई तरीका निकल सकता है, जिसे वोटर लिस्ट तयार करने के झंझटों से बचा जा सकता है तो वसा कानून में संशोधन कीजि ।

आप हरिजनों को हर प्रकार की सुवि ा देना चाहते हैं और चुनावों के लिये उन की सीट्स भी रिजर्व की गई है, लेकिन

[पंडित डी० एन० तिवारी]

डबल-मेम्बर कांस्टीच्युएन्सी बना कर आप उन को दिक्कत में डाल देते हैं और वहां पर रिजर्वेशन उन के लिये अभिशाप बन जाता है । हम लोग, जो सवर्ण कहलाते हैं, जेनरल लोग, जो हरिजन नहीं हैं, हरिजनों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में हैं । हमारी पोज़ीशन, हमारा स्टेटस, हमारी आर्थिक स्थिति, सब कुछ हरिजनों से ऊंचा है । हम लोगों को तो सिंगल मेम्बर कांस्टीट्यूएन्सी में साढ़े सात लाख लोगों के पास जाना पड़ता है, लेकिन किसी सीट के रिज़र्व होने पर हरिजनों को पन्द्रह लाख लोगों के पास जाना पड़ता है । इस से उन को सुविधा होगी या उन की डिफ़ीकल्टीज़ बढ़ेंगी ? हरिजन तो पन्द्रह लाख लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, साढ़े सात लाख के नहीं । आप ने कानून में निर्धारित किया है कि हर मेम्बर साढ़े सात लाख लोगों का प्रतिनिधि हो, लेकिन हरिजन को पन्द्रह लाख लोगों के पास जाना पड़ता है और इस तरह उन की डिफ़ीकल्टीज़ बहुत बढ़ जाती हैं ।

श्री पाटस्कर : पन्द्रह लाख के दो होते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : आप ऐसा तो नहीं करते कि वह आधे वोटों से ही आ जायें । अगर आप कांस्टीच्युएन्सी अठाइस या तीस लाख की कर दें और वहां पर चार मेम्बरों को खड़ा होने की इजाज़त दे दें, तो डिफ़ीकल्टी बढ़ेगी या कम होगी ? अगर कांस्टीट्यूशन को या एक्ट को बदलने की ज़रूरत है, तो लोगों की सुविधा के लिये उन को बदल दीजिये । आखिर एक्ट और कानून मनुष्य के लिये होते हैं, मनुष्य तो उन के लिये नहीं होता । इसलिये आप उन को बदल दीजिये ।

पंडित के० सी० शर्मा : लेकिन इस का यहां पर कोई लगाव नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं आप को बताता हूं कि हरिजनों को क्या डिफ़ीकल्टी होती है । उन लोगों को सुविधा देने के लिये उन की भी सिंगल मेम्बर कांस्टीच्युएन्सी कर देनी चाहिये और रिज़र्व कर देना चाहिये कि हरिजन ही वहां से खड़े हों, दूसरे न हों ।

बहुत भाइयों ने कहा है कि इलैक्शन एक्सपेन्सेज़ की बहुत ज्यादा डीटेल्ज़ देने की ज़रूरत नहीं है । मैं इस बात से सहमत हूं । हम लोग जब इलैक्शन में खड़े होते हैं और पाकेट से रुपया खर्च करते हैं तो किसी से वाउचर तो लेते नहीं हैं । मोटर या टमटम किराये पर ली, ट्रेन पर चढ़े, कहीं से खाना खाया तो उस वक्त वाउचर लेने का न तो समय रहता है और न ऐसा करना सम्भव होता है ।

श्री कामत : पांच रुपये से नीचे खर्च के लिये वाउचर की आवश्यकता नहीं रहती है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मोटर या टमटम का भाड़ा दस रुपये या उस से अधिक भी देना पड़ता है । उन का वाउचर तो देना पड़ता है । क्या आप समझते हैं कि तांगे वाले को ५ रुपये से नीचे ही दें, ज्यादा न दें चाहे वह कितनी ही दूर जायें । आगे कैसे सोशलिस्ट हैं ?

तो मैं यह कह रहा था कि इलैक्शन के खर्चे के बारे में जो वाउचर दिये जायेंगे वे गलत ही होंगे क्योंकि वे किसी दूसरे से लिखवाये जायेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप खर्चे की डिटेल्स न मांगें । यदि आप कानून निर्धारित कर भी दें कि पांच

पांच हजार या दस हजार से अधिक खर्च न किया जाये तो इस से कोई फल होगा नहीं। लोग ज्यादा खर्चा करेंगे और आप उस को पकड़ नहीं सकेंगे। आप इतना अधिकार कानून में रखिय कि अगर यह साबित हो जाये कि किसी ने इल्लीगल प्रेक्टिसेज़ में खर्चा किया है तो उस का इलेक्शन नल एंड वाइड करार दे दिया जाये। आप डिटेल्स न मांगें। अगर आप हर खर्च का वाउचर मांगें तो उस को बना कर देना पड़ेगा, वह सच्चा नहीं हो सकता।

आप ने सर्किंडर को हटा कर बहुत अच्छा काम किया है। मैं नहीं समझता कि प्रोपोज़र की भी क्या जरूरत है। प्रोपोज़र को आप्शनल रखा जाये कि अगर कोई अपना नामिनेशन पपर खुद नहीं दे सकता है तो प्रोपोज़र दे दे, लेकिन उस को कम्पल्सरी नहीं रहना चाहिये। जैसा कि ठाकुर युगल किशोर सिंह ने अभी कहा कि ७ लाख की आबादी में जहां कि तीन लाख वोटर हैं, किसी को भी दो चार सर्किंडर और प्रोपोज़र ढूंढ लेने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इस फ़ार्स को रखने की क्या जरूरत है। अगर उम्मीदवार अपने दस्तखत कर के दे देता है तो वह काफ़ी होना चाहिये। अगर वह बीमार हो और खुद न दे सकता हो तो जिस को वह अथौरिटी है वह दे सके। आप प्रोपोज़र को हटा दीजिये यह मेरा सुझाव है।

मैं ने चुनाव के जमाने में देखा है कि बैलट पेपर बिकते हैं। न मालूम बैलट पेपर कहां से आ गये। एक कैंडीडेट बैलट पेपर ले आया और उस ने मुझ से पूछा कि मैं बैलट पेपर खरीद लूं। मैं ने कहा कि उन पर तो नम्बर पड़ा होता है। अगर नम्बर गलत हो गया तो तुम्हारा चुनाव ही चौपट हो जायेगा। मेरा सुझाव है कि जितने वोट हों उतने ही बैलट पेपर भेजे जायें। ऐसा होता है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ बैलट पेपर बच जाते हैं। होना यह चाहिये कि जिस नम्बर से जिस नम्बर तक के बैलट पेपर भेजे जायें उन का विवरण लिख कर आम स्थान पर लगा दिया जाये और पोलिंग एजेंटों को बतला दिया जाये कि इस नंबर से इस नम्बर तक के बैलट पेपर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने देखा है कि अगर कोई पोलिंग आफिसर किसी को मदद करना चाहता है तो वह कुछ बैलट पेपर अपनी जेब में रख लेता है और जब अन्दर जाता है तो उन में से कुछ गिरा आता है। बैलट बक्सों में तो कोई गड़बड़ नहीं होती लेकिन इस तरह से होती है। मैं एक कान्स्टीट्यूएंसी में अपने एक मित्र की मदद करने गया तो मुझ से वहां पूछा गया कि क्या आप किसी उम्मीदवार की मदद करना चाहते हैं। और वहीं मुझे यह तरीका मालूम हुआ। होता यह है कि अगर १००० बैलट पेपर भेजे जाने हैं तो एक नम्बर से सौ नम्बर तक के आफिसर अपने पास रख लेते है और १०१ से १००० तक के बाहर रखते हैं और उन को इश्यू करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा नियम बनायें जो कि फूलप्रूफ हो सके। यह इस तरह से हो सकता है कि सब एजेण्टों को बतला दिया जाये कि अमुक नम्बर से अमुक नम्बर तक के बैलट पेपर इस्तेमाल किये जायेंगे ताकि दोनों होशियार हो जायें।

श्री आर० एस० दीवान : कुछ एक सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया है कि मतदाताओं की सूची बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्भव है कि किन्हीं अत्यधिक विकसित लोकतन्त्रात्मक राज्यों में ऐसा किया जा सके, किन्तु भारत में ऐसा करना असम्भव है। हमारा अनुभव यह है कि यहां पर सूचियां भी ठीक प्रकार से

[श्री आर० एस० दीवान]

तैयार नहीं की जाती हैं और फिर भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न ढंग से तैयार की जाती हैं। मैं चाहता हूं कि समस्त देश में मतदाताओं की सूची तैयार करने की एक सी ही प्रणाली को अपनाया जाये।

दूसरी बात यह है कि हम निर्वाचनों से एक वर्ष पूर्व ही सूची तैयार कर लेते हैं; और एक वर्ष में २१ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले व्यक्तियों के नाम उस सूची में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे व्यक्तियों की एक अनुपूरक सूची भी तैयार की जाया करे।

निर्वाचनों पर किये जाने वाले व्यय के बारे में एक सीमा निर्धारित करने और व्यय का विवरण भेजने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि व्यय का विवरण भेजने की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये। कारण यह है कि यदि उन से व्यय का हिसाब मांगा जायेगा तो वे गलत हिसाब बना कर भेज दें, उस से उन्हें झूठ बोलने की बान पड़ जायेगी। इसलिये मेरा यह विचार है कि निर्वाचन-व्यय का विवरण भेजने की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये।

प्रस्थापित विधेयक में यह सुझाव दिया गया है कि निर्वाचनों के सम्बन्ध में किसी पार्टी द्वारा किये गये व्यय पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिये। मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं। इस उप-खण्ड को विधेयक से निकाल दिया जाये।

द्वि-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमारा यह अनुभव है कि उन क्षेत्रों में यदि सामान्य सीट का निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है तो सुरक्षित सीट का निर्वाचन स्वयंमेव रद्द हो जाता है। पहले सुरक्षित स्थान के उम्मेदवारों के प्रति अन्याय है। मैं चाहता हूं कि किसी सामान्य सीट के निर्वाचन के रद्द कर दिए जाने पर सुरक्षित सीट का निर्वाचन रद्द न कर दिया जाए।

निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन स्थानों के विलुप्त कर दिए जाने के बारे में हमारा यह अनुभव है कि कई बार किसी उपविष्ट सदस्य की सदस्यता दो तीन वर्षों के उपरांत रद्द की जाती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या उससे वह सारी राशि वापिस ले ली जाए जो उसने इस समस्त अवधि में प्राप्त की थी। मेरा सुझाव यह है कि उससे उस राशि का कुछ अंश वापिस ले लिया जाए।

श्रीमती कमलेंदु मति शाह (जिला गढ़वाल पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनोर): मैं बहुत संक्षेप में जो कुछ मुझे जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयकों के सम्बन्ध में कहना है निवेदन करूंगी।

पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के कर्मचारियों को जिनका चुनाव से सम्बन्ध नहीं है उन्हें चुनाव में भाग लेने नहीं देना चाहिए और यदि वह भाग लें तो उन्हें दण्ड देना चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि दंड व्यवस्था के अधिकार वाले कर्मचारियों से पूछ-ताछ का जिम्मेदार राज्य सरकारों को नहीं बनाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कहती हूं कि यदि राज्य सरकारें इन कर्मचारियों के कामों की जांच पड़ताल करेंगी तो उन लोगों को ठीक से काम करने का मौका नहीं मिलेगा और उनको झूठ, सच बोलना पड़ेगा। इसी कारण मैं यह कहती हूं कि यह नहीं होना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि छोटे बच्चों को चुनाव में भाग नहीं लेने देना चाहिए क्योंकि इस तरह की रोज उलटी सीधी बातों का उन छोटे छोटे मासूम बच्चों पर कैसा असर पड़ेगा, यह सब को मालूम है इसलिए मैं चाहती हूं कि छोटे बच्चों को उसमें हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए । हां अलबत्ता जो बच्चे बड़े हो जाते हैं यानि जिनकी उम्र १८ वर्ष की हो जाती है उनको चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए । लेकिन जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं उन को इस में बिल्कुल भाग नहीं लेने देना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि चुनाव के खर्च का हिसाब यदि हो सके तो उस को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए लेकिन जैसा कि कई सदस्य इसके बारे पहले भी कह चुके हैं चुनाव का ठीक ठीक हिसाब देना असम्भव हो जाता है और मैं भी उनके इस विचार से सहमत हूं । जहां तक संभव होता है सब कोई अपना हिसाब किताब रखते हैं और उस को पेश करते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलेक्शन के हिसाब में कभी कभी बहुत ही गड़बड़ और उलट पुलट हो जाया करती है, तो उस के ऊपर बेशक काफी बड़ी निगाह रखनी चाहिए और ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए ताकि हिसाब देने में गड़बड़ी न की जा सके । उस खर्च के हिसाब को कोई अधिकारी ठीक से देखे और जांच करे या हिसाब ही न लिया जाए ।

एक दूसरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूं वह है चुनाव में जनता की इच्छा के उम्मीदवारों को रखना । चुनाव के पहले वहां की स्थानीय जनता से पूछ कर और उन से राय लेकर उम्मीदवार को रखना चाहिये और उस को उम्मीदवारी का पर्चा देना चाहिये । अभी एक महाशय कह चुके हैं कि उम्मीदवारी का पर्चा लेना आजकल बहुत ही आसान हो गया है, तो मैं कहना चाहूंगी कि उम्मीदवारी के पर्चे बहुत ही सीमित रूप में हों और जिन को जनता ठीक समझे और जनता की पहले से ही राय मालूम कर के उन्हीं लोगों को जो जनता के विश्वासपात्र के हों, चुनाव के पर्चे देने चाहियें । इस से यह होगा कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार सामने आयेंगे और वह अच्छा काम कर सकेंगे । बस यही मुझे आप की सेवा में निवेदन करना था ।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : यह विधेयक जहां तक विधि को सरल बनाना चाहता है, मैं इस का स्वागत करता हूं ।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

निर्वाचक नामावलि के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । वास्तव में नामावलियां इतनी गलत बनाई जाती हैं कि मृतक व्यक्तियों को जीवित दिखाया जाता है और जीवितों को मृतक दिखाया जाता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा श्री कामत ने यह कहा है कि आकाशवाणी पर शासक दल का ही एकमात्र अधिकार रहता है और उसी दल के सदस्यों तथा मंत्रियों और उपमंत्रियों को ही बोलने के मुख्य रूप से अवसर दिये जाते हैं । परन्तु मैं इस कथन से हमत नहीं हूं । चार या छः मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को तो प्रभावपूर्ण रूप से बोलना भी नहीं आता है । इसलिये वे आकाशवाणी से बोलने का अवहर प्राप्त करने में संकोच का अनुभव करते हैं ।

चुनाव लड़ने के लिये २५ वर्ष की आयु निर्धारित की गई है । परन्तु मेरा यह सुझाव है कि इस कार्य के लिये २१ वर्ष की आयु ही निर्धारित की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान में २५ वर्ष की आय निर्धारित की गई है ।

श्री खर्डेकर : मेरी यह सिफ़ारिश है कि संविधान को बदल दिया जाय । एक अध्यापक होने के नाते मुझे इस बात का अनुभव है कि मेरे कई विद्यार्थी तो २२ वर्ष की आयु में ही एम० ए०, एल० एल० बी० की परीक्षायें पास कर के प्राध्यापक या वकील आदि बन जाते हैं । उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों न दी जाय । वे प्रत्येक कार्य सुचारु रूप से कर सकने के योग्य होते हैं ।

मेरा दुसरा सुझाव यह है कि किसी भी व्यक्ति को दोनों सभाओं का, अर्थात् संसद् का तथा स्थानीय विधान सभा का सदस्य बनने की अनुमति क्यों न दी जाय ।

मत देते समय मतदाता को प्रत्येक संभव स्वतंत्रता दी जानी चाहिये । परन्तु गाँव में धर्म का अनुचित लाभ उठा कर मतदाताओं को भड़काया जाता है । मुझे स्वयं इस बात का अनुभव है कि मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र म नन्दी के नाम का अनुचित लाभ उठाया गया था । इस बात की रोकथाम की जाये ।

किसी भी प्रजातंत्र राज्य में साधारण जनता का जीवन स्तर ऊंचा किया जाना अनिवार्य है । परन्तु उसे देवत्व की कोटि तक चढ़ा देना उचित नहीं होगा ।

निर्वाचन के समय सरकार और राजनीतिक दल को अलग अलग रूप में लेना चाहिये । परन्तु मैं देखता हूं कि सरकारी पदाधिकारी विभिन्न दलों की बैठकों में सम्मिलित होते हैं और भाषण देते हैं । श्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र लगा कर उस के नाम पर जनता में काँग्रेस का प्रचार किया जाता है । इस प्रकार से सरकारी तथा राष्ट्रीय नताओं की स्थिति का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है । जनता वास्तव में काँग्रसी उम्मेदवारों को मत न दे कर नेहरू जी को मत देती है ।

इसी प्रकार से मंत्री महोदय अपने पदों का अनुचित लाभ उठाते हुए अपने दल का प्रचार करते फ़िरते हैं । मैं इस का बलपूर्वक विरोध करता हूं ।

इसी प्रकार से निर्वाचनों के समय पार्टी बाज़ी के चक्कर में कई हत्यायें तक कर दी जाती हैं । यद्यपि उन हत्याओं के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं परन्तु फिर भी प्रत्येक मनुष्य जानता है कि ऐसा होता है । इस की भी रोकथाम की जानी चाहिये ।

व्यय और उस के विवरण के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चीज़ें उम्मेदवारों के मार्ग में तब तक बाधक नहीं होने चाहियें जब तक कि भ्रष्टाचार जैसा कोई भारी अपराध न किया गया हो ।

यदि कोई व्यक्ति किसी गाँव में जन्म से लेकर रहता आया है, परन्तु उस का नाम निर्वाचन नामावली में न हो तो उसे निर्वाचन में उम्मेदवार बनने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

खर्चे के बारे में यदि राजनीतिक दलों को स्वतंत्रतापूर्वक खर्च करने की अनुमति

दी गई तो इस से भयानक अव्यवस्था फैल जाने का भय है ।

द्वि-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में मेरा यह कथन है कि यह प्रश्न इस सभा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है । यह तो एक आयोग के निर्णय करने का प्रश्न है । परन्तु कुछ समय उपरान्त इस प्रश्न पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये ।

श्री पी० एल० बारुपाल (गंगानगर झुझनू–रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं आप के द्वारा अपने विधि मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चुनाव सम्बन्धी बिल को सुगम बनाने के लिये विधेयक इस सदन में पेश किया है ।

जो पहली बात मैं कहना चाहता हूं वह चुनाव के खर्च के बारे में है । यह जो खर्चा किया जाता है यह बहुत ही ज्यादा किया जाता है और जो हद मुकर्रर की गई है वह भी कम होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि इस में बड़े बड़े पूंजीपति और राजे महाराजे चुनाव जीत कर आ जाते हैं और जो गरीब आदमी होते हैं उन के लिये कोई चॉस नहीं रहता है । इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि जो खर्चा एक आदमी चुनाव के सम्बन्ध में करे उस की हद जितनी कम हो सके की जाये । मैं तो सही बात यह समझता हूं कि जनता का जो सच्चा प्रतिनिधि है और जो जनता का प्रतिनिधित्व करने का हकदार है और जो जनता की सेवा करता है, उस को पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है एक अच्छा तरीका अपनाया जाये जिस से कि वही आदमी चुन कर आ सके । मैं समझता हूं कि जो सच्चा स्वराज्य है वह तभी आयेगा जब चुनाव अधिकारी के सामने जा कर जनता अपना वोट देगी और जो लोग उन वोटों को ले कर जीत कर आयेंगे वही सच्चे प्रतिनिधि होंगे और उसी वक्त सच्चा स्वराज्य होगा । जो आजकल का तरीका है कि अनाप-शनाप पैसा खर्च कर, बड़े बड़े पम्फलेट छाप कर, गलत प्रोपगंडा कर के, सच्चे प्रतिनिधि के खिलाफ गलत भावनायें पैदा कर के और उन के प्रति गलत प्रचार कर के अगर कोई जीतता है या चुनाव लड़ता है तो वह न तो जनता के लिये हितकर होता है और न ही देश के लिये । यह तो एक धोखा ही होता है । मैं ने पिछले दिनों में देखा है जब मैं चुनाव के सिलसिले में गाँवों में जाता था तो बहुत से लोग जो प्रभावशाली होते थे वह गरीब लोगों को वोट देने के लिये नहीं जाने देते थे और जो जाते भी थे उन को वापस लौटा कर ले जाते थे । एक गांव का किस्सा मैं आप को बताता हूं । तहसील सूरतगढ़ में एक गांव मोकलसर है । उस गाँव के हरिजनों को गांव के जागीरदारों ने कहा, मैं उन का नाम नहीं लेना चाहता, कि अगर फलां आदमी को वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे, हम तुम्हें ज़मीन नहीं देंगे, तुम को गांव में रहने की इजाज़त नहीं होगी । इस प्रकार से आतंक फैला कर जो वोट लेते हैं उन के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये ।

अब मैं एक बात सरकार के सामने और रखना चाहता हूं । अभी हमारे पहले वक्ताओं ने कहा कि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा बना दिया जाता है जिस से हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है । हमारे सात लाख या आठ लाख वोटर्ज़ पर जो सीट रिज़र्व की जाती है, जो सीट सुरक्षित रखी जाती है, इतने बड़े क्षेत्र में हमारे लिये जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है । इसके मुकाबले में हमारे जैसे लोगों को बहुत कम क्षेत्र में घूमना पड़ता है । मैं समझता हूं कि हरिजनों के लिये जो स्थान सुरक्षित रखे गये हैं उन स्थानों में हरिजनों की संख्या के अनुपात

[श्री पी० एल० बारूपाल]

से ही उन को वे क्षेत्र दिये जाने चाहियें और उन्हीं क्षेत्रों से आदिवासी और हरिजन लोगों को चुना जाना चाहिये । यह चीज़ न कर के हम को लम्बे क्षेत्र दे दिये जाते हैं और डबल मेम्बर कंस्टिट्युएंसी बना दी जाती हैं, जिस का नतीजा यह होता है कि वे बेचारे मारे मारे फिरते हैं और उन के पास साधन नहीं होते हैं और वे तड़पते रहते हैं । तो मेरा आप से निवेदन है कि इस प्रकार से हरिजनों की सिंगल मेम्बर कंस्टिट्युएंसी बना दी जाये जिस से उन को काफी सुविधा हो जायगी और यह उत्तम भी रहेगा । मैं नहीं जानता कि यह जो बात मैं ने कही है यह इस कानून से ताल्लुक रखती है या नहीं, अगर नहीं भी रखती तो भी मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करे और उस म संशोधन करे ।

अब जो चुनाव के मौके पर तरीके अपनाये जाते ह मैं उन के बारे म कहना चाहता हूं । यह तरीके ऐसे होते ह जो किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किये जा सकते हैं । कई दफा तो गाय को ला कर खड़ा कर दिया जाता है, गाय की पूंछ पकड़ा दी जाती है, मंदिरों में हमें जाने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन उस वक्त मन्दिर भी हरिजनों के लिये खोल दिये जाते हैं, उन मंदिरों में ले जाकर के चरणामृत देते हैं, माथा टिकवाते हैं और तरह तरह की बातें करते ह जोकि शरम दिलवाने वाली बात होती है । इसी तरह से और कई नीचेपन की बातें कीं जाती हैं जोकि नहीं होनी चाहिये और ऐसे तरीकों को अपनाने से न तो देश का ही हित होता है और न ही वे मनुष्य के लिये उचित होती हैं । इन का भी कुछ प्रबन्ध सरकार द्वारा होना चाहिये ।

अब जो चुनाव अधिकारी होते हैं उन के बारे में मैं दो एक शब्द कहना चाहता हूं । जब कोई अन्धा, लंगड़ा बहरा या गूंगा आदमी होता है और जब वह वोट देने के लिये जाता है और चुनाव अधिकारी के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मैं फलां आदमी को वोट देना चाहता हूं तो कई बार चुनाव अधिकारी उस की पर्ची ले कर जिस भी बक्स में चाहता है डाल देता है और वह आदमी नहीं जानता है कि उस की पर्ची सही पेटी में डाली गई है या नहीं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ऐसे आदमी को जिस को कि दिखाई भी नहीं देता, जो अन्धा है, या जो बहरा है, या जो गूंगा है, उस की इच्छा पर जिस आदमी पर वह विश्वास करे, या उस का जो साथी हो उस को उस के साथ जाने की इजाजत होनी चाहिये और उस के लिये जिस पेटी में वह चाहे वोट डाले वह डाल देगा । मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी चुनाव अधिकारी ऐसे होते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जोकि अपनी मर्ज़ी से जिस पेटी में भी उस का वोट डालना चाहते हैं डाल देते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों को जोकि लूले हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, यह अधिकार होना चाहिये कि वह जिस को भी साथ ले जाना चाहें वोट डालने के लिये उस को साथ ले जायें ।

जिस बात पर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं वह यही है कि जो भ्रष्टाचार के तरीके अपनाये जाते हैं और जिन को कहते हुए, बतलाते हुए शरम आती है वे अवश्य दूर होने चाहियें । कई बार तो ऐसा होता है कि मिठाइयां बांटी जाती हैं, रसगुल्ले बांटे जाते हैं और तरह तरह के लालच दिये जाते हैं । यह सब चीजें जो पैसे वाले हैं वही कर सकते हैं और इन को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिये । ऐसे तरीके यदि अपनाये जाते रहे

तो जो सच्चा सेवक है वह चुन कर नहीं आ सकता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जो चुनाव के सम्बन्ध में खर्च की हद मुकर्रर की गई है वह काफी कम होनी चाहिये और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यह बात हमारे देश के लिये हितकर नहीं हो सकती है ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि यह जो अनुचित तरीके अपनाये जाते हैं इन को बन्द करने की व्यवस्था होनी चाहिये और जो खर्च की हद है वह भी जितनी कम से कम हो सके होनी चाहिये ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।